30वा
वार्षिक प्रतिवेदन
2013-2014

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान

विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
(आई.एस.ओ. 9001:2008 संस्थान)

मनोविकास नगर, सिकन्दराबाद-500 009. आँध्र प्रदेश, भारत
फोन: 040-27751741-45, फैक्स: 040-27750198
ई-मेल: nimh.director@gmail.com
वेबसाइट: www.nimhindia.org; www.nimhindia.gov.in

CONTENTS

विवरण		प्रष्ठ सं.
अध्याय		
	वार्षिक प्रतिवेदन 2013-14 - सारांश	5
1.	परिचय	10
1.1	संस्थान के बारे में	
1.2	मंदबुद्धिता व उसकी व्यापकता	
2.	उद्देश्य	11
2.1	रा.मा.वि.सं. के उद्देश्य	
2.2	संगठनात्मक व्यवस्था	
2.3	क्षेत्रीय केन्द्रों के क्रियाकलाप	
3.	मानव संसाधन विकास	14
3.1	दीर्घकालीन पाठ्यक्रम	
3.2	शैक्षणिक कार्यक्रमों का विवरण	
3.2.1	एम.फिल-पुनर्वास मनोविज्ञान	
3.2.2	अक्षमता पुनर्वास प्रशासन में मास्टर्स (एम.डी.आर.ए)	
3.2.3	एम.एड. - विशेष शिक्षा (मानसिक मंदन)	
3.2.4	एम.एस.सी. डिसबिलिटि स्टडीस (अर्ली इंटरवेशन)	
3.2.5	प्रारंभिक अंतराक्षेपण में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	
3.2.6	विशेष शिक्षा में बी.एड. (मानसिक मंदन)	
3.2.7	प्रारंभिक बाल्यावस्था विशेष शिक्षा में डिप्लोमा (मानसिक मंदन)	
3.2.8	डी.एड. विशेष शिक्षा (मानसिक मंदन)	
3.2.9	व्यावसायिक पुनर्वास में डिप्लोमा (मानसिक मंदन)	
3.2.10	समुदाय आधारित पुनर्वास में डिप्लोमा	
3.3.	प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम	
3.4	अल्पकालीन पाठ्यक्रम	
4.	अनुसंधान और विकास	19
4.1	अनुसंधान परियोजनाएँ (2013-14)	
4.2	अनुसंधान प्रकाशन	
4.3	संगोष्ठी/सम्मेलन/कार्यशालाएँ	
5.	राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान के प्रकाशन	25
5.1	प्रकाशन	
5.2	प्रकाशनों का वितरण	
6.	सेवा प्रतिमान	26
6.1	सेवा नमूने	
6.2	सामान्य सेवाएँ	
6.3	विशेष सेवाएँ	
6.4	परिवार कुटीर सेवाएँ	
6.5	विशेष शिक्षा केन्द्र	
6.6	अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम	
6.7	राहत देखभाल सेवाएँ	
6.8	रा.मा.वि.सं. के सामान्य सेवाओं पर क्लाईटों का पुनर्निवेशन	

7. रा.मा.वि.सं. मॉडल विशेष शिक्षा केन्द्र, नई दिल्ली **39**
7.1 स्कूल के क्रियाकलाप
7.2 शैक्षणिक दौरे तथा वनविहार
7.3 अन्य घटनाएँ

8. परामर्शी तथा तकनीकी समर्थन **42**
8.1 भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से सहायता अनुदान पाने के लिये गैर सरकारी संगठनों के आवेदनों का तकनीकी मूल्यांकन
8.2 भारतीय पुनर्वास परिषद्
8.3 विशेष रोजगार कक्ष

9. दस्तावेजीकरण व प्रचार-प्रसार **43**
9.1 पोस्टर्स एवं फ्लिप चार्ट
9.2 वेबसाईट डिजिटीकरण

10. विस्तार तथा बहि: पहुँच कार्यक्रम **44**
10.1 यंत्र/उपकरणों का क्रय/फिटिंग के लिए विकलांग व्यतियों के लिये सहायता योजना (एडिप योजना)
10.2. उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कार्यक्रम
10.3 समुदाय आधारित कार्यक्रम (सी.बी.पी.)
10.4 अभिममुखीकरण कार्यक्रम
10.5 प्रदर्शनियाँ

11. राष्ट्रीय कार्यक्रम तथा अन्य क्रियाकलाप **52**
11.1 राष्ट्रीय/क्षेत्रीय/राज्य स्तरीय कार्यक्रम
11.2 विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस समारोह
11.3. रा.मा.वि.सं. का वार्षिक दिवस समारोह
11.4 इन्टर्नशिप
11.5 गणतंत्र दिवस परेड में सहभागिता
11.6 महत्वपूर्ण व्यक्तियों की भेंट
11.7 राष्ट्रीय पुरस्कार

12. प्रशासन **64**
12.1 स्टाफ की संख्या
12.2 नियुक्तियाँ/सेवा निवृत्तियाँ
12.3 सतर्कता एकक के क्रियाकलाप एवं उपलब्धियाँ
12.4 हिन्दी कार्यान्वयन
12.5 कर्मचारी प्रशिक्षण
12.6 परिषद् की बैठके
12.7 सूचना का अधिकार अधिनियम - 2005
12.8 संस्थान की समितियाँ

13. लेखें तथा वित्त **68**

परिशिष्ट **78-95**
1. रा.मा.वि.सं. आर्गनोग्राम
2. अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम
3. एडिप योजना निरीक्षण का विवरण
4. उत्तर-पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम
5. समुदाय आधारित कार्यक्रम
6. महा परिषद् के सदस्यो की सूची
7. कार्यकारिणी परिषद् सदस्यों की सूची
8. शैक्षणिक परिषद् के सदस्यों की सूची

छायाचित्र **96**

वार्षिक प्रतिवेदन 2013-14 - सारांश

वर्ष 1984 में स्थापित राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, मानसिक मंद व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विविध गतिविधियों का प्रस्ताव रखा। तदनुसार, निम्नलिखित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को तैयार किया।

1. मानसिक मंद व्यक्तियों के शिक्षा व पुनर्वास के सभी पहलुओं में अनुसंधान कार्य संचालित करना, समर्थन देना, समन्वयन करना या आर्थिक सहायता करना,

2. साधनों का प्रभावी मूल्यांकन/उपयुक्त शल्य या चिकित्सीय प्रक्रियाओं या नए साधनों के विकास का नेतृत्व करने वाले जीव-आयुर्विज्ञान अभियांत्रिकी में अनुसंधान का संचालन समर्थन, समन्वयन या आर्थिक सहायता करना,

3. मानसिक मंद व्यक्तियों के शिक्षा, प्रशिक्षण या पुनर्वास को प्रोन्नति देने के लिए प्रशिक्षकों व शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, व्यावसायिक परामर्शदाता या अन्य कोई कार्मिक जो संस्थान आवश्यक समझता हो, को नियुक्त करना.

4. मानसिक मंद व्यक्तियों को शिक्षा, पुनर्वास चिकित्सा पहलुओं को प्रोन्नति देने के लिए बनाए गये कोई भी या सभी तरह के साधनों के प्रोटोटाईप की तैयारी व वितरण कार्य करना, प्रोन्नत करना या आर्थिक सहायता करना।

उपर्युक्त लक्ष्य व उद्देश्यों से, निम्नलिखित क्रियात्मक उद्देश्य विकसित हुए:

- मानसिक विकलांग व्यक्तियों को सेवाएँ प्रदान करने के लिए जनशक्ति को तैयार करना तथा मानव संसाधनों का विकास करना।
- देश मे मानसिक मंदन के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य की पहचान, संचालन एवं समन्वयन करना।
- मानसिक विकलांग व्यक्तियों के लिए भारतीय संस्कृति के अनुरुप देखभाल तथा योगीकरण के लिए समुचित आदर्शों का विकास करना
- मानसिक मंदन के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों को परामर्शी सेवाएँ प्रदान करना
- मानसिक मंदन के क्षेत्र में प्रलेखीकरण तथा सूचना केन्द्र के रूप में सेवाएँ प्रदान करना
- आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण तथा कम आय वर्ग के लोगों को समुदाय आधारित पुनर्वास सेवाएँ प्रदना करना
- मानसिक विकलांगता के क्षेत्र में विस्तार तथा पहुँच के बाहर के लोगों तक पहुँचने के कार्यक्रमों का संचालन करना

मानव संसाधन विकास

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान के प्रमुख उद्देश्यों में मानव शक्ति का विकास एक है। मानसिक मंद व्यक्तियों को सेवायें प्रदान करने में वास्तव में व्यावसायिकों व कार्मिकों की जरुरतों के बीच गहरी खाई है। इसी के मद्देनजर राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान ने आज तक 13 दीर्घावधि शैक्षणिक कार्यक्रम तैयार व विकसित किये। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान ग्रास रुट लेवल की जरुरतों के लिए डिप्लोमा स्तर से अनुसंधान अध्ययन के आयोजन के लिए स्नातकोत्तर स्तर के दीर्घावधि कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इसके अलावा सेवारत अभ्यर्थियों को नवीनतम विकासों से अद्यतन कराने हेतु अल्पकालीन व प्रमाण पत्रीय पाठयक्रमों का आयोजन करता है। जबकि, दीर्घावधि कार्यक्रम भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा अनुमोदित है तथा देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबद्ध है, अल्पावधि कार्यक्रम सैद्धांतिक रुप में पंजीकरण के नवीनीकरण के लिये भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा अनुमोदित है।

वर्ष 2013-14 के दौरान राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान ने 6 दीर्घ कालीन कार्यक्रम आयोजित किये है (3 डिप्लोमा पाठ्यक्रम, 1 स्नातक पाठ्यक्रम, 2 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जिसमे 1 एम.फिल. कार्यक्रम सम्मिलित है)। कुल 265 व्यावसायिकों व व्यक्तियों को इन 6 दीर्घावधि कार्यक्रमों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। रा.मा.वि.सं. के मुख्यालय में चार पाठ्यक्रमों में दाखिले 25% से कम होने के कारण नहीं चलाये गये।

- संस्थान ने एक माह की अवधि के दो प्रमाणपत्र कार्यक्रम आयोजित किये जिससे देश में विभिन्न भागों के 37 व्यावसायिकों जैसे विशेष शिक्षक, मनोवैज्ञानिक, वाक् चिकित्सक, व्यावसायिक चिकित्सक, व्यावसायिक अनुदेशक, आदि ने लाभ उठाया।
- राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान ने विभिन्न पहलुओं पर 5 दिवस की अवधि के 45 अल्पावधि पाठ्यक्रम आयोजित किये, जिससे 1130 व्यावसायिक लाभान्वित हुए।

अनुसंधान एवं विकास

अनुसंधान एवं विकास राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। भारतीय परिप्रेक्ष्य के मनो भौतिकीय व सामाजिक जन सांख्यिकी लक्षणों के संदर्भ मे मानसिक मंदन पर अनुसंधान आंकड़ों पर अभी भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। मूल तथा अनुप्रयुक्त क्षेत्रों पर अनुसंधान कार्य की मानसिक मंद व्यक्तियों के चिकित्सापरक अंतराक्षेपण को बढ़ाने के लिए व्यापक अवसर है।

- वर्ष 2013-14 के दौरान राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान ने 2 अनुसंधान परियोजनाएँ पूरी कर ली एवं विभिन्न क्षेत्रों में 10 अनुसंधान परियोजनाएँ चलाई जा रही है, जिनमें से दो परियोजनाएँ अन्य संगठनों के समन्वयन से आयोजित की जा रही है।
- वर्ष के दौरान, चार अनुसंधान लेख विभिन्न राष्ट्रिय तथा अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों में प्रकाशित हुए।
- वर्ष 2013-14 के दौरान राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान के संकाय सदस्यों ने 18 वैज्ञानिक सम्मेलन/संगोष्ठियों में भाग लिया एवं पेपर प्रस्तुत किये।

सेवाएँ

मानसिक मंद व्यक्तियों के लिये विस्तृत बहु विषयक पुनर्वास सेवाओं की जरुरत है। ये सेवायें उन्हें स्वतंत्र रुप से जीने के लिये सामर्थ्य प्रदान करती है एवं उनके जीवन में सुधार लाती है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान शैश्वावस्था से लेकर यौवनावस्था तक के जीवन के लिये उन्हें अनेक प्रकार की सेवायें प्रदान करता है।

- वर्ष 2013-14 के दौरान, कुल 9217 नये क्लाईंटों का पंजीकरण किया गया एवं राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय केन्द्रों मे विस्तृत निर्धारण, प्रबंधन एवं अंतराक्षेपण कार्यक्रम प्रदान किये गये।
- वर्ष 2013-14 में अनुवर्ती भेंट के दौरान 37,528 क्लाईंटों को देखा गया।
- राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय केन्द्रों में कुल 1,21,784 क्लाईंटों को फालोअप के दौरान विशेष सेवाएँ प्रदान की गई।
- राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान में दूरदराज से आने वाले परिवारों के लिए परिवार कुटीर सेवाओं की सुविधा है। यहाँ रहते हुए वे निर्धारण के आवश्यकतानुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। वर्ष के दौरान, 396 क्लाईंटों ने उनके अभिभावकों के साथ परिवार कुटीर सेवाओं से लाभ उठाया।
- वर्ष 2013-14 के दौरान रा.मा.वि.सं. ने 19 कार्यस्थल क्रियाकलापों के द्वारा 76 वयस्क मानसिक मंद व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया।

- रा.मा.वि.सं. मुख्यालय के विशेष शिक्षा केन्द्र में 3 से 18 वर्ष आयु वाले 133 बच्चों को दाखिला दिया गया जिनमें अल्प से लेकर अति गंभीर स्तर तक के मानसिक मंद बच्चे शामिल है।
- राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान ने 145 अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जिससे 2330 अभिभावक लाभान्वित हुये।
- राहत देखभाल केन्द्र-मानसिक मंद व्यक्ति तथा उनके परिवार घर पर अपने दिनचर्या से राहत दिलाने के लिए एक अल्पकालीन देखभाल केन्द्र - में वर्ष के दौरान पंजीकृत लाभदायकों की संख्या 290 थी।
- वर्ष 2013-14 के दौरान, एन.आई.एम.एच., एम.एस.ई.सी., नई दिल्ली में 110 विशेष बच्चों को दाखिला दिया गया जिनमें से 20 आवासीय तथा 90 अनावासीय थे।

परामर्श एवं तकनीकी समर्थन

- वर्ष के दौरान संस्थान ने नौ गैर सरकारी संगठनों के द्वारा क्रियान्वित कार्यक्रमों का तकनीकी मूल्यांकन किया और मंत्रालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।
- भारतीय पुनर्वास परिषद् के अनुरोध पर रा.मा.वि.सं. ने चार गैर सरकारी संगठनों का निरीक्षण किया।

समुदाय आधारित/आऊट रीच कार्यक्रम

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कई तरह की पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करता है जैसे-केन्द्र आधारित, गृह आधारित, समुदाय आधारित आदि। ना पहुँच वाले समुदायों के पास पहुँचने के लिये समुदाय आधरित एवं आउटरीच कार्यक्रम संस्थान आयोजित करता है।

- एडिप योजना के द्वारा 2438 अक्षम व्यक्तियों को मूल्यांकन किया गया और 915 साधन व उपकरण वितरित किये गये।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में 6558 व्यक्तियों को लाभान्वित करते हुए विभिन्न प्रशिक्षण/अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किये गये।
- वर्ष के दौरान विभिन्न समुदाय आधारित कार्यक्रमों के द्वारा 9357 व्यक्ति लाभान्वित हुए।
- हर वर्ष राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान एंव क्षेत्रीय केन्द्र को आने वाले व्यावसायिकों के लिए अभिमुखी कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष ऐसे आयोजित कार्यक्रमों से 112 संस्थानों से आये हुए 2172 व्यावसायिक लाभान्वित हुए।
- राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान ने 9 प्रदर्शनियाँ आयोजित कीं व भाग लिया जिससे 9335 व्यक्तियों को अक्षमता के बारे में जागरुक किया गया।
- राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान ने नि:शक्जन कार्य विभाग के सहयोग से महबूबाबाद, वरंगल में 8 सितम्बर, 2013 को एवं गुलबर्गा में 22 फरवरी, 2014 को संश्लिष्ट जागरुकता शिविरों का आयोजन किया। शिविरों के दौरान बौद्धात्मक अक्षमता से ग्रस्त व्यक्तियों को जागरुकता सामग्री वितरित की गई एवं अक्षम व्यक्तियों के लिए साधन व उपकरण वितरित किये गये।

प्रलेखन व प्रचार

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से प्रलेखन एवं प्रचार भी एक है। संस्थान में मानसिक मंदन व उससे संबद्ध पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाओं के पर्याप्त संकलन से सुसज्जित रिसोर्स केन्द्र है।

- राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान ने अभी तक 98 पुस्तकें प्रकाशित की है। वर्ष के दौरान इस प्रकाशनों की कुल 7,962 प्रतियाँ बेची गई। इसके अतिरिक्त विकलांगता पर 227 वीडियों फिल्में तथा 47 साफ्टवेयरों की बिक्री की गई।
- वर्ष के दौरान 16,000 व्यावसायिकों एवं विद्याथियों ने पुस्तकालय से लाभ उठाया।

अन्य क्रियाकलाप/कार्यक्रम/घटनाएँ

लक्ष्य आधारित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के एक भाग के रुप में, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए सेवाओं को बढ़ाने हेतु बहुविध क्रियाकलापों से जुडा हुआ है। इन क्रियाकलापों में नीति बनाने वाले उच्च स्तरीय समितियों एवं प्रमुख व्यक्तियों की भेंट के लिए सुविधाएँ प्रदान करना, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलनों/कार्यशालाओं/संगोष्ठियों का आयोजन करना, अक्षमता पुनर्वास से संबंधित मुख्य समारोह आयोजन करना, आदि सम्मिलित हैं। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान द्वारा वर्ष 2013-14 के दौरान आयोजित क्रियाकलापों का सारांश निम्नानुसार है।

- गवर्नमेंट मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, चंडीगढ़ ने पेरेन्ट्स् असोसियेशन आफ मेंटली हैंडीकैप्ड, सहयाद्रि, ठाने के सहयोग से परिवार - नेशनल फेडरेशन आफ पेरेन्ट्स् आर्गनाइजेशन्स् द्वारा राष्ट्रीय अभिभावकों की 21वी बैठक 11-12 नवम्बर 2013 को आयोजित की। देश भर से आये हुए 76 अभिभावकों ने इस बैठक में भाग लिया।
- माता-पिताओं में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने व सुविधाकारक बनाने के लिए देश भर में कुल 10 क्षेत्रीय अभिभावक बैठकें आयोजित की गई। इन बैठकों में 1052 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
- राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद ने 30-31 अक्तूबर, 2013 को विशेष कर्मचारियों की 19वी रोष्ट्रीय बैठक का आयोजन किया। देश भर के 30 संगठनों के 130 विशेष कर्मचारियों ने अपने संरक्षकों के साथ इस बैठक में भाग लिया।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के नि:शक्त जन कार्य विभाग एवं राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद ने संयुक्त रूप से 7-8 नवम्बर 2013 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में बौद्धात्मक अक्षमता पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।
- ठाकुर हरिप्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ रीहैबिलिटेशन सांइसेंस्, हैदराबाद के सहयोग से 20-21 फरवरी 2014 को इनचियान स्ट्रैटजी- भारतीय संदर्भ में प्रभावी क्रियान्वयन पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया ।
- बौद्धात्मक अक्षमता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए पाठ्यक्रम मान्यीकरण पर राष्ट्रीय बैठक का आयोजन 23 फरवरी, 2014 को इस उद्देश्य से किया गया कि आई.डी. व्यक्तियों के लिए देश में कार्यरत् विशेषज्ञ दल द्वारा दिये गये मार्गदर्शन पर विचार किया जा सके।
- ''बौद्धात्मक अक्षमता से ग्रस्त व्यक्तियों के रोजगार से स्वतंत्र जीवनयापन'' पर राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान में 25-27 फरवरी, 2014 को राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन का मुख्य विषय ''पीडबल्यु.आई.डी. के स्वतंत्र जीवनयापन के लिए सेतु के रुप में रोजगार'' और उपविषय, सेवाओं का आंतरण, रोजगार के अवरोधों को निकालना एवं स्वतंत्र जीवनयापन, थे।

- नि:शक्तजन कार्य विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार तथा राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद ने संयुक्त रुप से अपने मुख्यालय में 12 व 13 जून 2013 को ''अक्षम व्यक्तियों के अधिकार एवं हक'' पर दो दिवसीय दक्षिण क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया।
- रा.मा.वि.सं. ने 3.12.2013 को सामान्य जनता के लिए ''खुला दिवस'' घोषित करके अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया। कई गैर सरकारी संगठनों ने रा.मा.वि.सं. द्वारा उपलब्ध कराये गये काउन्टरों पर मानसिक मंद बच्चों के कौशल एवं प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया।
- रा.मा.वि.सं. एवं उसके क्षेत्रीय केन्द्रों में 30वें वार्षिक दिवस का आयोजन किया गया।
- इन्टर्नशिष कार्यक्रम के भाग के रुप में विभिन्न संस्थानों के 17 विद्याथियों का संस्थान एवं क्षेत्रीय केन्द्रों के विभिन्न विभागों मे रखा गया।
- हिन्दी पखवाडा 13-27 सितम्बर, 2014 को मनाया गया।
- सतर्कता जागरुकता सप्ताह 28.10.2013 से 2.11.2013 तक आयोजित किया गया।
- कार्यकारिणी परिषद् की तीन बैठकें तथा वार्षिक महा परिषद् की बैठक का आयोजन किया गया।
- रा.मा.वि.सं. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का क्रियान्वयन कर रहा है। वर्ष 2013-14 के दौरान संस्थान ने 63 आवेदन पत्र प्राप्त किये और इनमें से 39 पत्रों के उत्तर दिये गये।
- आँध्रप्रदेश सरकार द्वारा परेड ग्राउन्ड्स्, सिकंदराबाद में आयोजित 65वें गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष शिक्षा केन्द्र के बच्चे शामिल हुए। इस अवसर पर संस्थान ने झांकी प्रस्तुत की।
- भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के श्री पोरिक बलराम नायक, माननीय राज्य मंत्री, सुश्री स्तुति कक्कड़, सचिव, डीडीए, श्री अवनीश के अवस्थी, संयुक्त सचिव, डीडीए, ने अक्षम व्यक्तियों के अधिकार एवं हक पर दक्षिण क्षेत्रिय कार्यशाला में उपस्थित होने के लिए 12 जून, 2013 को राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान की भेंट की।
- श्री अवनीश के अवस्थी, संयुक्त सचिव, डीडीए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 1.6.2013 को तथा 26.8.2013 को रा.मा.वि.सं. क्षेत्रीय केन्द्र लाजपतनगर, नई दिल्ली की भेंट की।
- सुश्री कुमारी शेलजा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की माननीय कैबिनेट मंत्री, संस्थान द्वारा 11-12 नवंबर 2013 को गवर्नमेंट मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, चंडीगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय अभिभावकों की 21वी बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुई।
- सुश्री स्तुति कक्कड़, सचिव, डीडीए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 3.1.2014 को नोएडा भवन की भेंट की।
- श्री पी. समैया, पुनर्वास अधिकारी एवं श्री के. रमेश व्यावसायिक अनुदेशक, रा.मा.वि.सं. ने महामहिम भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी से वर्ष 2013-14 के लिए विकलांग व्यक्तियों के जीवन सुधारने के लिए लक्षित उत्तम अनुप्रयुक्त अनुसंधान/अन्वेषण/उत्पादन की तैयारी के अंतर्गत लागत प्रभावी नए उत्पादन के विकास के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया।
- एन.आई.एम.एच., एम.एस.ई.सी., के श्री नीरज शर्मा ने महामहिम राष्ट्रपति, श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा वर्ष 2013-14 के लिए अक्षम व्यक्तियों की साधिकारता राष्ट्रीय पुरस्कार (उत्तम कर्मचारी) 3 दिसम्बर 2013 को प्राप्त किया।

अध्याय-1

परिचय

1.1 संस्थान के बारे में

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत निकाय के रूप में 1984 में पंजीकृत सोसाईटी है। एक शिखर संस्थान के रूप में स्थापित इस संस्थान की क्रियाएँ त्रिभागीय हैं, अर्थात् देश भर में मानसिक मंदन के क्षेत्र में प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं सेवाएँ। पिछले 30 वर्षों से मानसिक मंद व्यक्तियों को सशक्त बनाने हेतु संस्थान क्षमता के निर्माण में लगातार प्रगति करता आ रहा है।

मानसिक विकलांगता के क्षेत्र में नवीन विकास एवं विगत कुछ वर्षों की प्रवृत्तियों के आधार पर नवोन्मेषण एवं नये कार्य्रकमों का संचालन अपने अनुसंधान व विकास कार्यक्रमों के जरिये आयोजन के लिए संस्थान प्रयासरत है। अपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के विभिन्न कार्यकलाप, संस्थान के विश्वस्तरीय योगदान को प्रतिबिंबित करते हैं। एन.आइ.एम.एच. के क्रियाकलाप युनाइटेड नेशन्स् कनवेंशन ऑन दी राइट्स् ऑफ पर्सन्स वीद डिसेबिलिटीज् (यु.एन.सी.आर.पी.डी) के अधिदेश तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रचलित संवैधानिक अधिनियम एवं राष्ट्रीय नीतियों के अनुसार कार्यान्वित किये जाते हैं।

एक उत्कृष्ट संस्थान के रूप में, मानसिक मंदन से ग्रस्त व्यक्तियों की जिन्दगी में समानता और गरिमा लाने के लिए अपने कार्य के प्रत्येक पहलू में गुणवत्ता पर ध्यान केन्द्रित करता है और इसका समर्थन आई.एस.ओ. 9001:2008 के प्रामाणिकता द्वारा सिद्ध हो जाता है।

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान एशिया का प्रमुख संस्थान है जिसने मानव संसाधन विकास में प्रतिपादित प्रगति की है। और अनुसंधान व विकास के नये आयामों की ओर अग्रेषित हो रहा है तथा मानसिक मंद व्यक्तियों के जीवन में गुणवत्ता में सुधार लाने का भरपूर प्रयास किया है।

1.2 मंदबुद्धिता व उसकी व्यापकता

मानसिक मंदन, विश्व के अत्यंत जटिल व चुनौती पूर्ण समस्या के क्रम में है। यह एक बहु आयामी तथ्य है जिसमें जीव-मनोवैज्ञानिक सामाजिक अभिकर्ताएँ सम्मिलित है।

यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें दिमाग का विकास रुक गया हो या अपूर्ण हो, जिसके विशिष्ट लक्षण है विकास के दौरान कुशलताओं में क्षति जो कि, व्यक्ति के समग्र बुद्धि अर्थात्, संज्ञानात्मक, भाषा कौशल, गति कौशल और सामाजिक कौशल के विकास में योगदान करते है।

मंदबुद्धिता की व्यापकता

भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, भिन्न रूप से सक्षम व्यक्तियों की संख्या 2.68 करोड़ है। यह भी अनुमान लगाया गया कि, मानसिक मंदन से ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या 1,505,624 है। इसका यह अर्थ है कि प्रति एक लाख व्यक्तियों में 124 व्यक्ति मानसिक मंदन में ग्रस्त है। भारत की जनगणना 2011 द्वारा अनुमानित विकलांग व्यक्तियों एवं मानसिक मंद व्यक्तियों की संख्या **तालिका 1** में प्रस्तुत है।

तालिका-1 : भारत की जनगणना 2011: विकलांगता पर आंकडे

भारत में विकलांगता के प्रकार के आधार पर विकलांग व्यक्तियों की संख्या-2011

विकलांगता के प्रकार	व्यक्तियों की संख्या	पुरष	महिलाएँ
कुल विकलांगता	26,810,557	14,986,202	11,824,355
मानसिक मंदन	1,505,624	870,708	634,916

अध्याय-2

उद्देश्य

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान ने आरंभ से ही, मानसिक मंद व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विविध गतिविधियों का प्रस्ताव रखा। तदनुसार, निम्नलिखित लक्ष्य एवं उद्देश्यों को तैयार किया:

1. मानसिक मंद व्यक्तियों के शिक्षा व पुनर्वास के सभी पहलुओं में अनुसंधान कार्य संचालित करना, समर्थन देना, समन्वयन करना या आर्थिक सहायता करना,
2. साधनों का प्रभावी मूल्यांकन/उपयुक्त शल्य या चिकित्सीय प्रक्रियाओं या नए साधनों के विकास का नेतृत्व करने वाले जीव-आयुर्विज्ञान अभियांत्रिकी में अनुसंधान का संचालन, समर्थन, समन्वयन या आर्थिक सहायता करना,
3. मानसिक मंद व्यक्तियों के शिक्षा, प्रशिक्षण या पुनर्वास को प्रोन्नति देने के लिए प्रशिक्षकों व शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, अधिकारियों, व्यावसासिक, परामर्शदाता या अन्य कोई कार्मिक जो संस्थान आवश्यक समझता हो, की नियुक्ति,
4. मानसिक मंद व्यक्तियों को शिक्षा, पुनर्वास चिकित्सा पहलुओं को प्रोन्नति देने के लिए बनाए गये कोई भी या सभी तरह के साधनों के प्रोटोटाईप की तैयारी या वितरण कार्य करना, प्रोन्नत देना या आर्थिक सहायता करना।

उपर्युक्त लक्ष्य व उद्देश्यों से, निम्नलिखित क्रियात्मक उद्देश्य विकसित हुए:

2.1 रा.मा.वि.सं. के उद्देश्य

- मानसिक विकलांग व्यक्तियों को सेवाएँ प्रदान करने के लिए जनशक्ति को तैयार करना तथा मानव संसाधनों का विकास करना।
- देश में मानसिक मंदन के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य की पहचान, संचालन एवं समन्वयन करना।
- मानसिक विकलांग व्यक्तियों के लिए भारतीय संस्कृति के अनुरुप देखभाल तथा योगीकरण के लिए समुचित आदर्शें का विकास करना
- मानसिक मंदन के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों को परामर्शीं सेवाएँ प्रदान करना
- मानसिक मंदन के क्षेत्र के में प्रलेखीकरण तथा सूचना केन्द्र के रूप में सेवाएँ प्रदान करना
- आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण तथा कम आय वर्ग के लोगों को समुदाय आधारित पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करना
- मानसिक विकलांगता के क्षेत्र में विस्तार तथा पहुँच के बाहर के लोगों तक पहुँचने के कार्यक्रमों का संचालन करना

2.2 संगठनात्मक व्यवस्था

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान का मुख्यालय सिकंदराबाद में स्थित है। संस्थान में छह विभाग अर्थात्, प्रौढ स्वतंत्र जीवन यापन विभाग, सामुदायिक पुनर्वास तथा परियोजना प्रबंधन, पुस्तकालय एवं सूचना सेवाएँ, आयुर्विज्ञान/डॉक्टरी सेवाएँ, पुनर्वास मनोविज्ञान तथा विशेष शिक्षा विभाग है। संस्थान के तीन क्षेत्रीय केन्द्र दिल्ली, कोलकत्ता तथा मुम्बई में स्थित है। रा.मा.वि.सं. का आदर्श विशेष शिक्षा केन्द्र नई दिल्ली में स्थित है।

संस्थान की मूल गतिविधियों को प्रशासन अनुभाग समर्थन देता है। संस्थान के समग्र क्रियात्मकता को दर्शाता हुआ संगठनात्मक चित्र **परिशिष्ट-1** पर दिया गया है। **(पृष्ठ सं. 78)**

2.3 क्षेत्रीय केन्द्रों के क्रियाकलाप

2.3.1. क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली (क्षे.के. नई दिल्ली)

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली की स्थापना फरवरी 1986 में कस्तूरबा निकेतन, लाजपतनगर, नई दिल्ली-110 024 में हुई। अच्छे से अच्छा शैक्षणिक वातावरण प्रदान करने के लिए यह केन्द्र भारतीय पुनर्वास परिषद्

द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित दो दीर्घकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है। जहाँ हर एक व्यावसायिक मानसिक मंदन के क्षेत्र में अपनी क्षमता का विकास कर सकता है।

- एक वर्षीय बी.एड.इन स्पेशल एजुकेशन (मेंटल रिटार्डेशन)
- दो वर्षीय डिप्लोमा इन एजुकेशन (स्पेशल एजुकेशन)

इस केन्द्र द्वारा हर वर्ष मानसिक मंदन के क्षेत्र के व्यावसायिकों के लिए अल्पकालीन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्ति, केन्द्र द्वारा विकासात्मक विलम्बता/मानसिक मंदन से ग्रस्त क्लाइंटों को सेवाएँ प्रदना की जा रही है। इस केन्द्र द्वारा जागरुकता शिविर तथा जॉचपडताल शिविर भी अपने विस्तार तथा आउटरीच क्रियाकलापों के अंतर्गत आयोजित किये जाते हैं। मानसिक मंदन के क्षेत्र में कार्यरत् स्थानीय गैर सरकारी संगठनों को तकनीकी सहायता भी केन्द्र द्वारा प्रदान की जाती है। केन्द्र द्वारा 'अंकुर' नामक प्रारंभिक अंतराक्षेपण केन्द्र की स्थापना 1990 में की गई जहाँ पाँच वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को सेवाएँ प्रदान की जाती है। विभिन्न व्यावसायिक कालेजों से अपने इन्टर्नशिप हेतु आये हुए विद्यार्थियों को क्षेत्रीय केन्द्र, दिल्ली द्वारा सहायता भी प्रदान की जाती है।

2.3.2. क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता (क्षे.के. कोलकाता)

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकता मार्च 1986 में रोष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान के परिसर, बॉन हुग्ली, बी.टी.रोड, कोलकता 700 090 पर स्थापित हुआ। इस केन्द्र मे भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित तीन दीर्घकालीन पाठ्यक्रम चलाये जाते हैं:

- एक वर्षीय बी.एड. स्पेशल एजुकेशन (एम.आर)
- दो वर्षीय डिप्लोमा इन एजुकेशन (स्पेशल एजुकेशन)
- एक वर्षीय डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहैबिलिटेशन (एम.आर)

केन्द्र द्वारा व्यावसायिकों एवं अभिभावकों के लिए अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन प्रति वर्ष किया जाता है। मानसिक मंदन से जोखिम वाले बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए प्रारंभिक पहचान तथा अंतराक्षेपण के लिए विशेष क्लिनिक है। इस केन्द्र में विशेष शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा प्रारंभिक अंतराक्षेपण के क्षेत्रों मे सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। मानसिक मंदन तथा संबंधित क्षेत्र में स्नातक तथा स्नातकोत्तर विद्याथियों के लिए प्लेसमेंट भी दिया जाता है। इस केन्द्र द्वारा जागरूकता शिविर एवं जाँच शिविरों का आयोजन भी किया जाता है। मानसिक मंद के क्षेत्र में कार्यरत् गैर सरकारी संगठनों को भी तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

2.3.3 क्षेत्रीय केन्द्र, नवी मुम्बई (क्षे.के. नवी मुम्बई)

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र, मुम्बई की स्थापना 1987 में ए.वाई.जे.एन.आई.एच.एच. कैम्पस में हुई थी। पश्चिम क्षेत्र अर्थात्, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गोवा, लक्षद्वीप तथा दमन व दिउ की आवश्यक्ताओं को पूरा करने के लिए यह केन्द्र प्रारंभ किया गया है। क्रियाकलापों का विस्तार करने के उद्देश्य से इस केन्द्र को नवी मुम्बई को 2004 में स्थानान्तरित किया गया। अब यह केन्द्र दो किराये के स्थान, अर्थात् बेलापुर तथा खारघर में चलाया जाता है। प्रशासनिक कार्यालय, पुस्तकालय तथा दीर्घकालीन व अल्पकालनी पाठ्यक्रम बेलापुर कार्यालय में तथा सामान्य व विशेष सेवाएँ खारघर कार्यालय में चलाये जाते है,

यह केन्द तीन दीर्घ कालीन कार्यक्रम चलाता है,

- बी.एड. विशेष शिक्षा (मानसिक मंदन)
- डिप्लोमा इन एलींचाइल्ड हुड स्पेशल (एजुकेशन
- डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहैबिलिटेशन

केन्द्र द्वारा, विशेष शिक्षा, मनोविज्ञान व व्यवहार प्रबंधन, वाणी व भाषा एवं व्यावसायिक चिकित्सा में गुणवत्ता मूल्यांकन तथा अंतराक्षेपण सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। यहाँ अल्पकालीन कार्यक्रम जैसे पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, सी.आर.ई, अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम, जागरूक्ता कार्यक्रम तथा शिविरों का आयोजन भी किया जाता है। क्षेत्रीय केन्द्र अपने भवन निर्माण नवी मुम्बई में कर रहा है जहाँ मानव संसाधन विकास के लिए अत्युत्तम सुविधाएँ दी जा सकती है।

2.3.4. राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान-माडल विशेष शिक्षा केन्द्र, नई दिल्ली (रा.मा.वि.सं. एम.एस.ई.सी., नई दिल्ली)

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान माडल विशेष शिक्षा केन्द्र, भारत सरकार द्वारा 1964 में कस्तूर्बा निकेतन, लाजपत नगर-2, नई दिल्ली 110 024 में स्थापित किया गया था। मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए विशेष तथा विस्तृत सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से इस केन्द्र का आरंभ किया गया है। यह केन्द्र 1986 से संस्थान के अधीन कार्य कर रहा है। इस केन्द्र में मानसिक मंद व्यक्तियों को गुणवत्ता सेवाएँ प्रदान करने के लिए योग्यता प्राप्त व्यावसायिक है। मानसिक मंद व्यक्तियों को अपने भीतर के सामर्थ्य का अत्यधिक मात्रा में विकास करने के लिए शिक्षा व प्रशिक्षण दिया जाता है। इस स्कूल के छात्रों की संख्या 110 है (90 अनावासीय और 20 आवासीय)। क्रियाकलापों में मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, अभिभावक परामर्श, घरेलू प्रशिक्षण, व्यावसायिकों के लिए अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा अभिभावक एवं सहोदर के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा प्रशिक्षण के लिए बाहर से आने वाले विद्यार्थियों के लिए प्लेसमेंट है। केन्द्र में दाखिल किये गये विद्यार्थियों के लिए नियमित पाठचर्या व सहपाठचर्या क्रियाकलाप आयोजित किये जाते है।

बुनाई घर की खोज यात्रा में डी.वी.आर प्रशिक्षणार्थी

अध्याय-3

मानव संसाधन विकास

मानव संसाधन विकास का अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य, सभी स्तरों पर सामर्थ्य विकास तथा क्षमता निर्माण हासिल करने की ओर लक्षित है। अपने मुख्य उद्देश्य के रूप में, अपने मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों द्वारा लोगों में सामर्थ्य विकास तथा जनशक्ति के सृजन के लिए निरंतर प्रक्रिया पर कार्यरत् है। समाज के और व्यक्ति के हितार्थ ज्ञान, कुशलताएँ, अभिवृत्ति तथा क्षमताओं की निरंतर वृद्धि के लिए अवसरों का समर्थन करने एवं उन्हें बनाए रखने की दृष्टि से संस्थान की नीति एवं कार्यक्रमों की रुपरेखा बनाई गई।

मानव संसाधन विकास के अंतर्गत मुख्य गतिविधियाँ दीर्घावधि पाठ्यक्रम, अल्पावधि पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यशालाओं तथा व्यावसायिक संस्कृतिग्रहण के लिए निरंतर शिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करता है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान बौद्धिक विकलांगता के क्षेत्र में जागरुकता निर्माण तथा गहरा सोच-विचार करने के लिए संबंधित मुख्य विषयों पर व्यावसायिकों, अभिभावकों तथा मानसिक मंदन से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों का आयोजन करता है।

मानव संसाधन विकास का एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र, मानसिक मंद व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएँ प्रदान करना एवं जनशक्ति का विकास करना है। यह अनुमान लगाया गया है कि, एक शिक्षक विशेष शिक्षक) मानसिक मंदन से ग्रस्त लगभग 10 बच्चों को प्रभावशाली ढंग से संभाल सकता है। मानसिक मंदन से ग्रस्त 70% से अधिक बच्चे इस वर्ग के अंतर्गत आते है। इस प्रकार 1,00,000 क्लासरुम शिक्षकों की जरुरत होगी। चूँकि, मानसिक मंदन से ग्रस्त बच्चों के प्रबंधन के लिए एक बहुविषयक टीम की आवश्यकता होती है, इसके अलावा अन्य व्यावसायिकों की भी आवश्यकता होती है। हमारे देश में 7000 से भी कम प्रशिक्षित शिक्षक हैं और यही स्थिति अन्य पुनर्वास व्यावसायिकों की भी है। इस अन्तराल को कम करने लिए इस क्षेत्र में मानव संसाधन विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है।

3.1 दीर्घकालीन पाठ्यक्रम

मानव संसाधन विकास की प्रोन्नति के लिए, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान ने अपने मुख्यालय तथा क्षेत्रीय केन्द्रों में भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा अनुमोदित 6 दीर्घावधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों (3 डिप्लोमा पाठ्यक्रम, 1 स्नातक पाठ्यक्रम और 2 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जिसमें एक एम.फिल. कार्यक्रम सम्मिलित है) का संचालन किया। इस क्षेत्र में पाई गई जरुरत के अनुसार इन पाठ्यक्रमों की पहचान की गई और उन्हें विकसित किया गया। वर्ष 2013-14 के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों के 407 सीटों के लिए 265 अभ्यर्थियों का प्रवेश दिया गया। पाठ्यक्रम-वार दाखिले का विवरण तालिका-2 में दिया गया है।

मानव संसाधन कक्षा के क्रियाकलाप

वर्ष	पाठ्यक्रम	अंतर्गहण क्षमता	दाखिल
2012-13	10	415	325 (78.3%)
2013-14	10*	407	265 (65.1%)

**राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान के मुख्यालय में चार पाठ्यक्रमों के लिए दाखिला लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 25% से कम होने के कारण ये पाठ्यक्रम इस वर्ष नही चलाये गये।*

तालिका-2 दीर्घकालीन पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त विद्याथियों की संख्या - 2013-14

क्र. सं.	पाठ्यक्रम	केन्द्र	अवधि (वर्ष)	संबद्ध विश्वविद्यालय	प्रवेश की क्षमता	दाखिलें
1.	एम.फिल. पुनर्वास मनोविज्ञान	रा.मा.वि.सं. मुख्यालय	2	उस्मानिया विश्वविद्यालय	14	11 78.6%)
2.	मास्टर्स इन डिसेबिलिटि रिहैबिलिटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन	रा.मा.वि.सं. मुख्यालय	2	जवाहरलाल नहेरू तकनीकी विश्वविद्यालय	20	--
3.	एम.एड. विशेष शिक्षा (मानसिक मंदन)	रा.मा.वि.सं. मुख्यालय	1	उस्मानिया विश्वविद्यालय	31	30(96.8%)
4.	एम.एस.सी डिसेबिलिटि स्टडी (अर्ली इंटरवेशन)	रा.मा.वि.सं. मुख्यालय	2	उस्मानिया विश्वविद्यालय	10	--
5.	पी.जी. डिप्लोमा इन अर्ली इंटरवेशन	रा.मा.वि.सं. मुख्यालय	1	उस्मानिया विश्वविद्यालय	20	
6.	बी.एड. विशेष शिक्षा (मानसिक मंदन)	रा.मा.वि.सं. मुख्यालय मुम्बई कोलकाता दिल्ली	1	उस्मानिया विश्वविद्यालय मुम्बई विश्वविद्यालय प.बंगाल विश्वविद्यालय गुरु गोबिंद सिंह इन्द्रप्रस्था विश्वविद्यालय	25 25 25 25	 18(72.0%) 25 (100.0% 23 (92.0%)
7.	डिप्लोमा इन अर्ली चाईल्डहुड स्पेशल एजुकेशन (मानसिक मंदन)	रा.मा.वि.सं. मुख्यालय मुम्बई	1	मुख्यालय एन. आई.एम.एच 25	25 9 (36.0%)	23 (92.0%)
8.	डी.एड.स्पेशल एजुकेशन (मानसिक मंदन)	दिल्ली कोलकत्ता	2	एन.आई. एम.एच.	31 31	31 (100%) 31 (100.0%)
9.	डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहैबिलिटेशन (मानसिक मंदन)	रा.मा.वि.सं. मुख्यालय मुम्बई कोलकाता		एन आईएम.एच	25 25 25	14 (56.0% 9(36.0%) 20 (80.0%)
10	डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन	रा.मा.वि.सं. मुख्यालय	1	एन.आई.एम.एच	25	--
	कुल :		**13***		**407**	**265 (65.1%)**

*****इस वर्ष रा.मा.वि.सं. ने 13 केन्द्रों में 6 दीर्घकालीन पाठ्यक्रमों का आयोजन किया

3.2 शैक्षणिक कार्यक्रमों का विवरण

3.2.1. एम.फिल-पुनर्वास मनोविज्ञान

यह दो वर्ष का आवासीय पाठ्यक्रम उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद से संबद्ध है। इस पाठ्यक्रम की अभिकल्पना उच्च संवर्ग के पुनर्वास मनोवैज्ञानिकों को तैयार करना है जो मानसिक मंदन से ग्रस्त व्यक्तियों को व्यापक सेवाएँ प्रदान करने के लिए मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने की योग्यता रखेंगे एवं मनोवैज्ञानिक पहलुओं में अनुसंधान करेंगे। पाठ्यक्रम में न्यूरोबाायोलजी, मनोविज्ञान, विशेष शिक्षा, वाणी-भाषा चिकित्सा विज्ञान, भौतिक चिकित्सा, व्यावसायिक चिकित्सा, समुदयाय आधारित पुनर्वास जैसे विषयों का समावेश है।

3.2.2 अक्षमता पुनर्वास प्रशासन में मास्टर्स (एम.डी.आर.ए)

यह दो वर्ष का पाठ्यक्रम जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय से संबद्ध है और इसे 2004-05 के दौरान शुरु किया गया था। इस पाठ्यक्रम में विकलांगता पुनर्वास तथा संगठानात्मक प्रबंधन के मुख्य तथा समर्थन क्षेत्रों के 20 विषय होते है। चार सोमिस्टर पद्धति का इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा देश भर में स्थित विकलांगता पुनर्वास तथा अनुसंधान संगठनों के सफलता पूर्वक प्रबंधन के लिए अर्हता प्राप्त और सक्षम व्यावसायिकों को तैयार करने के लिए अभिकल्पित किया गय है। पाठ्यक्रम में ऐतिहासिक समकालीन विचार वस्तुओं और समस्या परिप्रेक्षयो, व्यावसायिक सेवाओं और महत्व, सामुदायिक पुनर्वास, परियोजना प्रबंधन, संगठनात्मक विकास, मानव संसाधन विकास, संगठनात्मक व्यवहार, सामाजिक पूँजी, मूल्यों, नैतिकताओं और मानव अधिकारों और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित अक्षमता और पुनर्वास जैसे विषयों का समावेश किया गया है।

3.2.3. एम.एड. - विशेष शिक्षा (मानसिक मंदन)

एक वर्ष की अवधि का एम.एड. विशेष शिक्षा (मानसिक मंदन) पाठ्यक्रम का लक्ष्य विशेष शिक्षा में संकाय स्तर पर व्यावसायिकों को तैयार करना है।

3.2.4. एम.एस.सी. डिसबिलिटि स्टडीस (अर्ली इंटरवेशन)

वर्ष 2009-10 के दौरान आरंभ किया गया यह दो वर्षीय पाठ्यक्रम उस्मानिया विश्वविद्यालय से संबंद्ध है। इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जोखिम तथा विकलांग शिशुओं तथा बच्चों की प्रारंभिक पहचान व प्रारंभिक अतराक्षेपण में कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यकत कुशलता व तकनीकी के आंतरण हेतु सक्षम व्यावसायिकों को तैयार करना है।

3.2.5 प्रारंभिक अंतराक्षेपण में स्नातकोत्तर डिप्लोमा

विकासात्मक विलंबों से ग्रस्त बच्चों को यदि आरंभ में ही परख लिया जाए और उन्हें आरंभिक आयु में ही व्यावसायिक सेवाएँ प्रदान कर दी जाएँ तो उनमें उल्लेखनीय सुधार होगा। इन सेवाओं की प्रकृति अंतर्विषयक और अधिगम में होलिस्टिक होती है जो बच्चों को विकास, शारीरिक चिकित्सा विज्ञान, व्यावसायिक चिकित्सा, वाक् चिकित्सा विज्ञान, तथा परिवार अंतराक्षेपण को आवरित करती है। यह पाठ्यक्रम उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद से संबद्ध है।

3.2.6. विशेष शिक्षा में बी.एड. (मानसिक मंदन)

विभिन्न स्तरों पर विशेष अध्यापकों की आवश्यकता के मद्देनजर राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान विशेष शिक्षा मे बी.एड. (मानसिक मंदन) पाठ्यक्रम को उस्मानिया विश्वविद्यालय से संबद्ध अपने मुख्यालय में तथा पश्चिम बंगाल राज्य विश्वविद्यालय के संबंधन में कोलकता स्थित क्षेत्रीय केन्द्र में, मुम्बई विश्वविद्यालय से संबद्ध, नवी मुम्बई क्षेत्रीय केन्द्र में तथा गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के संबंधन से नई दिल्ली के क्षेत्रीय केन्द्र में एक वर्षीय विशेष शिक्षा में बी.एड. (मानसिक मंदन) कोर्स का संचालन करता है।

3.2.7. प्रारंभिक बाल्यावस्था विशेष शिक्षा में डिप्लोमा (मानसिक मंदन)

प्रारंभिक बाल्यकाल विशेष शिक्षा (ई.सी.एस.ई.) 6 वर्ष से कम उम के बच्चों पर ध्यान देता है और लक्ष्य वर्ग की योग्यता के आधार पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये विविध तरीकों और अभिगमों का उपयोग करता है। यह मानव संसाधन के प्रशिक्षण की माँग करता है जो घर आने वाला निरीक्षक या भ्रमणकारी शिक्षक होता है या जो नियमित विशेष प्री-स्कूलों में अक्षमताओं से ग्रस्त बच्चे को संभालने परिवारों के पास स्वयं जाता है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद, क्षेत्रीय केन्द्र मुम्बई में प्रारंभिक बाल्यकाल विशेष शिक्षा पाठ्यक्रम में डिप्लोमा संचालित किया जा रहा है।

3.2.8. डी.एड. विशेष शिक्षा (मानसिक मंदन)

यह दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम मानसिक मंदन तथा अन्य सह विकलांगताओं से ग्रस्त बच्चों के लिए विशेष शिक्षकों को तैयार करने की ओर लक्षित है। परीक्षाओं के संचालन का कार्य, भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा नामित, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान को सौंपा गया है।

3.2.9 व्यावसायिक पुनर्वास में डिप्लोमा (मानसिक मंदन)

यह एक वर्षीय कार्यक्रम मानसिक मंदन के क्षेत्र में व्यावसायिक अनुदेशकों को तैयार करता है और रा.मा.वि.सं., सिकंदराबाद तथा क्षेत्रिय केन्द्र, कोलकता तथा मुम्बई में चलाया जाता है।

3.2.10. समुदाय आधारित पुनर्वास में डिप्लोमा

यह एक वर्षीय पाठ्यक्रम समुदाय आधारित पुनर्वास (सीबीआर) कार्यक्रमों, मानव प्रबंधन कार्यक्रम, संसाधन विकास, प्रशिक्षण, शिक्षा, पुनर्वास, मानसिक अक्षमताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के लिये रोजगार जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह सामाजिक पुनर्वास के लिए अक्षमताओं से ग्रस्त लोगों के लिए विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ती के लिए अंतरण-विषयक प्रतिमानों और कौशलों का विकास करना इस पाठ्यक्रम का लक्ष्य है।

3.3. प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम

इस क्षेत्र से प्राप्त पुनर्निवेशन यह दर्शाता है कि, मानसिक मंदन से ग्रस्त बच्चों के पुनर्वास में कार्यरत् विशेष शिक्षक व संबंधित व्यावसायिकों को मूल्यांकन, चिकित्सा व नौकरी विस्थापन पर गहन प्रशिक्षण की आवश्यक्ता है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वर्ष 2013-14 के दौरान एक महीने की अवधि के 2 ऐसे कार्यक्रमों का संचालन किया गया जिससे 37 व्यावसायिक लाभान्वित हुए, विवरण **तालिका 3** में प्रस्तुत है।

तालिका 3 : वर्ष 2013-14 के दौरान आयोजित प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	आयोजक	दिन	अवधि	लाभान्वित
1.	मनोविज्ञान मूल्यांकन पर प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	रा.मा.वि.सं., सिकान्दराबाद	29	02-31 दिसम्बर, 2013	13
2.	इंक्लूजिव एजुकेशन पर प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	रा.मा.वि.सं. क्षेत्रीय केन्द्र कोलकता	20	3-28 फरवरी 2014	24
				कुल	37

3.4 अल्पकालीन पाठ्यक्रम

मानसिक मंदन से ग्रस्त लोगों को उनके प्रशिक्षण की आवश्यकताओं की पूर्ती के लिये पुनर्वास क्षेत्र में काम करने वाले व्यावसायिकों और कार्मिकों को सेवा के दौरान प्रशिक्षण हेतु लघु-अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अभिकल्पना आवश्यकत रूप से की जाती है। संस्थान ने वर्ष 2013-14 के दौरान वर्ष भर में 1130 लाभार्थियों को आवरित करते हुए 45 अल्पकालीन कार्यक्रमों का आयोजन किया। कार्यक्रम और लाभदायकों का अनुपात निम्नानुसार है।

वर्ष	कार्यक्रम	लक्ष्य	लाभान्वित	अनुपात
2012-13	45	950	1293	1:29
2013-14	45	1000	1130	1:25

भारतीय पुनर्वास परिषद के पंजीकृत व्यावसायिकों के लिए एक सप्ताह से अधिक अवधि के लिए संचालित किये गये सारे लघु अवधि कार्यक्रम भारतीय पुनर्वास परिषद् (आर.सी.आई.) के निरंतर पुनर्वास शिक्षा कार्यक्रम (सी.आर.ई.) के समस्तरीय होते है। लगु-अवधि पाठ्यक्रमों के ब्यौरे **परिशिष्ट-2** में दिये गये यहै. **(पृष्ठ सं 79)**

व्यवहार परिवर्तन पर सी.आर.ई. कार्यक्रम

अध्याय-4

अनुसंधान और विकास

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में अनुसंधान एवं विकास एक है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान में पिछले 30 वर्षों के अनुसंधान परियोजना के विश्लेषण से यह पता चलता है कि, अनुसंधान एवं विकास का मुख्य केन्द्रबिंदु अनुप्रयुक्त अनुसंधान है। मूल अनुसंधान की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, संस्थान के शैक्षणिक परिषद् एवं एथिक्स समिति जैसे पदधारित समितियों द्वारा परियोजनाओं को परियोजित किया गया व अनुमोदन किया गया। परियोजना शैक्षणिक समिति को प्रस्तुत करने से पहले, प्राथमिक तौर पर विभागीय स्तर तथा संकाय बैठक के स्तर पर चर्चा की जाती है। इसके बाद, सभी अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को एथिक्स समिति के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। अभी तक, संस्थान ने स्वयं अपनी निधियों के परियोजनाओं के साथ साथ यु.एस.भारत रूपी फंड, यूनिसेफ, यु.एन.डी.पी., आई.सी.एस.एस,आर. और एस.अण्ड टी. मिशन मोड के सहयोग से 65 अनुसंधान परियोजनाओं पर कार्य पूर्ण किया । परियोजनाओं के परिणाम निम्नासुार है

क्र.	परिणाम	नंबर
1.	प्रकाशित पुस्तकें	48
2.	पैम्प्लेट/बुकलेट	24
3.	पोस्टर्स	16
4.	साफ्टवेयर सीडी	12
5.	स्क्रीनिंग टूल्स	11
6.	रेडियों स्पॉट्स्	11
7.	सेवा नमूने	5
8.	वीडियो फिल्म	3

पूरी की गयी अनुसंधान परियोजनाएँ (1984-2014)

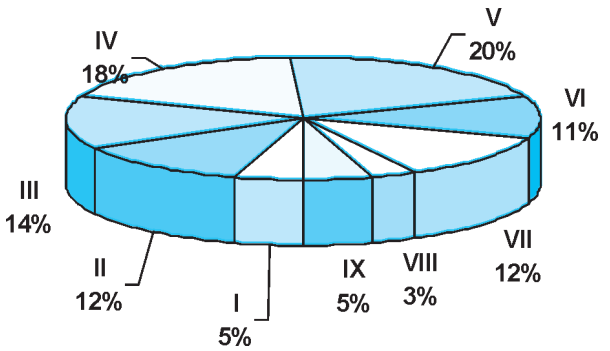

I – जागरुकता (3)
II – प्रारंभिक अंतराक्षेपण (8)
III – मनोविज्ञान (9)
IV – विशेष शिक्षा(12)
V – थिरेप्युटिक्स (13)
VI – व्यावसायिक एवं स्वंतत्र जीवन यापन (7)
VII – समुदाय अधारित पुनर्वास (8)
VIII – सूचना एवं संप्रेषण तकनीक (2)
IX – प्रंबधन (3)
कुल परीयोजनाएँ = 65

4.1 अनुसंधान परियोजनाएँ (2013-14)

वर्ष 2013-14 के दौरान, दो परियोजनाएँ पूरी की गई और दस परियोजनाएँ चल रही है जिनमें से दो परियोजनाएँ अन्य संगठनों के सहयोग से चल रही है और 3 नई परियोजनाओं को शैक्षणिक समिति की 4 फरवरी, 2014 को आयोजित बैठक में अनुमोदन दिया गया।

4.1.1. पूरी की गई अनुसंधान परियोजनाओं का विवरण

1. मानसिक मंद व्यक्तियों में दंत समस्याओं का अध्ययन

मानसिक मंद व्यक्तियों में दंत समस्याओं का अध्ययन करने के लिए यह परियोजना डॉ.वी. कृष्ण प्रिया, एम.डी.एस., कन्सलटेंट डेंटल सर्जन द्वारा एनआई.एम.एच. के सहयोग से किया गया। मानसिक मंदन से ग्रस्त व्यक्तियों में लगातार बताई जाने वाली चिकित्सा समस्याओं में से दंत समस्या एक है। साधारण लोगों की तुलना में मानसिक मंद बच्चों व प्रौढ़ व्यक्तियों में दंत स्वास्थ्य कम होता है। दंत स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए उन्हें देखभालकर्ताओं की सहायता व समर्थन की जरुरत है। यह अध्ययन संस्थान को आने वाले मानसिक मंद व्यक्तियों में दंत समस्याओं का अध्ययन करता है। इससे हमारे क्लाइंटों में पाये जाने वाले विभिन्न दंत समस्याओं संबंधी विवरण तैयार कर अच्छी दंत सेवाएँ प्रदान करने के लिए योजना बना सकते हैं।

2. आटीज्म सहित विभिन्न न्यूरोलॉजिकल अव्यवस्थाओं में बीटा एमीलाइड प्रीक्यूसर प्रोटीन का मालिक्युलर जेनेटिक अध्ययन

आई.सी.एम.आर. द्वारा अनुमोदित तथा अनुदान प्राप्त इस परियोजना में चार न्यूरोलाजिकल परिस्थितियाँ है अर्थात्, अलझीमीर डिसीज, डाउन्स सिन्ड्रोम, फ्रजैल एक्स सिंड्रोम तथा आटीज्म स्पेक्ट्रम अव्यवस्थायें, जिसमें एमीलाइड प्रीक्यूसर प्रोटीन का जीन वंशानुगत और चयापचयी है, उसमें जो दोष हो सकते हैं, उसका हाईपोथेसिस परीक्षण करना होता है। इस अध्ययन में ऐसी अवस्था वाले व्यक्तियों में ए.पी.पी.जीन के हॉटस्पाट में म्यूटेशन्स का परीक्षण किया जाएगा। इन चार प्रत्येक परिस्थितियों में डी.एन.ए. मरम्मत करने की क्षमता का भी परीक्षण किया जाएगा। क्योंकि, आटीज्म के केसेस बढ रहे हैं और यह घटित होने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, अत: यह अध्ययन आटीज्म के पैथोजेनेसिस में ए.पी.पी. व डी.एन.ए. मरम्मत की भूमिका को प्रकाश में लायेगा। डाउन्स सिन्ड्रोम, फ्रजैल एक्स सिंड्रोम तथा आटीज्म से ग्रस्त व्यक्ति जो राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान को आते है, उन्हें इस अध्ययन में लिया जाएगा।

4.1.2. चल रही परियोजनाओं का विवरण

4.1.2.1 संस्थान द्वारा वित्त पोषित परियोजनाएँ (5):

1. मानसिक मंदन के साथ या बिना मानसिक मंदन आटीजम से ग्रस्त बच्चों के संवेदनात्मक प्रक्रिया तथा अनुकूलन व्यवहार पर संवेदनात्मक एकीकरण की प्रभावात्मकता (एक तुलनात्मक अध्ययन):

आटीजम स्पेक्ट्रम अव्यवस्था से ग्रस्त बच्चों में संवेदी प्रक्रिया की दुष्क्रिया के मूल्यांकन के लिए साधन विकसित करने तथा संवेदी प्रक्रिया की दुष्क्रिया व नमूने को व्यावसायिक निष्पादन के बीच कोरिलेशन पर खोज करना इस परियोजना का उद्देश्य है।

इसका लक्ष्य यह भी है कि आटीजम स्पेक्ट्रम अव्यवस्थाओं से ग्रस्त बच्चों के लिए सेन्सरी इन्टग्रेशन थिरेपी मोडयूल विकसित करना। इस अध्ययन के परिणाम स्वरुप अभिभावकों व व्यावसायिकों के लिए एक पुस्तिका विकसित करने का भी उद्देश्य है।

2. क्लस्टर पर आधारित विस्थापन सेवा

क्लस्टर पर आधारित विस्थापन सेवा मानसिक मंद व्यक्ति व उनके अभिभावक/परिवार को समुदाय संसाधनों से संपर्क के योग्य बनाता है जो उनके पुनर्वास के लिए पहचाना गया और तैयार किया गया हो। अक्सर, बडे शहरों में सेवाएँ दी जातीहै। इस एक तरफीया अभिगम का सामना करने के लिए, एक समुदाय अभिमुखीकरण की आवश्यकता

है, ताकि अपने अपने जगहों पर समाज के कई लोगों को सेवाएँ उपलब्ध हो सकें। इस उद्देश्य के मद्देनजर क्लस्टर आधारित विस्थापन सेवा का प्रस्ताव रखा गया है।

3. पोस्ट सेकेन्डरी व प्री वोकेशनल विद्यार्थियों में कार्य क्षमताओं के मूल्यांकन के लिए टूल किट विकसित करना।

मानसिक मंद बच्चों मे कार्य क्षमताओं का मूल्यांकन एक व्यवस्थित ढंग से करने के लिए व्यापक टूल किट विकसित करना इस अध्ययन का उद्देश्य है। मूल्यांकन की प्रक्रिया को सरल बनाने तथा उसे और समुचित बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस क्षेत्र में कार्यरत् शिक्षक टूल किट को आसानी से प्रयुक्त कर सकेंगे। प्रशिक्षणार्थियों को यह अपने मूल्यांकन किट तैयार करने में एक संदर्भ के रूप में काम आयेगा तथा टी.एल.एम. तैयारी में दिशा निर्देशक होगा। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य, (क) मानसिक मंदन से ग्रस्त सेकेन्डरी व प्री वोकेशनल विद्याथियों के लिए कार्य क्षमता चेकलिस्ट विकसित करना, (ख) कार्य मूल्यांकन के लिए टूल किट विकसित करन। इस परियोजना का परिणाम (1) कार्य क्षमता मूल्यांकन के लिए चेकलिस्ट, (2) एक व्यापक टूल किट, होगा।

4. भारतीय बौद्धिक परीक्षण का विकास

बौद्धिक मूल्यांकन के लिए भारतीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त कई परीक्षण व साधन उपलब्ध हैं। इनमें से कई परीक्षण जटिल, एं अधिक समय लेने वाले हैं और इसके लिए उच्चतर प्रशिक्षण प्राप्त विशेषज्ञों की आवश्यकता है। ऐसे विशेषज्ञों की हमारे देश में बहुत कमी है। अत: मानसिक मंद व्यक्ति सरकार द्वारा दी जाने वाली रियायतों या सामाजिक सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। अत: इस अध्ययन का उद्देश्य भारतीय बौद्धिक परीक्षण का विकास करना है। ऐसे विकसित परीक्षण मानसिक मंदन से ग्रस्त व्यक्तियों के बौद्धात्मक स्तर के मूल्यांकन के लिये प्रयुक्त कर सकते हैं ताकि वे सरकारी रियायतें व सुविधाओं का लाभ उठा सकें। इस परीक्षण के द्वारा एक व्यक्ति की ताकत और कमजोरी के आधार पर अंतराक्षेपण कार्यक्रमों की योजना बनाने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है।

5. विकलांग व्यक्तियों के लिए सी.बी.आर. नमूने का विकास

समुदाय आधारित पुनर्वास विकलांग व्यक्तियों तथा उनके परिवार की मूल जरुरतों को पूरा करने के द्वारा तथा समुदाय में उन्हें सम्मिलित कर समान सहभागिता प्रदान करने के द्वारा उनके जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने पर केन्द्रित करता है। विकलांग व्यक्तियों और उनके परिवार को समर्थ बनाने के लिए एक बहु-सेक्टोरल कौशल के लिए सी.बी.आर. क्रियाकलाप 80 के दशक में आरंभ किये गये। परन्तु यह पाया गया कि ग्राम पंचायत स्तर पर ठीक आंकडों की कमी है। इस अध्ययन का उद्देश्य है - विकलांग व्यक्ति को पहचानना, विकलांगता की तीव्रता, परिवार की आर्थिक स्थिति, ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध सेवाओं के बारे में जानना। इस सूचना की देश भर के क्षेत्रीय तथा सांस्कृतिक विविधता के अनुसार सी.बी.आर. क्रियाकलापों के एक समरुप नमूने का विकास करने के लिए प्रयुक्त कर सकते है।

4.1.2.2 अन्य संगठनों के सहयोग से चल रही परियोजनाएँ (2)

6. विकलांग व्यक्तियों के लिए अनुकूलन ई-अधिगम अभिगम्यता नमूना

ई-अधिगम या ई-लर्निंग मानसिक मंद बच्चों को सीखने के लिए एक अत्यंत सुविधाजनक पद्धति मानी जाती है। परन्तु रुपरेखा सामग्री की अभिगम्यता से संबंधित विषयों पर प्रभावी रुप से नहीं बताया गया आर मानसिक मंद बच्चों के लिए यह एक टाल-मटोल वाला बनके रह गया है। ई-लर्निंग डोमैन में अभिगम्यता की विशेष रुप से अपनी ही कुछ माँग है जो सही क्रियान्वयन कौशलों तथा अभिगम्यता नमूनों द्वारा पूरी की जा सकती है। यह अध्ययन अल्प मानसिक मंद बच्चों तथा आटीज्म स्पेक्ट्रम अव्यवस्था वाले बच्चों की संज्ञानात्मकता तथा सीखने में कमियों पर ध्यान देते हुए मानसिक मंदन से ग्रस्त व्यक्तियों की सुगमता के लिए ई-अभिगम पर्यावरण तथा नमूना प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस परियोजना का लक्ष्य है- प्रभावी ई-लर्निंग पर्यावरण प्रदान करने के लिए मानसिक मंद बच्चों के शिक्षक तथा संगठनों के साथ नजदीकी तौर पर कार्य करना।

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सेन्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एड्वांस्ड कम्प्युटिंग (सी-डैक) इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इनफरमेशन टेक्नालजी डिपार्टमेंट (डीईआईटीवाई), संप्रेषण तथा सूचना प्रौद्योगिक मंत्रालय, भारत सरकार का एक अनुसंधान एवं विकास संगठन के सहयोग से चला रहा है।

7. प्रारंभिक बाल्यावस्था सम्मिलत शिक्षा के लिए पाठशाला तत्परता पैकेज

मौजूदा आरंभ पैकेज के संदर्भ में प्रीस्कूल करिकुलम के लिए मद सिफारिश पूरी की गई और पैकेज को संशोधित कर, पहले से आठवे महीने तक का बनाया गया। परियोजना युनसेफ द्वारा वित्त पोषित है।

4.1.2.3. शैक्षणिक समिति द्वारा 4.2.2014 को अनुमोदित नई परियोजनाएँ

8. पडोसी सहायक पद्धति पर सेवा प्राप्तकर्ताओं द्वारा सामाजिक पूँजी प्रयुक्त पद्धति-सेवा प्राप्तकताओं का उत्तर

व्यक्तियों एवं परिवारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समुदाय एक मूल इकाई है जो जटिल पद्धति है और सामाजिक संबंध एवं आर्थिक क्रियाकलापों से परस्पर जुडी हुई होती है। मानसिक मंद व्यक्तियों को साधारण समवर्ग वाले व्यक्तियों की तुलना में सामाजिक कुशलताओं को प्राप्त करने में कम अवसर मिलते हैं। इस परिस्थिति से में सामाजिक कौशलों की कमी के साथ साथ मानसिक मंदन की स्थिति भी जुड जाती है। इन विषयों की सीमाओं के मद्देनजर, सामाजिक पूँजी को सर्वोत्तम प्रयुक्त करने के लिए सेवाप्राप्तकर्ताओं की आवश्यकताओं को निपटाने के लिए सेवाकर्ताओं को तैयार करने के लिए यह अध्ययन किया जा रहा है। सेवाप्राप्तकर्ताओं के पड़ोसी सहायक पद्धति के संबंध में सामाजिक पूँजी के लाभ के बारे में अध्ययन करना वर्तमान अनुसंधान का उद्देश्य है।

9. बौद्धात्मक अक्षमता वाले व्यक्तियों को लैंगिक शिक्षा - अभिभावक, देखभालकर्ता एवं आई.डी व्यक्तियों के लिए अनुदेशात्मक पुस्तिका:

बौद्धिक अक्षम व्यक्ति भी यौन प्राणी है जिन्हें प्राकृतिक लिंग एवं लैंगिक विकास में सही ज्ञान और कुशलताओं में सहायता द्वारा उन्हें साधीकृत बनाना आवश्यक है ताकि वे लैंगिक पीडा से बचकर रह सकें। बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के अभिभावकों, देखरेखकर्ताओं, शिक्षकों एव बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों को इस विषय पर शिक्षा देने के लिए सरल सूचना का अभाव है। बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के लिए लैंगिक शिक्षा पर अनुदेशात्मक पुस्तिका तैयार करना इस परियोजना का उद्देश्य है।

इस परियोजना के अपेक्षित निष्कर्ष है कि-

क) आवश्क्ता विश्लेशण के लिए तीन मूल्यांकन चेकलिस्ट

ख) अभिभावकों, देखरेखकर्ताओं तथा बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के लिए अनुदेशात्मक मैनुअल

ग) अभिभावक व देखरेखकर्ता कार्यालय का दो खंडों में माड्यूल

10. अभिभावक - एक दूसरे के लिए के द्वारा पी.डबल्यु डी की साधिकारिता

''अभिभावक के लिए अभिभवाक'' एक ऐसा कार्यक्रम है जहाँ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अभिभावकों को भावुक सहायता करने के लिए आवश्यक सूचना दी जाती है। यह कार्यक्रम एक सरल पद्धति में शिक्षित तथा अनुभवी अभिभावक को बड़े ध्यान से समूहों में जोडकर या अन्य अभिभवाक जो विकलांग बच्चे के पालन पोषण में नयापन अनुभव करते हैं उन्हे एक दूसरे के साथ संबंध बनाने के द्वारा चलायी जाएगी। यह जोडने की प्रक्रिया विकलांगता की स्थिति या पारिवारिक पृष्ठभूमि की एक रुपता के आधार पर होगी। ऐसी ही एक विकलांग स्थिति है, मानसिक मंदन/ बौद्धात्मक अक्षमता। यह देखा गया कि, ज्यादातर मानसिक मंद व्यक्ति के अभिभावक अपने मानसिक विकलांग बच्चे के बारे में एक अनुभवी अभिभावक से सहायता मांगते है तो वे जागरुक्ता के स्तर, भरोसा, प्रशिक्षण अभिमुखीकरण तथा भावुक व नैतिक सहायता के आधार पर जुडे हुए रहते है। इस अध्ययन का उद्देश्य यह है कि अभिभावक के लिए अभिभवाक पद्धति के द्वारा अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण पैकेज तथा संसाधन पुस्तिका तैयार करें।

परियोजना के निष्कर्ष: बौद्धिक अक्षम बच्चों के अभिभावकों के लिए अनुदेशात्मक सामग्री के रूप में पुस्तकें और सी.डी।

4.2 अनुसंधान प्रकाशन

एन.आई.एम.एन. के संकाय सदस्यों द्वारा वर्ष 2013-14 के दौरान प्रकाशित अनुसंधान पेपर्स का विवरण **तालिका 4** में दर्शाया गया है।

तालिका 4 : संकाय सदस्यों द्वारा प्रकाशित किये गये लेख

पेपर का शीर्ष	जर्नल/प्रकाशक	प्रकशन वर्ष	लेखक का नाम
डेवलपमेंट एण्ड पर्सिस्टेंस आफ इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स इन ऐन अडल्ट वित मेंटल रिटार्डेशन: ए लांगीट्यूडिनल स्टडी	इंटर्नल रीसर्च जर्नल ऑफ हम्यूमौनिटीज एण्ड एन्विरानमेंटल इश्युस (आईआरजेएचईआई)	2013	लेखक डा. निबेदिता पट्नायक
पीयर टूयूटरिंग एट वर्क - चिल्ड्रन वित मेंटल रिटार्डेशन टीचिंग नंबर स्किल्स टु देयर पीयर्स (बुक)	लैप लैम्बर्ट अकाडमिक पब्लीशिंग	2013	सह लेखक डा. निबेदिता पट्नायक
प्रीनैटल, पेरीनैटल एण्ड नीयोनैटल रिस्क फैक्टर्स आफ आटीज्म स्पेक्ट्रम डिसार्डर: ए कामप्रहेन्सिव एपीडिमियोलाजिकल एसेसमेंट फ्रॉम इंडिया	रीसर्च इन डेवलपमेंट डिसबिलिटीज	2013	सह लेखक - ओमसाई रमेश
स्कोप आफ मैनेजमेंट रीसर्च इन डिसेबिलिटि रीहैबिलिटेशन	आरसीआई जर्नल, वाल्युम 7, नं 1 व 2, जनवरी-दिसंबर 2011, 2013 में प्रकाशित	2013	सह लेखक - टी सी. शिवकुमार

4.3 संगोष्ठी/सम्मेलन/कार्यशालाएँ

वर्ष के दौरान संस्थान के संकाय सदस्यों ने विभिन्न वैज्ञानिक अधिवेशन/कार्यशालाओं/संगोष्ठियों का संचालन किया/भाग लिया। विवरण **तालिका 5** में दर्शाया गया है।

तालिका 5: संकाय सदस्यों द्वारा संगोष्ठियों/सम्मेलनों में सहभागिता

क्र.	संकाय सदस्य का नाम	दिनांक	क्षेत्र	स्थान
1.	डॉ.बीनापानी मोहापात्र	2.4.2013	वर्ल्ड आटीज्म अवेरनेस डे	एन.आई.एम.एच., सिकंदराबाद
2.	डॉ. उषा ग्रोवर	29.4.2013	इम्पार्टेट इश्युस इन आटीज्म मैनेजमेंट	इन्डिया इंटरनेशनल सेंटर, लोदी रोड, नई दिल्ली, भारत
3.	श्रीमति मीणा पाहवा	29.4.2013	इम्पार्टेट इश्युस इन आटीज्म मैनेजमेंट	इन्डिया इंटरनेशनल सेंटर, लोदी रोड, नई दिल्ली, भारत
4.	श्री टी.सी. शिवकुमार*	11-12 जून 2013	सदर्न रीजनल वर्कशाप आन राइट्स् एण्ड एनटाइटिलमेंट्स् ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज	एन.आई.एम.एच., सिकंदराबाद
5.	श्रीमति वी.आर.पी. शैलजा राव*	15.6.2013 एवं 26.6.2013	स्टैंडरडाइजिंग ऑफ टीएलएम फार पर्सन्स् विथ इंटलेक्चुवल डिसबिलिटीज	नेशनल ट्रस्ट, नई दिल्ली
6.	डॉ. बीनापानी मोहापात्र*	30-31 अगस्त 2013	वर्कशाप फॉर क्रियेटिंग अवेरनेस ऑन डिसेबिलिटी इश्युस	कटक, ओडिशा

7.	डॉ. ऊषा ग्रोवर	6-7 सितम्बर, 2013	वर्कशाफ फॉर क्रियेटिंग अवेरनेस ऑन डिसेबिलिटी इश्युस फॉर नार्थर्न रीजन	एन.आई.वी.एच., देहरादुन
8.	डॉ. निबेदिता पटनायक*	11-13 सितम्बर, 2013	एक्जाम्प्लर मेटीरियल्स ऑन करीकुलम एडैप्टेशन्स् फ्राम दि पर्सपेक्टिव्स आफ इंक्लूजिव एजुकेशन बाय एन.सी.ई.आर.टी.	बेंगलूरु
9.	श्री टी.सी. शिवकुमार*	27 सितम्बर, 2013	एन.ई. कानफरेस्ं ऑन एम्पावरमेंट आफ पर्सन्स् विथ मल्टीपल डिसेबिलिटी बाय एन.आई.इ.पी.एम.डी.	गुव्हाटी
10.	डॉ.ओमसाई रमेश*	27 सितम्बर, 2013	एन.ई. कानफरेस्ं ऑन एम्पावरमेंट आफ पर्सन्स् विथ मल्टीपल डिसेबिलिटी बाय एन.आई.इ.पी.एम.डी.	गुवहाटी
11.	डॉ.ओमसाई रमेश*	19 सितम्बर 2013	वर्कशाप ऑन एक्ट्स् एण्ड पॉलसीस् फार दि वेलफेयर आफ पीडबल्युडी एण्ड सीनियर सिटिजन्स	डिसेबिलिटी वेलफेयर, गवर्नमेंट आफ ऑ.प्र., हैदराबाद.
12.	डॉ.जी. श्रीकृष्ण*	14 दिसम्बर 2013	सेमिनार ऑन अवेरनेस ऑफ लॉस लेजिसलेशन इन फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी	कर्नूल, ऑ.प्र.
13.	डॉ.ओमसाई रमेश	18-19 जनवरी, 2014	इंडो-आईरिश डायलॉग आन डिसेबिलिटी राइट्स्	सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्टडीज्, नलसार, हैदराबाद
14.	डॉ. ओमसाई रमेश*	23 जनवरी, 2014	विजुवल एसेसमेंट एण्ड इंटरवेंशन फॉर चिल्ड्रन विथ मल्टीपल डिसेबिलिटीज	एल.वी.प्रसाद आई इंस्टीट्यूट, हैदराबाद
15.	डॉ. उषा ग्रोवर	7-8 फरवरी, 2014	समिट ऑफ माइन्ड, नई दिल्ली	युएसआई आडिटोरियम, नई दिल्ली
16.	डा. उषा ग्रोवर	12.02. 2014	नेशनल कंसलटेशन आन इंक्लूजन ऑफ पर्सन्स विथ डेवलपमेंटल प्रोसेस्	डबल्यु, एच.ओ., नई दिल्ली
17.	डॉ. निबेदिता पट्नायक*	29-31 मार्च, 2014	नेशनल कांफरेंस ऑन आरटीई 2009	डिसेबिलिटी फाउन्डोन, अमिटी युनिवर्सिटी, नई दिल्ली
18.	श्रीमति वी.आर.पी. शैलजा राव*	16 अप्रैल, 2014	वर्कशाप ऑन बेस्ट प्रैक्टीसेस् एण्ड करंट ट्रैंड्स इन दि फील्ड आफ स्पेशल नीडस्	पांडीचेरी युनिवर्सिटी

*पेपर प्रस्तुत किया/संसाधन व्यक्ति के रूप में भाग लिया

अध्याय-5

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान के प्रकाशन

5.1 प्रकाशन

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान ने आरंभ से ही अपने नैदानिक तथा अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलापों के परिणामों को, पुस्तके, वीडियो फिल्में और सी.डी. के रुप में प्रकाशित करने की प्रथा को कायम रखा। इसके अलावा, प्रामाणिक स्त्रोंतों से प्राप्त सूचना को इकठ्ठा पर पैम्प्लेट व लीफलेट के रूप में प्रकाशित किया।

- दिनांक 31 मार्च, 2014 तक मौलिक प्रकाशनों की कुल संख्या 98 थी। संस्थान के प्रकाशनों को बढाने की प्रवृत्ती **रेखाचित्र 1** में दर्शायी गयी है।

रेखाचित्र-1: रा.मा.वि.सं. के प्रकाशन

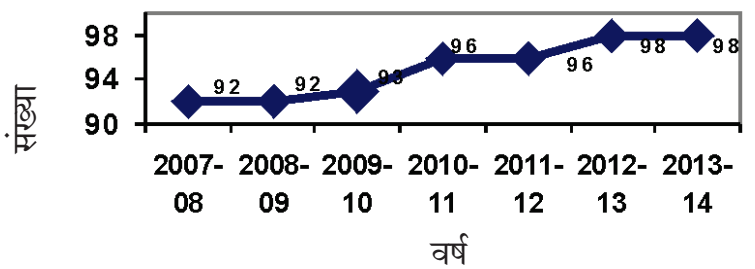

5.2 प्रकाशनों का वितरण:

संस्थान द्वारा प्रकाशित विभिन्न पुस्तकें व अन्य सामग्री के लिए कई स्रोतों से निवेदन प्राप्त होते है। इस सामग्री को नाममात्र शुल्क लेकर वितरित किया जाता है। वर्ष 2013-14 के दौरान एन.आई.एम.एच. के प्रकाशनों का वितरण **तालिका 6** मे दिया गया है।

तालिका 6: रा.मा.वि.सं. के प्रकाशनों का विवरण

क्र.सं.	शीर्षक	2012-13	2013-14
1	प्रकाशन (98 शीर्ष)	20474	7962
2	विडियो फिल्म (वीएचएस./सीडी फारमेट)	228	227
3	साफ्टवेयर	435	47

5.3 रा.मा.वि.सं. प्रकाशनों का डिजिटीकरण

संस्थान के प्रकाशनों को रा.मा.वि.सं. वेबसाईट पर अपलोड किया गया ताकि सभी उपयोगकर्ता इसका लाभ उठा सकें।

अध्याय-6

सेवा प्रतिमान

6.1 सेवा नमूने

मानसिक मंद व्यक्तियों को कई तरह की सेवाओं की आवश्यकता होती है जिससे कि, वे कार्यात्मक रूप से स्वतंत्र हों और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान मानसिक मंद व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाएँ प्रदान करता है। मानसिक मंदन से ग्रस्त व्यक्तियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के समुचित सेवा नमूनों का समावेश करते हुए वैयक्तिक अभिगम का प्रयोग कराना सामान्य बात है।

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान ने नवजात शिशु, बच्चों, युवकों एवं प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए जीवन चक्र के दृष्टिकोण के आधार पर अपनी विस्तृत सेवाओं को विकसित किया।

- आरंभ में ही विकलांगताओं की पहचान, प्रारंभिक अंतराक्षेपण तथा विकलांगता की रोकथाम
- विकासात्मक विलम्बों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने तथा बच्चे के विकास में तेजी लाना
- विद्यालय पूर्व शिक्षा
- विशेष शिक्षा कार्यक्रम
- पेशेवर प्रशिक्षण तथा नौकरी पर लगाना
- स्वतंत्र जीवनयापन के कौशल

''मनोरंजनम'' एवं बहु विकलांग बच्चों के लिए गहन संवेदी उत्तेजना प्रदान करने के लिए बहु संवेदी इकाई है जो, गंभीर तथा अति गंभीर मानसिक मंद व्यक्तियों की सेवाओं के लिए केन्द्रित है।

6.2 सामान्य सेवाएँ

केस वृतांत लेने, शारीरिक तथा चिकित्सीय परीक्षण, बौद्धिक तथा विकासात्मक मूल्यांकन, विशेष शिक्षा मूल्यांकन, चिकित्सापरक आवश्यकताओं का मूल्यांकन, व्यावसायिक मूल्यांकन तथा मूल बायोकेमिकल जाँच पडताल तथा परीक्षण जैसी सेवाएँ संस्थान प्रदान करता है। विस्तृत मूल्यांकन के उपरांत, प्रबंधन योजना तथा हस्तक्षेप पैकेजों का विकास किया जाता है। बच्चे की प्राकृतिक स्थिति तथा उसके कार्यात्मक स्तर के बारे में भावनात्मक समर्थ देते हुए अभिभावकों को परामर्श दिया जाता है। अपने बच्चे के प्रबंधन व पुनर्वास हेतु अभिभावकों को गृह आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा प्रदर्शन दिया जाता है। वर्ष 2013-14 के दौरान 9217 क्लाइंटों को राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान के मुख्यालय, सिकंदराबाद तथा क्षेत्रीय केन्द्र नई दिल्ली, कोलकाता तथा नवीं मुम्बई में देखा गया। वर्ष 2013-14 के दौरान परीक्षण किये गये क्लाइंटों का विवरण **तालिका 7** एवं **रेखाचित्र 2 व 3** में दर्शाया गया है। वर्ष 2013-14 में देखे गये क्लाईटों की संख्या वर्ष 2012-13 में देखे गये क्लाईटों की संख्या से 6% अधिक है।

रेखाचित्र 2: नए क्लाइंटों का पंजीकरण

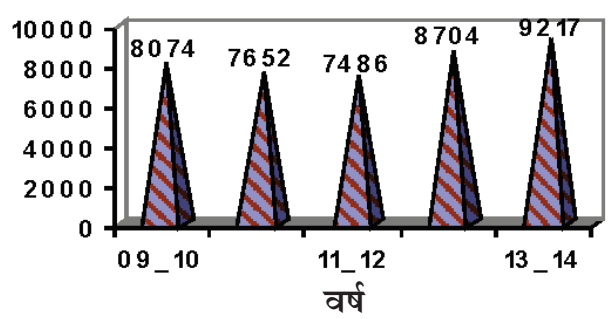

नए क्लाइंटों का पंजीकरण

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
2012-13	7738	8704
2013-14	8000	9217

तालिका 7: वर्ष 2012-13 के दौरान नए क्लाईटों को प्रदान की गई सेवाएँ

		2012-13 (N=8704)		2013-14 (N=9217)	
क्रियाकलाप		संख्या	%	संख्या	%
1	सामान्य सेवाएँ	8704	100.0	9217	100.0
2	चिकित्सा/मनश्चिकित्सा	5943	68.3	6117	66.4
3	ईआईएस/पीडियाट्रिक्स्	1503	17.3	1617	17.5
4	फिजियोथेरेपी	1943	22.3	3081	33.4
5	बायोकेमस्ट्री	2092	24.0	1996	21.7
6	स्पीच थिरेपी	3307	38.0	2670	29.0
7	ईईजी (इलेक्ट्राइनसेफालोग्राम)	278	3.2	333	3.6
8	बहुविधि अक्षमता	941	10.8	1020	11.12
9	पोषण	218	2.8	185	2.0
10	हाईड्रोथिरेपी	18	0.2	26	0.3
11	विशेष शिक्षा	6341	72.9	5572	60.5
12	पीएमआर	408	4.7	360	3.9
13	आटिजम/एल.डी	433	5.0	305	3.3
14	बहुविधि अक्षमता	109	1.3	131	1.4
15	सामूह क्रियाकलाप	221	2.5	133	1.4
16	मोबाईल/एचबीटी	131	1.5	175	1.9
17	मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन	7951	91.3	8691	94.3
18	व्यवहार परिवर्तन	5031	57.8	4882	53.0
19	अभिभवाक परामर्श	8704	100.0	8689	94.3
20	व्यावसायिक मूल्यांकन, मार्गदर्शन व परामर्श	616	7.1	609	6.6
21	व्यावसायिक मार्गदर्शन व सूचना	159	1.8	156	1.7
22	कार्यस्थल (वी.टी).	110	1.3	269	2.9
23	आक्युपेशन थिरेपी	2511	28.8	2688	29.2
24	संसाधन रुप (वीए)/धीमे सीखने वाले)	126	1.4	69	0.7
25	परिवार कुटीर	133	1.5	137	1.5
27	*अन्य	1284	14.8	1135	9.1

*एडीएचडी,आर्थोपेडिक, लो विजन, स्लो लर्नर्स, अभिभावकों को अभिमुखीकरण

रेखाचित्र 3 : वर्ष 2013-14 के दौरान सामान्य सेवाओं के मुख्यांश

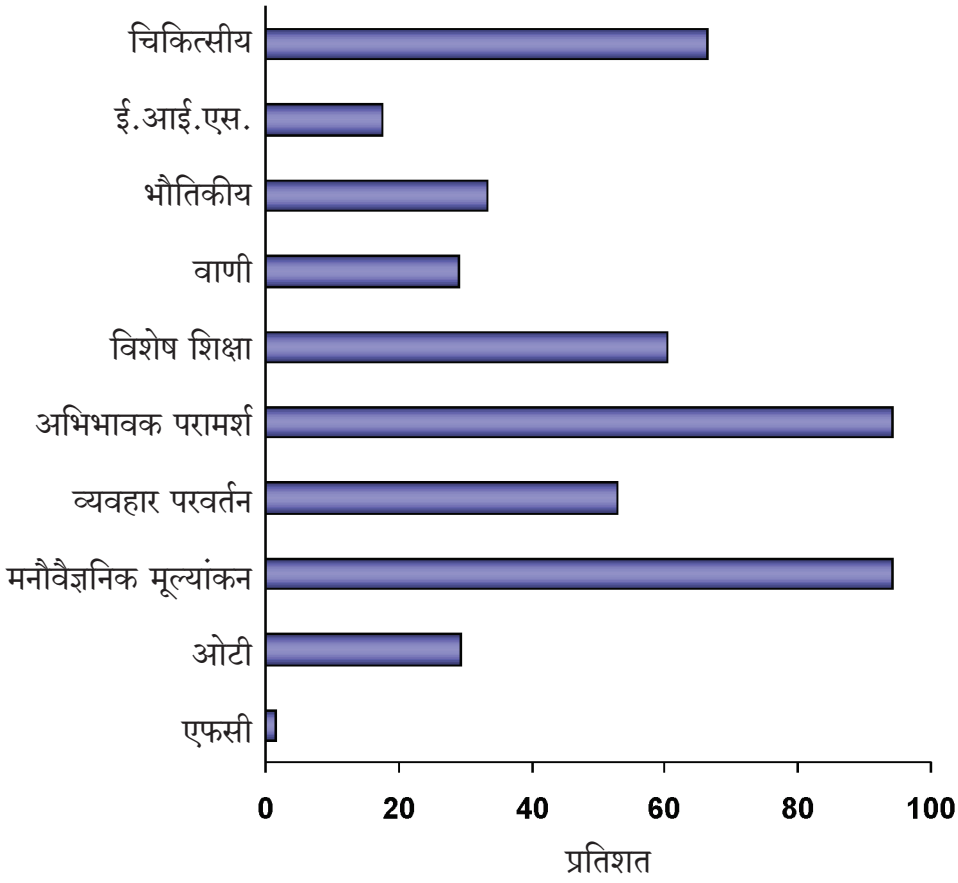

6.3 विशेष सेवाएँ

घर पर प्रबंध योजना विकसित करने के द्वारा गृह आधारित प्रशिक्षण के कार्यक्रम की ओर विशेष सेवाएँ लक्षित है। बाहर के स्थानों से आने वाले लोगों के लिए परिवार कुटीर की सुविधा उपलब्ध है। जहाँ कहीं आवश्यक हो, वहाँ सेवाएँ प्राप्त करने के लिए मरीजों को स्थानीय संस्थानों में परीक्षण कराने समुचित संदर्भ पत्र जारी किये जाते हैं जबकि, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान में आवधिक परामर्श जारी रहता है। विशेष सेवाओं का सीधे प्रशिक्षण, फोल्डर व पोस्टरों की आपूर्ति तथा नाममात्र की कीमत पर पुस्तकों की आपूर्ति के द्वारा अभिभावकों तथा परिवार के अन्य सदस्यों की सूचना एवं मार्गदर्शन हेतु प्रदर्शित किया जाता है । आवधिक अंतरालों में अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। इस वर्ष के दौरान 37,528 फालो अप क्लाईटों को सेवाएँ प्रदान की गई और वर्ष 2012-13 में देखे गये 1,32,475 विशेष सेवाओं की तुलना में इस वर्ष देखे गए फॉलो अप क्लाईंटों की संख्या 1,21,784 रही जिसका विवरण **तालिका 8** में दर्शाया गया है।

देखे गये अनुवर्ती क्लाईट

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
2012-13	1,00,000	1,32,475
2013-14	1,00,000	1,21,784

तालिका 8: वर्ष 2013-14 में फॉलोअप विशेष सेवाओं में देखे गए क्लाइंटो की संख्या

		2012-13 (N=41831)		2013-14 (N=37528)	
क्र.	क्रियाकलाप	संख्या	%	संख्या	%
1	मेडिकल/साइकियाट्री	15773	37.7	17331	46.2
2	प्रारंभिक अंतराक्षेपण सेवाएँ/बाल चिकित्सा	17029	40.7	17443	46.5
3	शारीरिक चिकित्सा	5536	13.2	5000	13.3
4	वाणी चिकित्सा	4348	10.4	3554	9.5
5	बहुविध अक्षमता	6125	14.6	3785	10.1
6	हाईड्रोथिरेपी	62	0.1	61	0.2
7	विशेष शिक्षा	15814	37.8	11539	30.7
8	पी.एम.आर.	2	0.0	0	0.0
9	आटीजम/एल.डी.	3138	7.5	2335	6.2
10	बहु संवेदी	3393	8.1	1243	3.3
11	कम्प्युटर सहायक अनुदेशक	3259	7.8	4409	11.7
12	समूह क्रियाकलाप	9078	21.7	9814	26.2
13	मोबाईल/एच.बी.टी.	1154	2.8	503	1.3
14	मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन	5237	12.5	5296	14.1
15	व्यवहार परिवर्तन	5526	13.2	8453	22.2
16	अभिभावक परामर्श	7944	19.0	9016	24.0
17	व्यावसायिक मूल्यांकन, मार्गदर्शन व परामर्श	65	0.2	10	0.0
18	वर्कस्टेन (वी.टी.)	17222	41.2	12693	33.8
19	व्यावसायिक चिकित्सा	6790	16.2	5321	14.2
20	रिसोर्स (वी.ए)/(स्लो लर्नर)	2028	4.8	1129	3.0
21	परिवार कुटीर	446	1.1	620	1.7
22	*अन्य	2506	6.0	2229	5.9
	कुल	**1,32,475**	**-**	**1,21,784**	**-**

* *आर्थोपेडिक्स्, न्यूरोलोजी, एन्डोक्राइनालजी, एडीएचडी, डेन्टल, लोविजन*

6.3.1. आयुर्विज्ञान/डॉक्टरी सेवाएँ

राष्ट्रीय मानसिक विकलाँग संस्थान में पंजीकृत रोगियों के मामले समान्य स्वास्थ्य मूल्यांकन और रोग विषयक निदान के उद्देश्य के लिए चिकित्सालयीन परीक्षण के साथ रोगी के व्यक्तिवृतांत लिये जाते हैं। डाक्टरी प्रबंधन विशिष्टता और आवश्यकता आधारित होता है तथा इसमें मिरगी, अति-गत्यात्मक बर्ताव, पौष्टिकता की कमियाँ, संक्रमण, हार्मोन संबंधी कमियाँ, मानसिक रोग जैसी सहसंबद्ध स्थितियो के बारे में सूचना देना और इलाज करना शामिल है। मिरगी, अति गत्यात्मक बर्ताव और मानसिक रोग की औषधियाँ कम-आयवाले परिवारों के मरीजों को मुफ्त दी जाती है। न्यूरोलोजी, आर्थोपेडिक, एन्डोक्रैनॉलोजी तथा पीडियाट्रिक संबंधी सेवाओं के लिए अन्य स्रोतों का प्रबंध किया गया है। आवश्यकतानुसार समुचित संदर्भ दिये जाते है।

6.3.2. भौतिक चिकित्सा सेवाएँ

यह एकक मानसिक मंदन के साथ-साथ प्रेरक मोटर समस्याओं जैसे प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, असामान्य प्रेरक प्रवृत्तियाँ, चलने-फिरने में असमर्थताएँ, संचलन की सामान्यताएँ, जन्मजात असामान्यताओं आदि से पीडित लोगों को आवश्यक सेवाएँ प्रदान करता है। चिकित्सीय मध्यस्थताएँ सारग्राही की प्रवृत्ति के होते हैं जिनमें व्यायाम, जल-चिकित्सा, भंगिमाओं और संचालन असमर्थताओं को सुधारने, चाल प्रशिक्षण और समग्र विकास में वृद्धि, प्रेरक प्रशिक्षण और व्यावसायिक उद्देश्यों के अनुरूप होती है।

6.3.3. प्रारंभिक अंतराक्षेपण सेवाएँ

प्रारंभिक अंतराक्षेपण सेवायें

प्रारंभिक अंतराक्षेपण सेवाएँ 0-3 वर्ष की आयु के ऐसे बच्चों को दी जाती है, जो जोखिम भरे और विकासात्मक विलंबों की समस्या से जूझते रहते है। ये सवाएँ रोकथाम, रेमिडियेशन और इन बच्चों के इलाज आर सर्वतोमुखी विकास पर ध्यान देती है। ये सेवाएँ बाल-केंद्रित और परिवार-उन्मुख होती है तथा बहुक्षेत्रीय रोग विशेषज्ञों के दल द्वारा प्रदान की जाती है। फिजियोथिरेपी, व्यावसायिक चिकित्सा, वाणी और भाषा चिकित्सा, बाल-विकास, बाल-विशेषज्ञ और मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और परिवार मध्यस्थता जैसी विशिष्टताओं से भरे इलाज ये सेवाये बच्चे को मिलती हैं। प्रारंभिक अंतराक्षेपण सेवाओं में, अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम अभिभवाक प्रेरणा कार्यक्रम, सामूहिक चिकित्सा, खेल-चिकित्सा, वैयक्तिक मार्गदर्शन और परामर्श जैसी सेवाएँ भी प्रदान की जाती है। आवश्यकतानुसार समुचित संदर्भ भी दिये जाते है यानी रोगियों को अन्य विशेषज्ञों के पास भी भेजा जाता है।

6.3.4 बायोकेमिस्ट्री सेवाएँ

राष्ट्रीय मानसिक विकलाँग संस्थान में डाक्टरी सेवाओं के सहारा देती बायोकेमिस्ट्री प्रयोगशाला है जो बायोकेमिकल अन्वेषण (काया रुपांतरण-स्क्रीनिंग), असमान्यताएँ एमिनोएसिडोफैथीस, ग्लायकोजेन स्टोरेज और म्यूकोपोलिएक्कारिडोसेज आदि जैसी मानसिक मंदन से संबंधित कायारुपांतरण या बायोकेमिकल संबंधी असामान्यताओं की पहचान करती है तथा यहाँ सामान्य स्वास्थ्य या शारीरिक स्थिति की जाँच करने नेमी बायोकेमिकल परीक्षण भी किये जाते है। इसमे रोग-निदान, इलाज, परामर्श और मानिटरिंग मे सहायता मिलती है।

6.3.5. वाणी चिकित्सा और श्रवण चिकित्सा सेवाएँ

वाणी और भाषा का विलंबित विकास मानसिक मंदन के प्रमुख लक्षणों में से एक है। अधिकांश बच्चों में श्रवण संबंधी विभिन्न दोष पाए जाते है। वाणी और श्रवण संबंधी सेवाओं की आवश्यकता वाले रोगियों की विस्तृत जाँच की जाती है। बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार वाणी और भाषा मध्यस्थता पैकेज विकसित किया जाता है। अभिभवाकों को मार्गदर्शन दिया जाता है कि वे व्यावसायिकों की सलाह के अनुसार घर पर ही अंतराक्षेपण करें।

6.3.6. इलेक्ट्रोमाईलोग्राफी (ईएमजी)

इलेक्ट्रोमाईलोग्राफी तंत्रिका अंत: शक्ति में एलेक्ट्रिकल परिवर्तनों को रिकार्ड करती है। यह मानसिक मंदन से ग्रस्त व्यक्तियों के संवेदी और प्रेरक तंत्रिका की स्थिति के क्रियात्मकता के बारे में सूचना प्रदान करती है। यह परावर्ती तंत्र के बारे में जानकारी हासिल करने में मदद देता है कि क्या तंत्रिकाएँ, रीढ़ की हड्डी, मस्तिष्क बाधित है जिसके आधार पर आगे के कार्यक्रम की योजना बनायी जा सकती है और जब एक बार तंत्रिका संवेदन, मॉसपेशियों की क्रियाशीलता और जोड़ों के हलचल की पहचान हो जाए तो तंत्रिकाओं की क्रियात्मकता की प्रेरणा के द्वारा इलाज किया जा सकता है।

यदि तंत्रिकाओं में संवेदनहीनता और संवेदनशीलता की कमी हो तो संवेदन प्रक्रिया को बार-बार दुहराने से संवेदन पुन: प्राप्त हो जाता है। यदि रीढ़ स्तरों पर प्रेरक तंत्रिका को क्षति पहुँची हुई हो, तो परावर्ती प्रक्रिया को दोहराते रहने से मॉसपेशी सिकुडन को बढ़ाया जा सकता है और इस प्रकार बारंबार मॉसपेशी सिकुडन मॉसपेशी शक्ति को विकसित करती है, जिससे जोडों की स्थिरता विकसित करने में सहायता मिलेगी।

6.3.7. इलेक्ट्रोएन्सीफैलोग्राम (ईईजी)

ई.ई.जी. सेवा में उपस्थित बच्चे

इलेक्ट्रोएन्सीफैलोग्राम (ईईजी) मौलिक क्रियाविधि है जिसे मस्तिष्क के क्रियाविज्ञान को समझने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह मस्तिष्क के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों की संरचना और क्रियात्मकता में दिखायी देने वाले रोगात्मक परिवर्तनों की पहचान करने में सहायता देता है। इस क्रियाविधि का मुख्य लक्ष्य मिरगी के दौरों के प्रकारों और मिरगी के विभिन्न लक्षणों का रोग निरुपण करना है। मानसिक मंदन के लोगों के किसी भी प्रकार के न्यूरोलोंजिकल (तंत्रिका विज्ञान) अभावों के व्यापक रोग-नैदानिक कार्यकलाप की आवश्यक क्रियाविधि ईईजी है । ईईजी का उपयोग इलाज की प्रभावशालिता का मूल्यांकन या मानिटर करने के लिए भी होता है। मिरगी के रोग को मिटाने के लिए दवाइयों देने के प्रकार और अवधि का निर्धारण करने मे ईईजी मदद देती है। मानसिक मंदन के लोगों में मिरगी का रोग (30%) अधिक होता है जबकि आम जनसंख्या में यह कम (1%) होता है।

6.3.8. बहु-अक्षमताओं से ग्रस्त लोगों के लिए सेवाएँ

मानसिक मंदन से ग्रस्त ऐसे बच्चे जी श्रवण-क्षति, दृष्टि क्षति और शारीरिक क्षति जैसी अतिरिक्त समस्याओं से पीड़ित हों तो इस सेवा में उनपर विशेष ध्यान दिया जाता है। बहु-विषयक व्यावसायिकों का दल व्यापक सेवाएँ प्रदान करता है। इन सेवाओं के लिए सप्ताह में एक दिन विशेष क्लिनिक रहती है।

6.3.9 पोषण

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान में सभी मामलों का मूल्यांकन उनकी पौष्टिक स्थिति के एन्थ्रोपोमैट्रिक मापनों (ऊँचाई और वजन) के उपयोग द्वारा किया जाता है। कुपोषण पहचान किये गये बच्चो को पौष्टिकता संबंधी सलाह दी जाती है।

6.3.10 जल-चिकित्सा (हाइड्रोथिरेपी) सेवाएँ

जल-चिकित्सा, मानसिक मंद व्यक्तियों और विशेषकर जोड़ों के दर्दों, सूजन, कडापन, मॉसपेशी कमजोरी और मस्तिष्क संस्तंभन से पीडित लागों के लिए लाभदायक इलाज का एकमात्र तरीका है। संस्थान, मानसिक मंदन से ग्रस्त आर विभिन्न शारीरिक समस्याओं से पीडित लोगों को जल चिकित्सा की सेवाएँ प्रदान करता है।

6.3.11 विशेष शिक्षा सेवाएँ

मानसिक मंदन से ग्रस्त बच्चों का, विभिन्न कौशलों, जैसे स्वयं सेवा कौशल, समग्र आर उत्तम प्रेरक कौशल, क्रियात्मक पढ़ने-लिखने के कौशल, समय, धन और तत्संबंधी संज्ञानात्मक कौशलों में, क्रियात्मकता के चालू स्तरों का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन की सभी अवस्थाओं, वैयक्तिक शिक्षा कार्यक्रम के आयोजन और आई.ई.पी. के कार्यान्वयन में अभिभावकों का दखल होता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में सीखने के लिए विभिन्न समुचित सहायता सामग्रियॉ और उपकरण उपयोग में लोया जेते है। कंप्यूटर में सहायता प्राप्त प्रशिक्षण माड्यूलों को भी प्रयोग में लाया जाता है। जरुरतमंद रोगियों को दी जानेवाली विशेष शिक्षा सेवाओं की कुशलता को और अधिक गतिशील बनाने कंप्यूटरर से सहायता प्राप्त प्रशिक्षण माड्यूलों का उपयोग किया जाता है।

6.3.12. मनोरंजनम-अति गंभीर मानसिक मंदन से ग्रस्त लोगों के लिए संसाधनकक्ष

यद्यपि मानसिक मंदन से ग्रस्त लोगों के लिए इन वर्षों में सेवा कार्य्रकमों में बहुत वृद्धि हुई है, परंतु बहुत ही कम संगठन है जो गंभीर मानसिक मंदन से ग्रस्त लोगों को सेवाएँ प्रदान करते है। गंभी मानसिक मंदन से गस्त लोगों को अधिक विशिष्ठ सेवाओं और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए कार्मिकों की जरुरत होतीहै, क्योंकि गंभीर मानसिक मंदन से ग्रस्त अधिकांश बच्चे कुछ शारीरिक अक्षमताओं से और कुछ मानसिक मंदन के अलावा मिरगी के रोग से पीडित होते है। फिर भी, अति गंभीर मानसिक मंदन से ग्रस्त बच्चों की शिक्षा पर किये गये अनुसंधान अध्ययन यह सूचित करते है कि प्रणालीबद्ध प्रशिक्षण दिया जाए तो गंभीर मानसिक मंदन बच्चे भी कुछ हद तक किसी पर आश्रित रहे बिना मौलिक कौशल कीइ लेने योग्य होते है। इसके परिप्रेक्ष्य में संस्थान ने वर्ष के दौरान मनोरंजनम नामक एक संसाधन कक्ष आरंभ किया है जिसमें गंभीर मानसिक मंदन से ग्रस्त बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

6.3.13. आत्मविमोह और मानसिक मंदन

यह अनुमान लगाया गया है कि मानसिक मंदन से ग्रस्त 75% लोगों में आत्म-विमोह होता है। मानसिक मंदन से ग्रस्त बच्चों के स्कूलों में मानसिक मंदन और आत्म-विमोह से ग्रस्त बच्चे होते हैं, यह आवश्यक है कि शून्य अस्वीकृति के लिए उन्हें समुचित शिक्षण सेवाएँ प्रदान की जाएँ । इस बात को दृष्टिगत रखते हुए आत्मा-विमोह और मानसिक मंद लोगों के लिए खास तौर की सेवाएँ शुरू की गयी हैं। परियोजना स्टाफ को आत्मविमोह के बच्चों को संभालने का प्रशिक्षण दिया गया है ताकि हरेक बच्चे पर ध्यान दिया जाकर आईईपी को कार्यान्वित किया जा सकें व छोटे छोटे वर्गों के लिए अनुदेश कार्यक्रम चलाए जा सके। इसके अलावा वे नियमित स्कूलों और विशेष स्कूलों के टीचरों को परामर्श समर्थन प्रदान करें। ये बच्चे मानसिक मंदन और आत्मविमोह से ग्रस्त बच्चों के लिए सेवा मॉडल्स नाम की परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, में प्रशिक्षण पा रहे हैं इसके अलावा उन्हें विशेष स्कूलों और नियमित स्कूलों में प्रवेश दिया जा रहा है ताकि, उन्हें सामूहिक अनुभव भी मिले।

6.3.14. मानसिक मंदन और संवेदी अक्षमताएँ

मानसिक मंदन के साथ-साथ दृष्टि और/या श्रवण की अक्षमताओं से ग्रस्त बच्चों को सामूहिक प्रशिक्षण के अलावा विशेष शिक्षा की भी आवश्यकता होती है। यद्यपि उनमें दृष्टि और श्रवण दोनों ही संवेदनों की अक्षमता होती है, उनके लिए प्रशिक्षण पद्दतियों और सामग्रियों के अनुरुप होने की आवश्यकता है। इस बात को नजर में रखते हुए ही ऐसे बच्चों के लिए विशिष्ट सेवाएँ आरंभ की गयी। ये बच्चे अपनी कक्षा के अलावा अपने-प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा वैयक्तिक ध्यान पाते हैं। उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्यावरणिक परिवर्तन/संशोधन किये जाते हैं। इस अनुभव के परिणाम स्वरुप राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान ने वाइस एंड विजन टास्कपोर्स के सहयोग के बधिरता और अंधत्व के लिए एक मैन्युअल विकसित किया है।

6.3.15 कम्प्यूटर-सहायता से अनुदेश

कम्प्यूटर सहायक निर्देशिका का उद्देश्य है मानसिक मंद बच्चों मे शैक्षणिक कौशल सिखाने में बढ़ावा देना, साथ ही साथ बच्चों को कम्प्यूटर चलाने की तकनीक सिखाना जिससे कि, वे अवकाशकालीन क्रियाक्लापों में साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर का प्रयोग करने में समर्थ हो सकें।

विशेष शिक्षा विभाग ने मानसिक मंदन से ग्रस्त लोगों के लिए 6 साफ्टवेयर पैकेज विकसित कराये है। इन पैकेजों के शीर्षक मेरा देश, सामुदायिक उपयोगिता, स्वास्थ्य एवं संरक्षा, जीवित-अजीवित, साक्षरता और न्यूमेरेसी जो शैक्षिक सीखने की प्रक्रिया को बेधते हैं। संस्थान में पंजीकृत लोगों को नियमित सेवाएँ दी जाती है और विशेष स्कूलों के विद्यार्थियों को कंप्यूटर और उसके उचित साफ्टवेयर के प्रति उन्हे जानकारी दिलाकर उनकी पहुँच के भीतर लाते है। मानसिक मंदन के साथ-साथ न्यूरोमोटर की समस्या से ग्रस्त होने पर उनके लिए अनुरूपणों सहित कंप्यूटर के साफ्टवेयर और हार्डवेयर पेरिफरल्स विकसित किये गये, जो उनके लिए सरल हैं।

6.3.16 सामूहिक क्रियाकलाप

सामान्य सेवाओं द्वारा संदर्भित किये गये मानसिक मंद बच्चों को उनके विशषे शिक्षा केन्द्र में नियमित प्रवेश पाने तक संस्थान सामूहिक सेवाएँ प्रदान करता है। ये सेवाएँ दोपहर में तीन प्रकार की आयु समूहों को प्रदान की जाती हैं।

6.3.17 मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान में पंजीकृत सभी मामलों का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन किया जाता है जिसमे विकासात्मक मूल्यांकन, बौद्धिक मूल्यांकन तथा अनुकूली व्यवहार मूल्यांकन शामिल होते हैं। मंदन के स्तर का निश्चयन करने के लिए विभिन्न परीक्षण किये जाते है। मूल्यांकन के आधार पर वैयक्तिक अंतराक्षेपण कार्यक्रम बनाया जाता है। शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रयोजनों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा रोजगार हेतु तथा सरकार द्वारा दी जाने वाले सुविधाओं एवं रियायतों का लाभ प्राप्त करने के लिए मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन रिपोर्ट दी जाती है।

6.3.18 व्यवहार परिर्वतन सेवाएँ

इस सेवा के अंतर्गत मानसिक मंदन से ग्रस्त ऐसे लोगों को लिया जाता है जो अवज्ञाकारी, सिर पीट लेने वाले, स्वयं को दॉतों से काटलेने वाले, अपने आप को घायल कर लेने वाले, अत्यधिक रोने वाले और अन्य विभिन्न समस्याओं से घिरे होते हैं।

व्यवहार समस्याओं की आवृति और गंभीरता के विस्तृत मूल्यांकन के बाद, कार्यात्मक विश्लेषण द्वारा ऐसे व्यवहारों के कारणों का पता लगाया जाता है। कार्यक्रम विकसित करके उपयुक्त मध्यस्थता करने के अनुदेश अभिभावकों को दिये जाते हैं, ताकि, लक्ष्य व्यवहार पर वे नजर रखें। प्रगति जानने के लिए नियमित अंतरालों से अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम को बढ़ाना देने के लिए, संस्थान ने पोली फिजियोग्राफ (जिसे अक्सर लाई डिटेक्टर के नाम से जाना जाता है) ले लिया, जिससे बायोफीडबैक तकनीक का सफलता पूर्वक उपयोग किया जा सकता है जो कि विभिन्न केन्द्रीय तथा श्रवणीय तंत्रिकी क्रियाओं के मूल्यांकन के लिए उपयुक्त होगा और इसे नियंत्रण में रखने के लिए चिकित्सा दी जा सकती है।

6.3.19. अभिभावक परामर्श सेवाएँ

अभिभावकों द्वारा व्यक्त की गयी गलतफहमियों को दूर करने के साथ-साथ मानसिक मंदन की प्रकृति समझने और जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में बच्चे की जरुरतों को पूरा करने उन्हें मार्गदर्शन दिया जाता है। अभिभावकों की अपेक्षाओं के अनुरुप पारिवारिक व्यवस्था मे बच्चे के संतोषजनक विकास को प्रोन्नत किया जाता है। परिवार में मानसिक मंद व्यक्ति के साथ निर्वाह करने के लिए अभिभावकों की भावनात्मक समस्याओं को भी सुलझाया जाता है।

6.3.20 व्यावसायिक प्रशिक्षण

मानसिक मंदन से ग्रस्त लोगों के सामाजिक-आर्थिक पुनर्वास को व्यावसायिक प्रशिक्षण और नौकरी दिलवाकर प्रोन्नत किया जाता है। मानसिक मंदन से ग्रस्त प्रौढ़ों को आरंभ में जातीय प्रशिक्षण और तत्पश्चात नौकरी पर रखवाया जाता है। ये जॉब प्रशिक्षण मरीजो के अनुसार भिन्न-भिन्न होते है। नौकरी भी उसके निवास स्थान के आसपास ही दिलवाई जाती है। मरीज को दीर्घ कालिक समर्थन तब तक दिया जाता है जब तक कि वह नौकरी के स्थल पर स्वतंत्र रूप से काम न कर लें।

6.3.21 मानसिक मंद लोगों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्य स्टेशन

मानसिक मंदन से ग्रस्त लोगों को विशेष शिक्षा प्रदान करने के लिए देश में लगभग 1000 संगठन है। ये संगठन 5-18 वर्ष की आयु के लोगों को शैक्षणिक सेवाएँ प्रदान करते है। स्कूल की पढ़ाई समाप्त करने के बाद व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवसर कम ही हैं। कुछ व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों में अधिकांश आश्रय आधारित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस तरह प्रणालीबद्ध और नियमित प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम नही है। व्यावसायिक प्रशिक्षण की प्रक्रिया को सुधारने के लिए रा.मा.वि.सं. ने वर्कस्टेशनों की शुरुआत की ताकि मानसिक मंदन से ग्रस्त लोगों को चरणबद्ध प्रशिक्षण मिले। मानसिक मंद

डेयल में व्यावसायिक प्रशिक्षण क्रियाकलाप

लोगों के जातिगत कौशलों के मूल्यांकन के बाद, एक प्रबंधकीय योजना बनायी जाए ताकि संज्ञानात्मक प्रेरक, संचार और सामाजिक क्रियाकलापों को प्रेरित कर उन्हें अलग=अलग वर्कस्टेशनां में रखा जाएगा। आरंभ में वर्कस्टेशनों में मानसिक मंद व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के सेटिंग काम करने के लिए दिये जाएँगे ताकि उनके कौशल और कार्य व्यवहार विकसित हो। जातिगत कौशल, विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण और स्वतंत्र कौशल प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा करने के छह महीने बाद प्रशिक्षार्थियों को खुला/समर्थक/स्वयं समर्थक/आश्रित रोजगार दिया जाता है। जब वे प्रशिक्षण में ही होते हैं तो अभिभावकों को भावी प्लेसमेंट की सूचना दी जाती है।

व्यावसायिक मूल्यांकन, मार्गदर्शन तथा परामर्श एंव कार्यस्थानों से संबंधित व्यावसायिक प्रशिक्षण सेवाएँ प्रदान की जाती है। संस्थान के प्रौढ़ स्वजीवन विभाग में कुल 162 प्रौढ़ मानसिक मंद व्यक्तियों ने इन सेवाओं का लाभ उठाया, लिंग-वार विवरण **तालिका 9** में दिये गये है।

तालिका-9: डेयल में व्यावसायिक प्रशिक्षण सेवाओं का लिंग वार-विवरण

लिंग	व्यावसायिक मूल्यांकन, मार्गदर्शन तथा परामर्श	व्यावसायिक प्रशिक्षण (कार्य स्थल)
पुरूष केसों की संख्या	67	66
महिला केसों की संख्या	19	10
कुल	86	76

व्यावसायिक प्रशिक्षण (स्वतंत्र कुशलता प्रशिक्षण) के तीसरी पारी मे रा.मा.वि.सं. के विभिन्न विभागों में प्रशिक्षक क्लाईटों को रोटेशन के आधार पर समर्थ सेवाअें के रूप में विभागीय आवायकताओं को बढाने के लिए विस्थापित किया गया है। केस में कान्ट्रैक्ट स्टाफ द्वारा किये जाने वाले कार्य जैसे, सब्जी काटने में सहायता के लिए भी प्रशिक्षक क्लाइंटों को नियुक्त किया जाता है। इसे कान्ट्रैक्ट स्टाफ को अन्य मुख्य कार्यों में लगाया जा सकता है जबकि प्रशिक्षक क्लाइंटें को एक विशेष कार्य को व्यवस्थित ढंग से करने का प्रशिक्षण मिला है।

विभाग में पंजीकृत सभी क्लाईटों को स्थान देने के लिए, जेनेरिक स्किल फेज को जेनेरिक स्किल 1, 2 तथा 3 में बाँटा गया।

प्रशिक्षक क्लाईटों द्वारा कार्य स्टेशन में तैयार की गई वस्तुएँ जैसे, स्क्रीन प्रिंटिंग, फोटोकापी, स्टोनरी सामग्री (लिखने के पुस्तक, फाइल पुस्तक, आदि) तथा आफसेट प्रिंटिंग संस्थान में दैनिक कार्य में प्रयुक्त किये जा रहे है।

अन्य वस्तुएँ, जैसे ग्रीटिंग कार्ड, ग्लास पेन्टिंग, साफ्ट टॉय, दस्तकारी कार्य आदि, संस्थान में आने वाले व्यक्तियों द्वारा खरीदे जाते है या संस्थान में ही वाल डेकोरेशन के लिए या अतिथियों को ज्ञापिका के रूप में प्रदान करने के लिए प्रयुक्त किये जाते है। इस आदान प्रदान में हुई आय मे से कुछ भाग उन प्रशिक्षणार्थियों को उनके प्रयासों के पुनर्बलन के रूप में दिया जाता है।

6.3.22 लेन-देन प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रौढ़ स्वजीवनयापन विभाग ने ट्रैन्सैक्शन ट्रैनिंग नामक एक नया प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया । इस कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, संस्थान के कैम्पस के पास एक पोर्टबल काउन्टर (डेमो टेन्ट) खोला । व्यावसायिक अनुदेशकों की सहायता से वयस्क मानसिक मंद व्यक्ति व्यावसायिक प्रशिक्षण के विभिन्न उत्पादनों जैसे साफ्ट टायस, चाकलेट, कला और शिल्पकारी वस्तुयें, ग्रीटिंग कार्ड, आदि को बढावा देने के लिए इस डेमो टेन्ट में प्रदर्शित करते है। इस क्रियाकलाप के द्वारा, मार्केटिंग, सामाजिकीकरण, पैसो का लेनदेन, सामाजिक कौशल, संप्रेषण कौशल, आदि जैसी मूल आवश्यकताओं को समझ सकते है।

6.3.23 व्यावसायिक चिकित्सा

मानसिक मंदन और संबद्ध स्थिति और अन्य व्यापक विकासीय अक्षमताओं से पीडित लोगों की जरुरतों को व्यावसायिक चिकित्सा एकक पूरा करता है। यह सेवा मुख्य रूप से निष्पादन घटकों को विकसित करने, विशिष्ट संवेदी अवयवों को सुधारने, प्रेरक, संज्ञानात्मक, बोधात्मक कौशलों को विकसित कर स्वंतंत्र रूप से जीना सिखाता है। जिन मरीजों को इस सेवा की जरुरत होती है, उनका विस्तृत मूल्यांकन और विशिष्ट मध्यस्थता व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। जिनको सहायक या अनुरूप उपकरणों की आवश्यकता होती है, उन्हें समुचित केन्द्रों में भेजा जाता है। देखरेखकर्ताओं को उसी वातावरण में मध्यस्थता करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान किया जाता है।

6.3.24 जेनेटिक चिकित्सालय

उन अभिभावकों को जिनको यह संदेह होता है कि क्या उनके अगले बच्चे में ऐसे ही जातीय या जन्मजात त्रुटियाँ होंगी ऐसे लोगों को परामर्श सेवा, यहाँ प्रदान की जाती है। बायोकेमिकल, क्रोमोसोमल और साइटोजेनेटिक जाँच की रिपोर्ट रोगियों को सहयोगी संस्थाओं में जैसे इंस्यीटयूट ऑफ जेनेटिक्स, सीडीएफडी और सेंटर फॉर सेल्युलर बायालोजी, हैदराबाद को भेजकर परिणाम मँगाये जाते हैं। मेडिकल डाक्टर और जेनेटिक विशेषज्ञों की एक टीम परामर्श सेवाएँ प्रदान करती है।

6.3.25. राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संस्थान की परीक्षाओं के लिए खुली मौलिक शिक्षा प्रदान करने हेतु संसाधन कक्ष

रोष्ट्रीय खुली शिक्षा संस्थान ने सारे देश में प्रसिद्ध संस्थाओं के जरिए दूरस्थ शिक्षा पद्धति द्वारा खुली मौलिक शिक्षा कार्यक्रम शुरु किया है। अधिकांश बच्चे जो हल्के मानसिक मंदन और सीमा रेखा की बुद्धि लिये होते है, विशेष स्कूलों में ठीक तरह से न जम पाने के कारण सही शिक्षा सुविधा न पाकर नियमित शिक्षा के समकक्ष चलने में कठिनाई महसूस करते है। ये बच्चे राष्ट्रीय खुली शिक्षा संस्थान के सीखने को सरलीकृत कार्यक्रम के कारण रा.खु.शि. संस्थान में खुली मौलिक शिक्षा का लाभ उठा पाते है। इससे विशेष स्कूलों और नियमित स्कूलों के बीच का अंतर भी पट जाएगा। इस बात के मद्देनजर, बोर्डर लाईन और अल्प मानसिक बंद बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए संस्थान ने एक संसाधन कक्ष की स्थापना की और ये बच्चे राष्ट्रीय खुली मौलिक शिक्षा कार्यक्रम में भाग लेकर अर्हता प्राप्त कर सकते है।

मानसिक मंदन तथा अधिगम समस्यावाले प्राइमेरी स्तर के विद्यार्थियों के लिए रा.मा.वि.सं.ने विशेष कोचिंग कक्षाएँ चलाई। वर्ष 2013-14 के दौरान इस कार्यक्रम द्वारा कई बच्चों ने लाभ उठाया।

6.4 परिवार कुटीर सेवाएँ

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान में दूर-दराज के स्थानें से आनेवाले परिवारों के लिए परिवार कुटीर व्यवस्था उपलब्ध है। परिवार कुटीरों मं 12 इकाइयाँ राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद में उपलब्ध है। प्रत्येक इकाई में कम से कम 6 सदस्यों को रहने की सुविधा मिल सकती है। प्रत्येक इकाई में एक रसोई और वाश रुम है। जबकि परिवार कुटीरों में रहने वाले संस्थान में ही एक मानसिक मंदन व्यक्ति के अभिभावकों द्वारा चलाई जा रही कैन्टीन की सुविधा से लाभ उठा सकते है, वे परिवार कुटीर में रखे गये बर्तन, गैस आदि का उपयोग कर सकते है। यहाँ वे दो सप्ताह तक रहकर व्यावसायिक तथा प्रशिक्षण सेवाएँ तथा कौशल प्रशिक्षण, व्यक्तिगत परिवार परामर्श, समस्या

मुख्यालय के परिवार कुटीर

व्यवहार का प्रबंधन, वाणी-भाषा चिकित्स, डाक्टरी सलाह, फिजियोथेरपी, मनोरंजन क्रियाकलाप और उनकी जरुरत की अन्य सहायताएँ प्राप्त कर सकते है। ये कुटीर अभिभवाकों को उनके दैनिक जीवन से दूर हटकर अपने बच्चों की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करवाते है।

वर्ष 2013-14 के दौरान परिवार कुटीरों के उपयोगकर्ताओं की संख्या 396 है। रहने की औसत अवधि प्रत्येक परिवार के लिए पाँच दिन थी। परिवार कुटीरों मे प्रदान की गई सेवाओं का विवरण **तालिका 10** में दर्शाया गया है।

तालिका: 10: लिंग और आयु पर आधारित परिवार कुटीर मे निवास किए गए क्लाईटों की संख्या

आयु वर्ष में	कुल क्लाईट	प्रतिशत	पुरुष	प्रतिशत	महीलाएँ	प्रतिशत
0-3	59	14.9	29	11.1	30	22.2
4-6	88	22.2	63	24.1	25	18.5
7-9	81	20.5	54	20.7	27	20.0
10-14	101	25.5	75	28.7	26	19.3
15-18	33	8.3	20	7.7	13	9.6
>18	34	8.6	20	7.7	14	10.4
कुल	**396**	**100.0**	**261**	**100.0**	**135**	**100.0**

6.5 विशेष शिक्षा केन्द्र

विशेष शिक्षा केन्द्र के प्रशिक्षण क्रियाकलाप

विशेष शिक्षा केन्द्र संस्थान के मानव संसाधन विकास के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रयोगशाला की तरह सेवा प्रदान करता है । विशेष शिक्षा केन्द्र सेवा पूर्व और सेवारत प्रशिक्षणार्थियों को व्यावहारिक रूप से विषयों की जानकारी प्रदान

करने की प्रयोगशाला के रूप में कार्य करने हेतु स्थापित किया गया है। केन्द्र में 3 से 18 वर्षों के बीच की आयु के बच्चों सहित विभिन्न स्तरों के 133 मानसिक मंदन से ग्रस्त बच्चों को दाखिल किया गया जिनमें अल्प और गंभीर मानसिक मंदन से ग्रस्त बच्चे भी है। यहाँ प्रारंभिक बाल्यवस्था विशेष शिक्षा से लेकर पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षण की दस कक्षाएँ है। इसके अलावा अतिरिक अक्षमताओं जैसे आत्मविमोह और संवेदी क्षतियों से ग्रस्त बच्चों के लिए अति गंभीर रूप से ग्रस्त मानसिक मंद के लिए तथा खुला मूल शिक्षा कार्यक्रम के लिए चार विशिष्ट एककों की स्थापना की गई है ताकि यह देखा जा सके कि सभी स्तरों के मानसिक मंद बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिया जाए और प्रशिक्षणार्थियों को उन तमाम प्रकार के बच्चों की जानकारी हासिल हो सके।

नियमित स्कूल के अलावा, सामान्य सेवाओं से रेफर किये गये नई क्लाईंट जिन्हे विशेष शिक्षा केन्द्र के नियमित सेवाओं के लिए प्रवेश नहीं मिला, उनके लिए समूह क्रियाकलाप सेवाएप्रदान की जाती है। ये विद्यार्थी बच्चे के आवश्यकतानुसार तथा अभिभावकों की सुविधानुसार क्लासरूम टीचर द्वारा दिये गये समय के अनुसार सेवाओं में उपस्थित होते है। विशेष शिक्षा केन्द्र द्वारा प्रदान किये गये सेवा क्रियाकलाप **तालिका 11** में दिये गये है।

तालिका 11: रा.मा.वि.सं. सिकन्दराबाद में विशेष केन्द्र में दी जाने वाली सेवाएँ

क्रसं.	सेवाएँ	नये			अनुवर्ती			कुल
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	योग
1	समूह क्रियाकलाप	104	57	161	3731	1620	5351	5512
2	आत्मविमोह ईकाई	17	4	21	590	55	645	666
3	बहु संवेदी ईकाई	-	-	-	-	-	-	-
4	सी.ए.आई.	-	-	-	-	-	3011	3011

विशेष शिक्षा केन्द्र के अन्य क्रियाकलाप

- राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के उपलक्ष्य में एस.ई.सी. के विद्यार्थियों ने 18.11.2013 को कला क्रियाकलापों में भाग लिया।
- सी.एच.ए.आई., सिकंदराबाद द्वारा 8 फरवरी, 2014 को आयोजित खेल-कूद प्रतियोगिता में 50 विद्यार्थियों ने भाग लिया।
- इनचियान स्ट्रैटजीस पर 20 व 21 फरवरी, 2014 को आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में एस.ई.सी. के विद्यार्थियों ने भाग लिया।
- एस.ईसी. के विद्यार्थियों ने 365 निर्माण तथा स्पेश ओलम्पिक्स भारत, सिकंदराबाद द्वारा 11 जुलाई, 2014 को आयोजित ड्राइंग प्रतियोगिता मे भाग लिया।
- राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान के वार्षिक दिवस के उपलक्ष्य में 22 फरवरी 2014 को नियमित स्कूल के साथ विशेष शिक्षा केन्द्र के विद्यार्थियों के लिए समाविष्ट खेल-कूद का आयोजन किया गया। इन खेलकूद प्रतियोगिताओं में तीन नियमित स्कूल के विद्यार्थियों ने विशेष बच्चों के साथ भाग लिया।

- विशेष शिक्षा केन्द्र के विद्यार्थियों ने वार्षिक खेल-कूद प्रतियोगिताओं में भाग लिया एवं पुरस्कार प्राप्त किये।
- राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान 3 दिसम्बर, 2013 को एन.आई.एम.एच. से हसमतपेट तक प्रदर्शन (मार्च) का आयोजन किया और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया।
- वरंगल को 6 व 7 फरवरी 2014 को तथा गोवा को 19 से 24 मार्च, 2014 को एस.ई.सी. के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक दौरे का आयोजन किया गया।

6.6 अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का लक्ष्य अपने बच्चों की देखरेख और प्रबंधन और प्रशिक्षण में लगे अभिभावकों के बीच एक-दूसरे को आपसी समर्थ और विचारों और सूचना के आदन-प्रदान के लिए अभिभावकों को इस कार्यक्रमें सम्मिलित करना है। प्रसंगाधीन वर्ष के दौरान कुल 145 अभिभावक प्राीण कार्यक्रमों के जरिए 2330 अभिभावक लाभान्वित हुए । इसमें मास्टर प्रशिक्षक कार्यक्रम के अभिभावक भी सम्मिलित है।

6.7 राहत देखभाल सेवाएँ

राहत देखभाल एक अल्कापलीन देखभाल कार्यक्रम है जहाँ मानसिक मंद बच्चों के परिवार अपने दैनिक जीवन से और तनाव से कुछ समय के लिए छुटकारा पा सकते है। राहत देखभाल से मानसिक मंद बच्चों को अपने परिवार से अलग रहकर स्वतंत्र जीवनयापन के कौशलों को बढाने का अवसर मिलता है। रा..मा.वि.सं. ने अक्तूबर 2010 से निम्नलिखित उद्देश्यों से राहत देखभाग सेवाएँ आरंभ की है।

- अभिभावक/परिवार सदस्यों को अपने अन्य जिम्मदारियों को निभाने के लिए राहत समय का एक अवसर प्रदना करना,
- मानसिक मंद बच्चों के दैनिक देखभाल के तनाव से राहत देने के लिए अभिभावकों को एक अवसर प्रदान करना
- मानसिक मंद व्यक्तियों को घर से अल्पावधि के लिए बाहर रहने का मौका प्रदान करना
- रा.मा.वि.सं. ने विभिन्न शैक्षणिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए एक प्रदर्शन केन्द्र के रूप में सेवा प्रदान करना

राहत देखभाल केन्द्र में शून्य अस्वीकृति का नियम रखकर पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग सुविधाएँ प्रदान की गई है। प्रत्येक सुविधा का समर्थ दिन में एक विशेष शिक्षक द्वारा दिया जाता है तथा चौबीस घंटे एक देखभालकर्ता (आया) रहता है। अवकाशकालीन, भोजन तथा दवाईयाँ जैसी अन्य सुविधाएँ भी दी जाती है। मानसिक मंद बच्चों के अभिभावक और परिवार सदस्य इन सेवाओं से पाँच दिन तक (विशेष परिस्थितियों में इस अवधि को बढाया जाता है) लाभ उठा रहे है। वर्ष के दौरान इस राहत देखभाल केन्द्र की सेवाओं से 290 लाभान्वित हुए। विवरण **तालिका 12** में दिया गया है।

तालिका 12: राहत देखभाल केन्द्र में नए क्लाईटों का पंजीकरण (एन-290)

महीना	लाभान्वित	महीना	लाभान्वित
अप्रैल, 2013	24	अक्तूबर	28
मई	25	नवम्बर	26
जून	25	दिसम्बर	24
जुलाई	25	जनवरी, 2014	24
अगस्त	27	फरवरी	35
सितम्बर	22	मार्च	5

6.8 रा.मा.वि.सं. के सामान्य सेवाओं पर क्लाईटों का पुनर्निवेशन

संस्थान द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की गुणता को परिष्कृत करने के प्रयास में क्लाइंटों से पुनर्निवेशन लिया जाता है। वर्ष के दौरान क्लाइंटों से प्राप्त पुनर्निवेान के विश्लेषण से यह पता चला कि रा.मा.वि.सं. द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से 78 प्रतिशत संतुष्ट है, विवरण **तालिका 13** में दिया गया है। व्यावसायिकों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का संतोषप्रद स्तर (क्र.1 से 19 तक) 82% रहा. जबकि संकाय दस्य व अतिथि संकाय सदस्यों के पर्यवेक्षण के अधीन दीर्घावधि प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों द्वारा क्लाईटों को प्रदान की जा रही सेवाओं का संतोप्रद स्तर 66% (क्र. 20-अ-ऊ) रहा। पुनर्निवेशन के अतिरिक्त, सेवा प्रदान किये जाने वाले स्थान पर सुझाव पेटी तथा शिकायत रजिस्टर भी रखा गया है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सेवाओं से संबंधित क्लाईंटों को आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए उचित कार्यवाही की जा रही है।

तालिका: 13: रा.मा.वि.सं. में अभिभावकों व क्लाईंटों से पुनर्निवेशन (एन=97)

क्र.सं.	मद	संतुष्टि (प्रतिशतता)
1	व्यावसायिकों द्वारा केस की स्थिति का विवरण स्पष्ट करना	91.8
2	अपांईटमेंट के लिए दी गई तिथियाँ	86.6
3	प्रबंधन योजना की रेशनेल पर स्पष्टीकरण	90.7
4	घर पर प्रबंधन योजना पर कार्य का मार्गदर्शन व प्रशिक्षण (एचबीटी)	86.6
5	अंतराक्षेपण के बाद व्यक्ति मे सुधार	85.6
6.	व्यावसायिक स्टाफ या सहायक स्टाफ का अपने काम की ओर रवैया	76.3
7.	रा.मा.वि.सं. में उपलब्ध सेवाओं के बारे में जानकारी देना	84.5
8.	सहायता प्रदान करने मे सहयोग	76.3
9.	सेवा प्रदान करने वाले व्यावसायिक द्वारा क्लाईट के साथ बिताया गया समय	87.6
10.	सेवा प्रदान करने वाले से मिलने के लिए बिताया गया समय	91.8
11.	सेवा प्रदान करने वालों की क्षमता/विशेषज्ञता	85.6
12.	मूलयांकन करने के लिए बताये गए कारण तथा परिणामों के बारे में स्पष्टीकरण	73.2
13	परामर्शी सेवाओं का प्रावधान	83.5
14	रियायतें व सुविधाओं के बारे में सूचना	82.5
15	सुविधाएँ जैसे पीने का पानी, राहत कक्ष, व्हील चैयर, कैन्टीन सेवा आदि	81.4
16.	विभिन्न अक्षमताओं के बारे में पठन सामग्री की उपलब्धता	66.0
17.	अपाइंटमेंट में सेवा प्रदान करने मे समय की पाबदी व उपलब्धता	76.3
18	आवश्यकता पड़ने पर व्यावसायिक स्टाफ का योगदान	75.3
19.	सेवाओं मं मित्रतापूर्ण वातावरण निर्माण करने में स्टाफ का योगदान	77.3
20.	प्रदान की गई सेवाओं के बारे में	
	क. मेडिकल	78.4
	ख. व्यवहार परिवर्तन	73.2
	ग. अभिभावकीय परामर्श	68.0
	घ. विशेष शिक्षा	63.0
	च. फिजियोथिरेपी	57.7
	छ. वाणी व भाषा थिरेपी	56.7
	संपूर्ण	78.3

अध्याय 7

रा.मा.वि.सं. मॉडल विशेष शिक्षा केन्द्र, नई दिल्ली

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 1964 में स्थापित मॉडल विशेष शिक्षा केन्द्र (एम.एस.ई.सी.) को वर्ष 1986 में राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद के प्रशासनाधीन लाया गया। मंदबुद्धि व्यक्तियों को अपने अंत:शक्ति का पूर्ण रूप से विकास करने में सहायता देने के उद्देश्य से यह केन्द्र कार्यरत् है। भर्ती किये गये बच्चों की संख्या 110 थी, जिनमें से 20 आवासीय और 90 अनावासीय थे **(तालिका 14)**।

स्कूल क्रियाकलापों के अलावा एन.आई.एम.एच.-एम.एस.ई.सी. ने 3 अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्य्रकमों एवं 6 अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। स्कूल में मानसिक मंद बच्चों को पुनर्वास सेवाएँ भी प्रदान की गई जिसमें मनौवैज्ञानिक मूल्यांकन, व्यवहार परिवर्तन, अभिभावक परामर्श, मोबाईल/गृह आधारित प्रशिक्षण भी शामिल है। एन.आई.एम.एच.-एम.एस.ई.सी ने देशभर के विभिन्न गैर सरकारी संगठनों को परामर्शी एवं तकनीकी समर्थन में सहायता प्रदान की, विस्तार तथा आऊटरीच क्रियाकलापों के अतंर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र के कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया।

तालिका 14: लिंग वार दाखिले

लिंग	अनावासीय	आवासीय	कुल
लडके	58	12	70 (64%)
लडकियाँ	32	8	40 (36%)
कुल	90(82%)	20(18%)	110

7.1 स्कूल के क्रियाकलाप

सामुदायिक जागरुकता एवं सामाजिक कौशल

सामुदायित जागरूक्ता एवं सामाजिक कौशल बच्चों को विभिन्न समुदाय सेट अप दिखाने के लिए ले जाया गया। सभी धर्मों का इतिहास एवं संस्कृति के प्रति सद्भाव बढाने के लिये स्कूल में सभी प्रमुख त्यौहार मनाये गये। स्कूल के पाठ्यक्रम के एक अनिवार्य अंग के रूप में राष्ट्रीय त्यौहार मनाये गये।

- रा.मा.वि.सं. एम.एस.ई.सी ने राष्ट्रीय त्यौहार जैसे-स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस मनाया
- रक्षा बंधन, दिवाली क्रिसमस जैसे धार्मिक पर्व रा.मा.वि.सं. एम.एस.ईसी., के विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों ने मनाये।

7.2 शैक्षणिक दौरे तथा वनविहार:

- बाल दिवस के अवसर पर स्कूल के विद्यार्थियों को ''मई फ्रैंड गणेशा'' फिल्म दिखाया गया।
- मध्यप्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के क्षेत्रीय भाषाओं मे नायकों को दर्शाने हेतु जाने माने नेशनल स्कूल आफ ड्रामा द्वारा आयोजित वार्षिक थियेटर महोत्सव देखने के लिए स्कूल के विद्यार्थियों को आमंत्रित किया गया । लगभग 39 विद्यार्थियों ने 5 शिक्षकों के साथ नाटक देखे।
- दिल्ली कामनवेल्थ विमेन्स असोसियेशन द्वारा 10.12.2013 को वी.वीआई.पी. क्रिसमस मिलन समारोह मे स्कूल के बच्चों ने भाग लिया
- एल टी.जी.आडिटोरियम, कापरनिकस मार्ग, नई दिल्ली में 19.12.2013 को इमप्रेसैरियो इंडिया द्वारा आयोजित जाने माने जादूगर श्री कमेश के मैजिक शो में केन्द्र के सभी बच्चे उपस्थित हुए।
- प्राईमरी, सेकंडरी, प्री वोकेशनल तथा वोकेशनल विद्यार्थियों को दिल्ली मेट्रो, पुलीस थाने, डाक घर, मेकडोनाल्डस्, सिनी प्लेक्स में सिनेमा दिखाने के लिए गये थे।

7.3 अन्य घटनाएँ

7.3.1. अंतर विद्यालयीन प्रतियोगिताएँ:

रा.मा.वि.सं. एम.एस.ई.सी. के छात्राओं (11 सहभागी) ने त्यागराजा स्टेडियम में 29व 30 अप्रैल 2013 को दिल्ली स्टेट विमन्स् अथ्लेटिक्स् चैम्पियनशिप (दिल्ली चैप्टर आफ स्पेशल ओलम्पिक्स, भारत द्वारा आयोजित) के दौरान प्रशंसनीय प्रदर्शन दिखाया। उच्च तथा निम्न क्षमता समूहों में सहभागियों ने पुरस्कार प्राप्त किया।

एम.एस.ई.सी: बास्केट बॉल टीम-स्पेश ओलम्पिक्स

- अक्तूबर 2013 मे चाइल्ड गाइडेंस सेंटर (जामिया मिलिया इस्लामिया) विशेष विद्यालय द्वारा आयोजित अंतर विद्यालयीन खेलकूद प्रतियोगिता में दस विद्यार्थियों ने भाग लिया तथा फन गेम्स् में पुरस्कार प्राप्त किया। कुल मिलाकर टीम ने 5 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 7 कांस्य पदक प्राप्त किये।

- एन.आई.एम.एच.एम.एस.ई.सी. के 16 विद्यार्थियों ने (12 लड़के तथा 4 लड़कियाँ) दिल्ली सेंटर फार दि वेलफेयर आफ दि स्पेशल चिल्ड्रन (ओखला सेंटर) द्वारा दिसम्बर 2013 को आयोजित मजेदार खेल एवं प्रतिस्पर्धाओं में रा.मा.वि.सं. - एम.एस.ई.सी. के 16 विद्याथियों ने (12 लडके तथा 4 लड़कियाँ) भाग लिया और एक स्वर्ण पदक, एक रजत पदक और पाँच कांस्य पदक प्राप्त किये। प्रतिस्पर्धाओं में 50 मीटर, 100 मीटर रन, 100 मीटर रिले रन एवं अन्य मजेदार प्रतिस्पर्धाएँ थी।

- दो विद्यार्थी, नितिन मिश्र एवं मनीष जाता ने त्यागाराज स्टेडियम, नई दिल्ली में स्पेशल ओलम्पिक्स् भारत-दिल्ली द्वारा आयोजित प्रशिक्षण तथा चयन शिविर में भाग लिया, मनिष जाता को स्पेशल ओलम्पिक्स भारत-दिल्ली द्वारा आयोजित नेशनल चैम्पियनशिप इन एथलेटिक्स् के लिये चयन किया गया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली में 12-15 मार्च, 2014 को आयोजित नेशनल एथलेटिक्स् चैम्पियनशिप में मनीष ने 100 मीटर दौड़ में द्वितीय स्थान प्राप्त किया और लाँगगम्प प्रतियोगिता में छटा स्थान प्राप्त किया।

7.3.2. कला, दस्तकारी, नृत्य, ड्रामा एवं संगीत

संगीत, कला तथा दस्तकारी क्रियाकलाप कक्षा गतिविधियों के नियमित भाग बन गये और विद्यार्थियों को उनकी क्षमताओं के अनुसार मार्गदर्शन दिया गया। उन्हे और आगे प्रोत्साहित करने के लिए अंतर कक्षा स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों को विभिन्न संगठनों द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए भी ले जाया गया।

- मास्टर लक्की अरोरा को बिल्डिंग मेटीरियल्स एण्ड टेक्नालजी प्रमोशन काउंसिल (आवास और शहरी गरीब उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा विश्व पर्यावास उत्सव के अवसर पर आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार के लिए चुना गया। उन्हें आवास और शहरी गरीबी उपशमन के माननीय मंत्री, श्रीमति गिरिजा व्यास द्वारा रु. 7,500/- का नकद पुरस्कार प्राप्त हुआ।

- राष्ट्रीय चिडियाधर द्वारा वन्यप्राणी सप्ताह 2013 के अवसर पर आयोजित तटस्थलीय चित्रकला प्रतियोगिता में चार विद्यार्थी, सुमित, किरन, उपासना, निकिता ने क्रमश: 1, 2, 3 तथा सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किये।

- वेरी स्पेशल आर्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा मार्च 2013 को आयोजित 19वी राष्ट्रीय स्तर के वार्षिक कला प्रतियोगिता के लिए भेजे गये दो विद्यार्थी - गायत्री तथा किरन - के एन्ट्रीस को सांत्वना पुरस्कार के रूप में रु. 1000/- तथा रु. 500/- की नकद राशि वेरी स्पेशल आर्ट्स् द्वारा दी गई। वेरी स्पेशल आर्ट्स् ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 20 वीं कला प्रतियोगिता 2014 के लिए 7 एन्ट्रीस भेजे गये।

- नेशल म्यूजियम आफ नैचुरल हिस्ट्री द्वारा बालभवन में विशेष बच्चों के लिए फरवरी 2014 में आयोजित कार्यक्रम में एम.एस.ई.सी., के विद्यार्थियों ने मास्क तैयार करने तथा क्ले माडलिंग में भाग लिया। दो विद्यार्थियों को निम्नानुसार मेरिट नकद पुरस्कार प्राप्त हुआ- रामप्रकाश- रु. 1000/- का प्रथम नकद पुरस्कार, मुसाकिर, रु. 800/- का द्वितीय नकद पुरस्कार।

- संगीत - वेरी स्पेशल आर्ट्स आफ इंडिया द्वारा 23.8.2013 को आयोजित वार्षिक संगीत बैठक में स्कूल के दो विद्यार्थी - साहिल तथा सुमित - ने सोलो श्रणी में भाग लिया एवं दूसरा और तीसरा पुरस्कार प्राप्त किया।

- महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा 26.10.2013 को कांस्टीट्यूशन क्लब, रफी मार्ग, नई दिल्ली में आयोजित परफेक्ट हेल्थ मेला में 14 विद्यार्थियों ने भाग लिया एवं पुरस्कार प्राप्त किये। उन्होंने, दीया सजाना (1. पुरस्कार), एकल गीत (2 पुरस्कार तथा सांत्वना पुरस्कार), सामूहिक नृत्य (3 पुरस्कार) और सामूहिक योग (2 पुरस्कार) प्राप्त किये।

- रा.मा.वि.सं. एम.एस.ई.सी. ने समर्थ - राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा में भाग लिया जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने आयोजित की थी जहाँ विशेष व्यक्तियों ने अपनी अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। सिरि फोर्ट आडिटोरियम में 15 जनवरी 2014 को स्कूल के विद्यार्थियों ने एकल गीत एवं समूह नृत्य प्रतियोगिता में भाग लिया। दो दिन के इस समारोह में स्कूल के स्टाफ, विद्यार्थी तथा अभिभावकों ने भाग लिया।

7.3.3. वार्षिक दिवस समारोह

- वार्षिक दिसव समारोह के असवर पर 15 फरवरी, 2014 को विद्यार्थियों के लिए खेल-कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसमें 7 मजेदार खेल आयोजित किये गये और विभिन्न समूहों के बच्चों ने भाग लेकर आनंद लिया। इन प्रतियोगिताओं का चयन विद्यार्थियों की विभिन्न क्षमताओं, तीव्रता तथा क्रियात्मकता स्तर को ध्यान में रखते हुए किया गया। सहभागियों को उनके निष्पादन के अनुसार पुरस्कार प्रदान किये गये।

- एम.एस.ई.सी. में दाखिल हुए विद्यार्थियों के अभिभावक एवं स्टाफ म्यूजिकल चेयर एंव मजेदार खेल में शामिल हुए।

- सांस्कृतिक कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में 21 फरवरी 2014 को फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय केन्द्र एवं मॉडल स्कूल द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम एक साथ आयोजन किया गया। एन.आई.एम.एच. एम.एस.ई.सी. के विद्यार्थियों ने समाकलीन फिल्मी गीतों द्वारा रंग बिरंगे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया जिससे अभिभावक मुग्ध हुए। शिक्षकों के प्रयास को सराहना मिली। इस बात पर ध्यान दिया गया कि हर एक विद्यार्थी कम से कम एक कार्यक्रम में भाग लें।

7.3.4. गणतंत्र दिवस/स्वतंत्रता दिवस समारोह

- स्वतंत्रता दिवस - जूनियर विद्यार्थियों ने देशभक्ति के गीत प्रस्तुत किये तथा सीनियर विद्यार्थियों ने भ्रष्टाचार तथा सांप्रदायिक सद्भाव जैसे विषयों पर प्रस्तुति की। शिक्षकों ने स्वतंत्रता आंदोलन तथा स्वंतत्रता दिवस मनाने के कारण पर भाषण दिया।

- गणतंत्र दिवस - इस समारोह मे बच्चों ने छोटे छोटे भाषण दिये तथा गाने प्रस्तुत किये। शिक्षकों ने भारत के संविधान, राष्ट्र निर्माण में कर्तव्य, स्वतंत्रता आदोलन के महत्व पर बात की।

अध्याय-8

परामर्शी तथा तकनीकी समर्थन

8.1 भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से सहायता अनुदान पाने के लिये गैर सरकारी संगठनों के आवेदनों का तकनीकी मूल्यांकन

इस योजना के अंतर्गत मानसिक अक्षमताओं के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को प्रोत्साहन देने के लिये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय देश में गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान देता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुरोध पर संस्थान ने 9 गैर सरकारी संगठनों का तकनीकी मूल्यांकन किया और मंत्रालय को रिपोर्ट प्रस्तुत किया।

8.2 भारतीय पुनर्वास परिषद्

संस्थान के स्टाफ ने भारतीय पुनर्वास परिषद् के विभिन्न पाठ्यक्रमों का विकास और मूल्यांकन संबंधी बैठकों में भाग लिया। भारतीय पुनर्वास परिषद् की ओर से संस्थान के संकाय सदस्यों ने देश भर के विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का निरीक्षण किया। रा.मा.वि.सं. ने प्रसंगाधीन वर्ष के दौरान ऐसे 4 निरक्षण किये।

8.3 विशेष रोजगार कक्ष

विभिन्न संगठनो में रोजगार हेतु विकलांग व्यक्तियों के पंजीकरण के लिये विशेष सेल की स्थापना रा.मा.वि.सं. में की गई। प्राप्त हुये मांग के अनुसार योग्य अभ्यर्थियों को नामित करने के लिये अभी तक पंजीकृत किये गये विकलांग व्यक्तियों की संख्या अभि तक 95 है।

रा.मा.वि.सं. के विशेष नियोक्त/कर्मचारी

अध्याय-9

दस्तावेजजीकरण व प्रचार-प्रसार

दस्तावेजीकरण तथा प्रचार प्रसार राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान का एक और मुख्य उद्देश्य है। संस्थान में मानसिक मंदन और संबंधित क्षेत्रो में पूरी तरह से लैस संसाधन केन्द्र है जिसमे पर्याप्त संख्या में पुस्तके और पत्र-पत्रिकाएँ हैं। संस्थान पत्र पत्रिकाओं के लेखो की छाया प्रतियाँ राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान के प्रकाशनों, वीडियो कैसेटों तथा फ्लापियों का वितरण, तथा पुस्तकालय सेवाएँ प्रदान करता, पठन सूची एवं समाचार पत्रों की पेपर क्लिपिंग तैयार करता है व इंटरनेट सेवाएँ प्रदान करता है।

संस्थान मेंटाई बुलेटिन नामक द्वैमासिक पत्रिका प्रकाशित करत है जिसमे राष्ट्रीय तथा अंतराष्ट्रीय जर्नलों के लेखों के सारांश होते है। देश भर के लगभग 300 संस्थान इसके अंशदाता है। यदि कोई किसी लेख का पूरा सारांश चाहते हों तो, उन्हें लेख के पूरे विषयों की छायाप्रति भेजी जाती है।

संस्थान के पुस्तकालय मानसिक मंदन के क्षेत्र के 25 भारतीय जर्नलों का और 62 विदेशी जर्नलों का अंशदाता है। 31.3.2014 तक पुस्तकालय में 14,000 पुस्तकें (खरीदी गई, ग्रैटिस में मिले, या उपहार के रूप में मिली) हैं। वर्ष के दौरान लगभग 16000 व्यावसायिक तथा विद्यार्थियों ने एन.आई.एम.एच. पुस्तकालय सेवाओं का उपयोग किया।

9.1 पोर्स्टस एवं फ्लिप चार्ट

संस्थान लगातार विकलांगता को पहचानने के लिये जन जागृति कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है जैसे विकलांग व्यक्तियों को पहचानने के लिए ग्रास रुट लेवल वर्कर्स के लिये पोस्टर प्रिटिंग, सूचना सामग्री प्रकाशन, फ्लिप चार्ट तैयार करना आदि।

9.2 वेबसाईट डिजिटीकरण

एन आई एम एच के वेबसाईट को पूरी तरह संशोधन कर फ्लैश इमेजेस् के साथ एक नया रूप दिया गया और इसे अक्षमता मैत्रीपूर्ण बनाया गया। यह वेबाईट हिन्दी में भी उपलब्ध है। वेबसाईट का सुरक्षा लेखा परीक्षा किया गया और एस.टीक्यू.सी. (स्टैन्डरडाईजेशन, टेस्टिंग एण्ड क्वालिटी सर्टीफिकेशन) का कार्य किया जा रहा है। इनमें से आये गये असंगतियें को पूरा किया गया। एस.टी.क्यू.सी. प्रमाणीकरण की प्रतिक्षा है। एन.आई.सी., हैदराबाद में संस्थान का बेबसाईट (www.nimhindia.gov.in) होस्ट किया गया एक और वेबसाईट (www.nimhindia.org) भी उपलब्ध है।

रा.मा.वि.सं. पुस्तकालय

अध्याय -10

विस्तार तथा बहि: पहुँच कार्यक्रम

10.1 यंत्र/उपकरणों का क्रय/फिटिंग हेतु विकलांग व्यतियों के लिये सहायता योजना (एडिप योजना)

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश भर के विकलांग व्यक्तियों को यंत्र व उपकरणों के वितरण हेतु संश्लिष्ट पुनर्वास शिविरों का आयाजेन करना है।

इस प्रक्रिया में पहले मूल्यांकन किया जाता है और इसके बाद मूल्यांकन शिविर में पहचान किये गये विकलांग व्यक्तियों को यंत्र व उपकरण वितरित किये जाते है।

जिला मैजिस्ट्रेट/कलेक्टर के कार्यालय की सहायता इन शिविरों के आयोजन के लिए सुनिश्चित की जाती है। शिविर के आयोजन के लिए जिला अस्पताल, गैर सरकारी संगठन तथा अन्य संगठनों से उचित मानदेय देकर मदद ली जाती है। प्रक्रिया में निम्लिखित सोपान है:-

प्रचार प्रसार

शिविरों का आयोजन करने से पहले आयोजक विस्तृत प्रचार प्रसादर करते है जिसके लिए क्षेत्रीय भाषाओं में करपत्र मुद्रित करवाकर बाँटे जाते है।

सम्मिलित व्यावसायिक

शिविरों का आयोजन करने के लिए सामान्यत: निम्नलिखित व्यावसायिकों का प्रबंध किया जाता है मनोवैज्ञानिक, विशेष शिक्षक (मा.म., श्र.वि., दृ.वि.), श्रवण चिकित्सक नेत्र चिकित्सक, आर्थोपैडिक सर्जन, भौतिक चिकित्सक, पी.वओ. इंजिनीयर/तकनीशियन तथा मनाश्चिकित्सक।

आंकडों का रखरखाव

एडिप क्रियाकलापों संबंधी निम्नलिखित आँकडों का रखरखाव किया जाता है।

- प्रत्येक व्यक्ति का केस पंजीकरण फार्म जिनका शिविर के दौरान मूल्यांकन किया गया
- मूल्यांकन फार्म
- यत्रों व उपकरणों का श्रेणी-वार विवरण तैयार करना
- यंत्रों व उपकरणों का वितरण संबंधी ब्यौरा
- 18 कॉलम रजिस्टर का कम्प्यूटर पर दस्तावेजीकरण

वित्तीय सहायत

यह योजना चलाने के लिए वित्तीय सहायता राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद द्वारा एडिप शिविर पर जागरूकता निर्माण, पहचान तथा मूल्यांकन शिविर यंत्रों व उपकरणों का क्रय व वितरण के लिए दिया जाता है। शिविरों के दौरान लाभदायकों को तथा संरक्षकों के लिए खान-पान आदि का प्रबंध भी किया जाता है।

नेटवर्किंग

स्थानीय गैर सरकारी संगठन के साथ नेटवर्क बनाये रखना तथा मेडिकल कालेज/जिला अस्पताल/ग्रामीण अस्पताल/पी.एच.सी/डी.डी.आर.सी./अन्य कोई समर्थ संगठन के साथ हितार्थियों को यंत्र व उपकरणों के फिटमेंट/पोस्ट फिटमेंट हेतु संपर्क बनाना।

फालो अप

विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए तथा इस योजना के अंतर्गत जिन व्यक्तियों को यंत्र व उपकरण दिये गये थे, उनके उपयोग तथा रखरखाव के लिए स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के साथ समन्वय द्वारा फालो अप सेवाओं का आयोजन किया जाता है।

10.1.1 साधन व उपकरणों का वितरण - ए.डी.आई.पी. योजना

वर्ष 2013-14 के दौरान विकलांग व्यक्तियों को कुल 915 साधनों व उपकरणों का ए.डी.आई.पी. योजना के अंतर्गत वितरण किया गया (914 शिविरों द्वारा तथा 1 केन्द्र आधारित द्वारा)। वितरित साधन एवं उपकरण एवं उपकरणों का विवरण **तालिका 15 व 16** में प्रस्तुत किया गया है।

वर्ष	एडिप से लाभान्तिव
2012-13	1060
2013-14	915

साधनों एवं उपकरणों का विवरण

तालिका 15: वर्ष 2013-14 के दौरान शिविरों में वितरित किये गये यंत्रों व उपकरणों का राज्यवार विवरण

राज्य	जिला	शिविरों की संख्या* दिनांक व स्थान*	लाभकर्ताओं की संख्या	लाभकर्ताओं की संख्या								वितरित उपकरण
				एस.सी. 29%		एस.टी 15%		ओ.सी. 56%		कुल 100%		एमआर सहायक उपकरणों रोल्लेटर संबंधित
				पुरष	महिला	पुरष	महिला	पुरष	महिला	पुरष	महिला	
आन्ध्र प्रदेश	1. रा.मा.वि.सं मुख्यालय	सेन्टर बेसड्	1								1	1 रोल्लेटर
	2. करीमनगर	2	238	5	4	24	16	121	51	167	71	238 टीएलएम
	3. वरंगल	1	250	27	13	8	1	126	75	161	89	250 टीएलएम
	4. नलगोण्डा	2	200	21	14	9	4	96	56	126	74	200 टीएलएम
	5. खम्मम	3	156	13	16	1	0	76	50	90	66	156 टीएलएम
कर्नाटक	6. धारवाड	1	70	-	-	-	-	-	-	-	-	70 टीएलएम
कुल		**9**	**915**	**81**	**45**	**14**	**5**	**323**	**176**	**544**	**301**	**915**

क.सं.	स्थान	दिनांक	क.सं.	स्थान	दिनांक
1.	रा.मा.वि.सं. मुख्यालय	17.04.2013	4.	नलगोंडा, तिकुला, सोमावर्म	30 सितम्बर 2013 & 03 दिसम्बर 2013
2.	करीम नगर, गोदावरीखनी पेद्दपल्ली व जमीकुन्टा	27-28 सितम्बर 2013 & 16-18 दिसंम्बर 2013	5.	खम्मम	26 सितम्बर 2013 13 दिसम्बर 2013 27-28 दिसम्बर 2013
3.	वरंगल, डी.डी.आर.सी.	27-28 सितम्बर 2013	6.	धारवाड	14 दिसम्बर 2013

तालिका 16 : राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद
राज्य वार एडिप योजना के दौरान मूल्यांकन शिविर 2013-14

क्र. सं.	राज्य	जिले का नाम	दिनांक एवं कैम्प का स्थान	कैम्पों की संख्या	आभकर्ताओं की संख्या	ओ.एच.	एम.एच.	एच.एच.	एच.वि.	कुल
1	आन्ध्र प्रदेश	आदिलाबाद	-	-	-	-	-	-	-	-
2		करीमनगर	27.09.2013 & 28.09.2013	2	238	-	238	-	-	238
			16.12.2013 to 18.12.2013							
			गोदावरीखनी, जम्मीकुंटा एवं पेद्दपल्ली							
3		वरंगल	26.09.2013 & 27.09.2013	1	250	-	250	-	-	250
			डी.डी.आर.सी., रघुनाथपल्ली, चिरयाला							
4		नलगोंडा	30.09.2013 03.12.2013							
			नलगोंडा	2	200	-	200	-	-	200
5		खम्मम	26.09.2013, 13.12.2013							
			& 28.12.2013							
			खम्मम	3	156	-	156	-	-	156
6	कर्नाटक	कोलार	11.09.2013 & 12.09.2013							
			एसएनआर अस्पताल कैम्प, कोलार	1	167	-	167	-	-	167
7		धारवाड	14.12.2013,							
			धारवाड	1	70	-	70	-	-	70
8	गोवा	दक्षिण गोवा (मार्गो)	15.01.2014 to 17.01.2014							
			गोवा	1	425	-	425	-	-	425
9	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	30.11.2013							
			गोरखपुर	1	343	55	108	157	23	343
	कुल			**12**	**1849**	**55**	**1614**	**157**	**23**	**1849**
सेन्टर बेसड										
10	आन्ध्र प्रदेश	रा.मा.वि.सं. मुख्यालय सिकन्दराबाद	सेन्टर बेसड लाभकर्ता	-	295	1	294	-	-	295
11	दिल्ली	रा.मा.वि.सं.क्षेत्रिय केन्द्र, नई दिल्ली		-	45	-	45	-	-	45
12		रा.मा.वि.सं., एम.एस.ई.सी. नई दिल्ली		-	55	-	55	-	-	55
13	महाराष्ट्र	रा.मा.वि.सं., क्षेत्रिय केन्द्र, नवी मुमबई		-	157	-	157	-	-	157
14	पश्चीम बंगाल	रा.मा.वि.सं., क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता		-	38	-	38	-	-	38
	कुल			**-**	**589**	**1**	**588**	**-**	**-**	**589**

10.1.2. एडिप योजना को क्रियान्वित करने वाले संगठनों का निरीक्षण

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के कार्याल आदेश सं. 4-2(39) 09-डी.डी-1 दिनांक 29 सितम्बर 2009 के अनुसार रा.मा.वि.सं. ने आँध्रप्रदेश एवं कर्नाटक राज्यों में एडिप योजना क्रियान्वित करने वाले गैरसरकारी संगठनों का निरीक्षण किया। तदनुसार, वर्ष 2013-14 के दौरान रा.मा.वि.सं. आँध्रप्रदेश, कर्नाटक राज्य में 34 निरीक्षण किये गये। एडिप योजना का **विवरण परिशिष्ट 3 (पृष्ठ सं. 82)** मे दिया गया है।

10.2. उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कार्यक्रम

वर्ष 2002 से उत्तर पूर्वी राज्यों में मंदबुद्धिता के बारे में जागरूकता लाने के लिए तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा गुणवत्ता सेवाओं को सुदृढ बनाने में समर्थन देने हेतु, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान ने कार्यक्रमों को आरंभ किया। पूर्वोतर राज्यों के क्रियाकलापों के एक भाग के रूप में वर्ष 2013-14 में रा.मा.वि.सं. ने अभिभवाकों, व्यावसायिकों, कार्मिकों तथा मानसिक मंद एवं अन्य नि:शक्त व्यक्तियों के लिए सिक्किस, मिजोरम तथा त्रिपुरा के राज्यों में जागरूकता शिविर तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया

पूर्वोत्तर क्षेत्र के विशेष वच्चा

कार्यक्रमों का विवरण **तालिका 17** में दर्शाया गया है। पूर्वोतर क्षेत्रों में उपरोक्त कार्यक्रमों के आयोजन से पहले, एन.आई.एम.एच., मुख्यालय में चल रही सेवा क्रियाकलापों एवं सुविधाओं का उपयोग करते हुए प्रयोगिक प्रदर्शन देने के लिए एन.आई.एम.एच. में दो अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था

तालिका 17: उत्तर पूर्वी क्षेत्र में क्रियाकलाप

क्र.सं.	राज्य	कार्यक्रमों की सं.	लाभान्वितों की संख्या
1.	गैगटॉक, सिक्किम	22	4876
2	आईजोल, मिजोरम	1	42
3	अगरतला, त्रिपुरा	11	1640
	कुल	34	6558

उपरोक्त कार्यक्रमां में लाभान्वितों की संख्या 6558 रही और इसके लिए सामग्री सहित रु. 133.74 लाख रुपये खर्च किये गये। यह खर्च पिछले वर्ष के रु. 170.02 लाख रुपयों की शेष राशी और वर्तमान बजट में से खर्च किया गया।

उपरोक्त कार्यक्रम के सहभआगियों को पूरा याा भत्त व दैनिक भत्ता दिया गया। पूर्वेत्तर क्षेत्र (राज्यवार) में एन.आई.एम.एच. द्वारा आयोजित कार्यक्रम का विस्तृत विवरण **परिशिट 4 (पृष्ठ सं 85)** में दर्शाया गया है।

10.3 समुदाय आधारित कार्यक्रम (सी.बी.पी.)

वर्ष 2012-13 के दौरान 46 कार्यक्रमों से 3143 लाभान्वितों की तुलना में इस वर्ष 2013-14 में 68 कार्यक्रमों के द्वारा 9357 लाभान्वित हुए। सी.बी.पी. के अंतर्गत वर्ष 2013-14 के दौरान रा.मा.वि.सं. द्वारा आयोजित क्रियाकलाप/कार्यक्रमों का विवरण **तालिका 18** में दर्शाया गया है। कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 5 (पृष्ठ सं 87)** में दिया गया है।

तालिका 18: वर्ष 2013-14 समुदाय आधारित कार्यक्रम
(जागरूकता/अभिमुखीकरण/संवेदीकरण कार्यक्रम)

केन्द्र	कार्यक्रमों की संख्या	लाभान्वितों की संख्या
मुख्यालय	8	1115
क्षेत्रीय केन्द्र, दिल्ली	10	837
क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकत्ता	8	3173
क्षेत्रीय केन्द्र, नवी मुम्बई	37	2865
एम.एस.ई.सी.	5	1367
कुल	68	9357

10.4 अभिमुखीकरण कार्यक्रम

हर वर्ष राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान तथा क्षेत्रीय केन्द्र अतिथि व्यावसायिकों को अभिमुखी कार्यक्रम प्रदान करता है। वर्ष 2012-13 के दौरान 106 संस्थानों के 2752 व्यावसायिकों द्वारा इन कार्यक्रमों से लाभ उठाया गया जबकि इस वर्ष 2013-14 के दौरान 112 संस्थानों के 2172 व्यक्ति लाभान्वित हुए जो लाभान्वितों की संख्या में 12% वृद्धि दर्शाता है।

10.5 प्रदर्शनियॉ

विकलांगता पर जागरूकता कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में, राष्ट्री मानसिक विकलांग संस्थान ने देशभर में 9 प्रदर्शनियाँ व रैली का आयोजन किया और इन स्टालों से 9335 व्यक्ति लाभान्तिव हुए जिसके **तालिका 19** में दर्शाये गये है।

तालिका - 19: वर्ष के दौरान प्रदर्शनियों में सहभागिता

शीर्षक	लक्ष्य समूह	आयोजन	स्थान	तिथि	लाभान्वित
1. नेशनल ट्रेड फेयर	साधारण जनता, हाई स्कूल तथा कालेज के विद्यार्थी एवं अन्य व्यावसायिक आदि, सभी वर्गों के नि:शक्तजन	नि:शक्तजन मामला विभाग, सामजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार	प्रगति मैदान, नर्स दिल्ली 2 5-28 जुलाई	2013	3000
2. जागरूक्ता निर्मण शिविर	साधारण जनता, नि:शक्तजन, गैर सरकारी संगठन, हाई स्कूल तथा कॉलज के विद्यार्थी एवं अन्य व्यावसायिक	नि:शक्तजन मामला विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार	महबुबाबाद, वरंगल 2013	7-8 सितम्बर,	1000
3. शिल्पोत्सव	साधारण जनता तथा विकलांगता से ग्रस्त कारीगर	नि:शक्तजन मामला विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार,	दिल्ली हाट, आई.एन.ए., मार्केट, नई दिल्ली	1-11 नवम्बर, 2013	500
4. बौद्धात्मक अक्षमता पर एन.सी. मे प्रदर्शन	व्यावसायिक, मानसिक मंद व्यक्तियों के अभिभावक, मानसिक मंद व्यक्ति	नि:शक्जन मामला विभाग, सामाजिक न्यान और अधिकारित मंत्रालय, भारत सरकार	विज्ञान भवन, नई दिल्ली	7-8 नवम्बर 2013	675

5. अक्षम व्यक्तियों के अधिकारों पर प्रदर्शन	व्यावसायिक, मानसिक मंद व्यक्तियों के अभिभावक, मानसिक मंद व्यक्ति तथा एच.आर.डी. कार्यक्रमों के विद्यार्थी	नेशनल ट्रस्ट, स्वयं कृषि के सहयोग से	तिरुमलगिरि, सिकंदराबाद	27 नवम्बर 2013	300
6. प्रदर्शनी (आंचल क्षमता मेला)	व्यावसायिक पुनर्वास पेशेवर, गैर सरकारी संगठन, विशेष विद्यार्थी, देखरेखकर्ता तथा आमजनता	आंचल स्पेशल स्कूल	चाणक्यपुरि, नई दिल्ली	19-20 दिसम्बर 2013	125
7. शिल्पकला वेदिका	साधारण जनता, अन्य पेशेवर, मानसिक मंद व्यक्तियों के अभिभावक, मानसिक मंदता से ग्रस्त व्यक्ति तथा इंजनीयरिंग के विद्यार्थी वे अन्य एच.आर. डी. कार्यक्रमों के विद्यार्थी	वासवी क्लब्स इंटरनेशनल	हाईटेक सिटि, हैदराबाद.	21-22 दिसम्बर 2013	2000
8. समर्थ	साधारण जनता, अन्य पेशेवर, नि:शक्तजन कलाकार, हाईस्कूल, कालेज, इंजीनियरिंग, फील्ड पेशेवर, आदि के विद्यार्थी	नि:शक्जन मामला विभाग, सामजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार	सिरि फोर्ट, नई दिल्ली	14-16 जनवरी, 2014	1700
9. बिक्री तथा प्रर्शनी	क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकता से बौद्धात्मक अक्षमता से ग्रस्त व्यक्ति	लायन्स् कल्ब, कोलकाता	कोलकाता	2 फरवरी 2014	35
	कुल			9335	

10.6 समग्र विकलांगता जागरुक शिविर

- राष्ट्रीय मानसिक विकलांग ने नि:शक्जन मामला विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सहायोग से 8 सितम्बर 2013 को महबुबाबाद, वरंगल जिला, तेलंगाना राज्य में जागरुकता शिविर का आयोजन किया। श्री पी. बलराम नायक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के राज्यमंत्री इस अवसर पर मुख्य अतिथि रहे। शिविर के दौरान अक्षम व्यक्तियों को सहायक उपकरणों का वितरण किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान ने मानसिक मंदन पर जगरुकता सामग्री का वितरण किया।

- राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान ने 22 फववरी, 2014 को गुलबर्गा में नि:शक्त जन मामला विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारित मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित समग्र विकलांगता जागरुक शिविर में भाग लिया। श्री मल्लिकार्जुन खर्गे माननीय रेल मंत्री इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे। इस कार्यक्रम से 3000 व्यक्ति लाभान्वित हुए जिसमें साधारण जनता, पेशेवर, अक्षमता से ग्रस्त व्यक्तियों तथा उनके परिवार है। शिविर के दौरान राष्ट्रीय मानसिक विलांग संस्थान द्वारा तैयार की गई जागरुकता सामग्री, विवरणिकाएँ, पोस्टर तथा बुकलेट सहभागियों को वितरित किया गया।

महबूबाबाद, तेलंगाना में समग्र विकलांग जागरूकता शिविर

अध्याय-11

राष्ट्रीय कार्यक्रम तथा अन्य क्रियाकलाप

11.1 राष्ट्रीय/क्षेत्रीय/राज्य स्तरीय कार्यक्रम

11.1.1. 21वीं राष्ट्रीय अभिभावक बैठक

रा.मा.वि.सं. ने मानसिक मंद बच्चों के अभिभावकों को एक आम मंच पर लाने की सुविधा प्रदान की, ताकि, वे अपने बच्चों की समस्याओं पर चर्चा कर सकें। आखिकार यह एक पंजीकृत अभिभावक संगठन के रूप में बना। एक पारदर्शी और समुचित फोरम बनने के लिए रा.मा.वि.सं. ने वर्ष 1990 में अभिभवाकों का पहला राष्ट्र स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य मानसिक मंद बच्चों के अभिभावकों को साधिकार बनने में अभिभावकों के बीच एक बेहतर कड़ी बनाने और मानसिक मंद बच्चों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने का अवसर मिलें। अभी तक रा.मा.वि.सं.ने. परिवार नामक राष्ट्रीय फेडरेशन आफ परेन्टस एसोसियेशन के सहयोग से देश के विभिन्न भागों में 21 राष्ट्रीय अभिभावक बैठकों का आयोजन किया। इन बैठकों के आयोजन अनोखे होते हैं क्योंकि अभिभावक और व्यावसायिक साईन्टिफिक पेपर प्रस्तुत करते है। जिन पर विस्तार पूर्वक चर्चा की जाती है। अक्सर इस बैठक के दौरान आगे के विकास के बारे में मार्ग का नक्शा बनाया जाता है।

21 वीं राष्ट्रीय अभिभवाक बैठक का आयोजन 11-12 नवम्बर 2013 को परिवार नेशनल कोनफेडरेशन ऑफ पेरंटस् ऑर्गनाईजेशन के सहयोग से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल चंडीगढ में आयोजित किया गया। सुश्री कुमारी शेल्जा, माननीय कैबिनेट मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार इस अवसर पर मुख्य अतिथि रहीं। देश भर के विभिन्न अभिभावक समूहों का प्रतिनिधित्व करते हुए 76 सहभागियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

इस अवसर पर उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों में श्री अवनीश अवस्थी, संयुक्त सचिव, डीडीए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, सुश्री पूनम नटराजन, राष्ट्रीय न्यास के अध्यक्ष, श्री टी.सी. शिवकुमार, निदेशक, एन.आई.एम.एच., सुश्री किरण बेदी, पूर्व आई.पी.एस.अफसर, डा.डी.के. मेनन, पूर्व निदेशक, एन.आई.एम.एच., डा. कर्नल वी.के. गौतम, अध्यक्ष, परिवार, प्रोफेसर अतुल सचदेव, निदेशक, आर.आई.एच.एम., प्रोफेसर बी.एस. चौव्हाण, संयुक्त सचिव, आर.आई.एच.एम. थे।

- डॉ. रीता पेशवरिया तथा डॉ. डी. के.मेनन द्वारा स्थापित श्रीमति प्रेमलता पेशावरिया पुरस्कार, मानसिक मंद व्यक्तियों को सेवाएँ प्रदान करने के लिए इन्दौर में एक गैरसरकारी संगठन डॉ. दिवाकर शाह, को प्रदान किया।
- सुश्री कुमारी शेल्जा, मंत्री महोदय ने आर.पी.एम.के. बजट को अगले वित्तीय वर्ष से 2 लाख रुपयों से 4 लाख रुपयों को बढाने की घोषणा की और एन.पी.एम. के लिए 5 लाख रुपयों से 7.5 लाख रुपयों को बढ़ाने की घोषणा की।
- श्री अवनीश अवस्थी ने अभिभावकों द्वारा सही अभ्यास पर संकलित की जाने वाली पुस्तक के बारे में घोषणा की।

पेपरों का प्रस्तुतीकरण

- डॉ.डी. के. मेनन, एन.आई.एम.एच. के पूर्व निदेशक ने स्वनिर्णय पर पेपर प्रस्तुत किया।
- श्री अजिन कुमार सेन ने अभिभावकों व डी.पी.ओ. के ग्रासरूट्स् नेटवर्क पर पेपर प्रस्तुत किया।
- श्री फिलिप साइमन ने निर्णय लेने की प्रक्रिया में सेल्फ एड्वोकेट्स् को प्रोन्नति देने पर पेपर प्रस्तुत किया।
- प्रो.बी.एस. चौव्हाण ने पी.डबल्यु.आई.डी.डी. के स्वास्थ्य आवश्यकताओं पर पेपर प्रस्तुत किया।

- श्रीमती पूनम नटराजन ने इन्चियान स्ट्रैटजी - भारत में इसके क्रियान्वयन पर पेपर प्रस्तुत किया।
- श्री अनिल जोशी ने एस.एच.जी. बनाने के द्वारा पी.डबल्यु.आई.डी.डी तथा उनके परिवारों के जीवन की गुणता को सुधारने पर पेपर प्रस्तुत किया।

11.1.2 क्षेत्रीय अभिभावक बैठक 2013-14

राष्ट्रीय अभिभावक बैठक के साथ-साथ संस्थान ने क्षेत्रीय स्तर पर अभिभावकों की चिंता वाले विषयों पर ध्यान केन्द्रित करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय स्तर पर अभिभावक बैठकों का आयोजन भी किया। क्षेत्रीय अभिभावक बैठकें भी राष्ट्रीय फेडरेशन आफ पेरेन्ट्स एसोशियेशन से संपर्क बनाकर तथा चयनित क्षेत्र के किसी एक पंजीकृत अभिभावक संगठन के सहयोग से आयोजित किये जाते है। यह आशा की जाती है कि क्षेत्रीय अभिभावक बैठकों द्वारा और अधिक स्व सहायक समूह बनाने के लिए अभिभावक संगठनकों विस्तार करने में और मानसिक मंद व्यक्तियों के क्षेत्रीय समस्याओं को सुलझाने मं सहायक होंगें

वर्ष 2013-14 में निम्नलिखित क्षेत्रों **(तालिका 20)** में 10 क्षेत्रीय अभिभावक बैठकें आयोजित की गई जिसका मुख्य विषय मानसिक मंदन का सकारात्मक पहलू था, जिससे 1052 व्यक्ति लाभान्वित हुए।

तालिका 20: क्षेत्रीय अभिभावक बैठकों की सूची

क्र.	क्षेत्रीय अभिभावक बैठक	तिथियाँ
1.	प्रथम क्षेत्रीय अभिभावक बैठक, मीरज, महाराष्ट्र	28-29 सितम्बर, 2013
2.	दूसरी क्षेत्रीय अभिभावक बैठक, दरभंगा, बिहार	26-27 अक्तूबर, 2013
3.	तीसरी क्षेत्रीय अभिभावक बैठक, फतेगढ साहिब, पंजाब	21-22 दिसम्बर 2013
4.	चौथी क्षेत्रीय अभिभावक बैठक, जबलपुर, मध्यप्रदेश	28-29 दिसम्बर, 2013
5.	पांचवी क्षेत्रीय अभिभावक बैठक, अगरताला, त्रिपुरा	08-09 जनवरी 2014
6.	छठवी क्षेत्रीय अभिभावक बैठक, राजगंगपुर, उडीषा	17-18 जनवरी, 2014
7.	सातवी क्षेत्रीय अभिभावक बैठक, पुरी, रामगढ, झारखंड	15-16 फरवरी 2014
8.	आठवी क्षेत्रीय अभिभावक बैठक, उन्नाव, उत्तर प्रदेश	08-09- मार्च, 2014
9.	नयी क्षेत्रीय अभिभावक बैठक, उदयपुर, राजस्थान	22-23 मार्च, 2014
10.	दसवी क्षेत्रीय अभिभावक बैठक, आइजोल	27-28 मार्च 2014

11.1.3 19वीं राष्ट्रीय विशेष कर्मचारी बैठक

रा.मा.वि.सं. विशेष कर्मचारियों की बैठक 1995 से आयोजित कर रहा है। विशेष कर्मचारियों की बैठक एक मात्र कार्यक्रम है जहाँ पारिश्रमिकता नौकरियों कर रहे मानसिक मंद व्यक्तियों को एक मंच पर अपने व्यावसायिक कौशल, संप्रेषण क्षमताएँ, सामाजिकीकरण, मार्केटिंग क्षमताओं को प्रदर्शित करने का अवसर दिया जाता है। पिछले 19 वर्षों से इसकी बहुत अच्छी प्रतिक्रिया आई है, इसलिए यह राष्ट्रीय स्तर की बैठक लक्षित आबादी का ध्यानाकर्षण कर रहा है।

19वीं विशेष नियोक्ता/कर्मचारी राष्ट्रीय बैठक के दौरान प्रदर्शनी

19वीं विशेष कर्मचारियों की राष्ट्रीय बैठक 30-31 अक्तूबर, 2013 को रा.मा.वि.सं., सिकंदराबाद द्वारा आयोजित की गई। विभिन्न क्षेत्रों में पी.डबल्य.आई.डी. के अनोखी क्षमताओं को दर्शाने वाली अनेक क्रियाकलापों को इस बैठक में देखने को मिला। देश भर के 130 विशेष कर्मचारियों ने दो दिवस की इस बैठक में अपने संरक्षकों के साथ भाग लिया और 8 राज्यों (आँध्रप्रदेश, केरल, हरियाणा, असम, कर्नाटक, गुजरात, प.बंगाल तथा नई दिल्ली) से आये हुए 30 संगठनों का प्रतिनिधित्व किया। इस बैठक के दौरान विशेष कर्मचारियों के विविध व्यापार तथा नौकरियों में कार धोने वाले, मोमबति, फाईल तैयार करना, प्रिंटिंग, कार्पोटरी, सिलाई का काम, खाना पकाना, एम्ब्राइडरी, ग्लास पेंटिंग, साफ्ट टाय तैयार करना, आफिस बाँय आदि शामिल है।

मुख्य अतिथि श्री एस हरिकृष्ण, जोनल कमिश्नर, जी.एच.एम.सी., ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि के रूप में श्रीराजाराम, डिविजनल प्रबंधक, ए.पी.एस.आर.टी.सी., उपस्थित हुए। निदेशक, एन.आई.एम.एच. ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। अतिथियों ने एन.आई.एम.एच. द्वारा किये जा रहे कार्य की प्रशंसा की।

बैठक के दौरान, 13 गैर सरकारी संगठनों के विशेष कर्मचारियों ने अपने व्यावसायिक कुशलताओं व उत्पादनों का अबिलिटी मेला के द्वारा प्रदर्शन किया। विभिन्न राज्यों के गैरसरकारी संगठनों द्वारा स्टाल्स् में विशेष कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शित व्यावसायिक क्षमताओं की प्रशंसा की।

बैठक के दूसरे दिन का आयोजन स्व समर्थन कार्यक्रम के द्वारा आरंभ हुआ जहाँ 302 विशेष कर्मचारियों ने भाग लिया तथा उन्होंने व्यक्त किया कि, उन्हें नियमित व्यक्तियों की तरह समान वेतन, नौकरियों में आरक्षण, परिवहन सुविधा, नियमित पेंशन व अक्षमता प्रमाण पत्र, आदि मिलना चाहिये।

कार्यक्रम का समापन समारोह 31.10.2013 को आयोजित किया गया। श्री दीपक भट्टाचार्य, जिला गवर्नर, लायंस क्लब इंटरनेशनल इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे तथा निदेशक, एन.आई.एम.एच. ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मुख्य अतिथि ने विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए गैर सरकारी संगठनों एवं विशेष कर्मचारियों की सराहना की। उन्होंने राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान द्वारा प्रदान की जा रही विशिष्ट सेवाओं एवं इस कार्यक्रम एवं पी.डबल्यु.आई.डी. व उनके परिवारों के लिए अन्य कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से आयोजित करने के लिए संस्थान की सराहना की। पुरस्कार वितरण तथा विशेष कर्मचारियों को सहभागिता प्रमाण पत्र प्रदान कर, कार्यक्रम को समाप्त किया गया।

11.1.4 ''बौद्धात्मक अक्षमता'' पर राष्ट्रीय सम्मेलन

''बौद्धात्मक अक्षमता'' पर राष्ट्रीय सम्मेलन का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार तथा राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिंकदराबाद द्वारा संयुक्त रूप से 7-8 नवम्बर, 2013 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया।

सम्मेलन में संयुक्त सचिव ने मंत्रालय में लिये गये नये कार्यक्रमों एवं सुधारों जैसे राष्ट्रीय संस्थानों की प्रगति को मानिटर करने के लिए नियमित आधार पर 100 अंकानुसार निर्धारण मापन करने के बारे में सूचित किया। उन्होने यह भी घोषित किया कि मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय संस्थानों ने अक्षम व्यक्तियों के कल्याण संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच तैयार करने के उद्देश्य से ऐसे ही कार्यक्रमों का आयोजन करने का ठान लिया। अक्षम व्यक्तियों के हित में कार्यरत् गैर सरकारी संगठनों को पूरी सहायता देने का उन्होंने आश्वासन दिया एंव अनुरोध किया कि किसी भी तरह के प्रस्ताव मंत्रालय की तरफ से तुरंत कार्यवाही हेतु भेजें।

विज्ञान भवन, नई दिल्ली में बौद्धिक अक्षमता पर राष्ट्रीय सम्मेलन

सम्मेलन का उद्घाटन सुश्री कुमारी शेल्जा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माननीया मंत्री, भारत सरकार द्वारा किया गया। उद्घाटन समारोह में उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों में श्रीमती स्तुति कक्कड, आई.एस.एस., सचिव, डीडीए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, लेफ्टिनेंट कर्नल आयान कारडोजा, अध्यक्ष, भारतीय पुनर्वास परिषद, श्रीमती

पूनम नटराजन, अध्यक्ष, राष्ट्रीय न्यास, श्री अवनीश अवस्थी, संयुक्त सचिव, डीडीए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, श्री टी.सी.शिवकुमार, निदेशक, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान एवं मेजर बी.वी. राजकुमार, उपनिदेशक, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान थे।

देश के विभिन्न भागों से आये 500 प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया। विख्यात व्यावसायिक/क्षेत्र के विशेषज्ञों ने बौद्धात्मक अक्षमता संबंधी विभिन्न विषयों पर अपने अनुभवों का आदान प्रदान किया। पाँच सत्रों में 16 वैज्ञानिक पेपर प्रस्तुत किये गये।

11.1.5 इंचियान कार्यनीति पर राष्ट्रीय स्तर कार्यशाला - भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्रभावकारी क्रियान्वयन

इंचियान कार्यनीति पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला - भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्रभावकारी क्रियान्वयन का आयोजन 20-21 फरवरी, 2014 को ठाकुर हरिप्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ रीहैबिलिटेशन साइंसेस, हैदराबाद के सहयोग से किया गया जिसके उद्देश्य निम्नलिखित थे।

कार्यशाला के उद्देश्य:

- इंचियान कार्यनीति को समझना और भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्रियान्वित करना
- भारतीय परिप्रेक्ष्य में इन्चियान लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तौर तरीकों के प्रभावकारी पद्धतियों, साधनों एवं सेवाओं के अभिसरण के लिए संसाधनों को समझना
- भारतीय परिप्रेक्ष्य में इंचियान कार्यनीति के मार्गदर्शनों को सफलतापूर्वक अंतर्निहित होना।

आँध्रप्रदेश तथा कर्नाटक के युनिसेफ के प्रमुख, श्रीमति रुथ लियानों, ने श्री विजय ठाकुर, अध्यक्ष, ठाकुर हरिप्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ रीहैबिलिटेशन साइंसेस, हैदराबाद तथा निदेशक, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान एवं अन्य प्रतिनिधियों की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया।

कार्यशाला के लिए 200 सदस्यों ने अपने नाम पंजीकृत करवाए। प्रत्येक लक्ष्य के लिए 10 मुख्य वक्ताओं को चुना गया। पहचान किये गये लक्ष्य का प्रत्येक विषय पर हर एक वक्ता ने पेपर प्रस्तुत किया जिसके पश्चात् सहभागियों ने प्रश्न किये एवं चर्चा की।

पेपर प्रस्तुतकर्ता एवं उनके विषय **तालिका 21** में दर्शाये गये है।

तालिका 21 - इन्चियान कार्यनीति पर राष्ट्रीय कार्यशाला में प्रस्तुत किये गये पेपर

लक्ष्य	लक्ष्य विवरण	प्रस्तुतकर्ता
1.	रेड्युस पावर्टी एण्ड एनहैंस वर्क एण्ड एम्प्लायमेंट प्रॉसपेक्ट्स एमाँग पर्सन्स् वित इंटलेक्चुवल डिसबिलटीज	डॉ.के. बालभास्कर, एन.आई.ई.पी.एम.डी., चेन्नई
2.	प्रमोट पार्टिसिपेशन इन पोलिटिकल प्रॉसेस एण्ड डेसिशन मेकिंग बाय पर्सन्स् वित इंटलेक्चुवल डिसबिलटीज	प्रो. वी. राजशेखर, ई.एफ.एल.यु., हैदराबाद.
3.	एनहैंस एक्सेस बाय पर्सन्स वित इंटलेक्चुवल डिसबिलटीज टु दि. फिजिकल एनविरानमेंट, पब्लिक ट्रैंसपोर्टेशन, नालेडज, इंफरमेशन एण्ड कम्युनिकेशन	डॉ. एटी. थ्रैसियाकुट्टी, कंसल्टेंट इन स्पेशल एजुकेशन एण्ड वोकेशनल ट्रेनिंग
4.	स्ट्रेन्थन सोशल प्रोटेक्शन फार पर्सन्स् वित्त डिसबिलटीज	डॉ. सुजाता गुडुरु, मिशन फार एलिमिनेश ऑफ पावर्टी इन मुनिसिपल एरियास, हैदराबाद.
5.	एक्स्पैंड एर्ली इंटरवेंशन एण्ड एजुकेशन आफ चिल्ड्रन वित डिसबिलिटीज	हॉ.ओम साई रमेश, एच.ओ.डी. - डी.एम.एस., एन.आई.एम.एच.
6.	एन्श्यूर जेंडर ईक्वालिटी एण्ड विमेन्स् एम्पावरमेट अमॉग पर्सन्स् वित इंटलेक्चुवल डिसबिलटीज	श्रीमती मंजुला कल्याण, फाऊन्डर, स्वयंकृषि

7.	एन्श्यूर डिसबिलिटी - इन्क्लुजिव डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एण्ड मैनेजमेंट	वी.आर.पी. शैलजा राव, एच.ओ.डी., डी.एस.ई. एन.आई.एम.एच.
8.	इम्प्रुव दि रिलयबिलिटी एण्ड कंपैरबिलिटी आफ डिसबिलिटि डाटा	डॉ. सरोज आर्य, भूतपूर्व एच.ओ.डी. ऑफ क्लिनिकल साइकॉलजी, रिटायर्ड, एन.आई.एम.एच. सिंकदराबाद
9.	ऐक्सिलरेट दि रैटिफिकेशन एण्ड इम्प्लिमेंटेशन आफ दि कंवेंशन आन दि राइट्स् आफ पर्सन्स वित इंटलेक्चुवल डिसबिलिटीज एण्ड टु हामोनिजेशन आफ नेशनल लेजिस्लेशन	डॉ. जयन्ती नारायण, कंसल्टेट, स्पेशल एजुकेशन, सिंकंदराबाद
10.	अडवांस सब रीजनल, रीजनल एण्ड इंटर रीजनल कोआपरेशन फार रीहैबिलिटेशन ऑफ पर्सन्स वित इंटलेक्चुवल डिसबिलिटीज	डॉ. थामस किशोर, रीडर इन हेल्थ साइकॉलोजी, सेंटर फॉर हेल्थ साइकालजी, युनिवर्सिटि आफ हैदराबाद.

कार्यशाला 21 फरवरी को समापन समारोह के साथ समाप्त हुई।

11.1.6 बौद्धात्मक अक्षम व्यक्तियों के लिए पाठचर्या मान्यीकरण पर राष्ट्रीय बैठक

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान ने अपने मुख्यालय में 23 फरवरी, 2014 को देश में बौद्धत्मक अक्षमता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए कार्यरत् विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रस्तावित पाठचर्या मार्गदर्शनों पर विचार करने के लिए बौद्धात्मक अक्षम व्यक्तियों के लिए पाठचर्या मान्यीकरण पर राष्ट्रीय बैठक का आयोजन किया। 35 संगठन से आये हुए 70 सहभागियों, 10 विशेषज्ञों, एन.आई.एम.एच. विशेष शिक्षा विभाग के 6 फैक्ल्टी सदस्यों तथा एन.आई.एम.एच. के 25 एम.एड. विद्यार्थियों ने इस बैठक में भाग लिया। सहभागियों में विशेष स्कूल के प्राचार्य/निदेशक, योग्यता प्राप्त एवं व्यवसायी विशेष शिक्षक जिनकी योग्यताएँ डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन से लेकर पी.एच.डी., बी.एड., एम.एड. तथा एम.फिल. थी । राष्ट्रीय बैठक में भाग लिये गये सहभागियों का विवरण **तालिका 22** में दिया गया है।

तालिका 22: राज्यवार केन्द्र तथा सहभागीजन

क्र.	राज्य	प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या	सहभागियों की संख्या
1.	आँध्रप्रदेश	12	37
2.	गुजरात	1	1
3.	हरियाणा	1	1
4.	जम्मू व कश्मीर	1	1
5.	झारखंड	1	1
6.	कर्नाटक	1	2
7.	केरल	2	4
8.	मध्यप्रदेश	1	2
9.	महाराष्ट्र	5	10
10.	नई दिल्ली	2	2
11.	पंजाब	2	2
12.	राजस्थान	1	1
13.	तमिलनाडु	3	3
14.	उत्तर प्रदेश	1	2
15.	प.बंगाल	1	1
	कुल	**35**	**70**

पहले कदम के रुप में, देश भर में स्थित 332 संगठनों को अपने संगठनों में प्रयुक्त पाठ्चर्या पर विवरण माँगते हुए एक पश्नावली भेजी गयी। ज्यादातर व्यावसायिक विशेष शिक्षकों को इसमें साभिप्राय सम्मिलित किया गया क्योंकि जो स्कूलों में सीधे ही पाठचर्या क्रियान्वित करते है। कुल 61 संगठनों ने इस प्रश्नावली का प्रत्युतर भेजा।

सारणीबद्ध किये गये प्रत्युत्तरों का विश्लेषण किया गया तथा विशेषज्ञ समूह को प्रस्तुत किया गया। विशेषज्ञ समूह में वरिष्ट विशेष शिक्षक, पाठचर्या विशेषज्ञ तथा विश्विविद्यालय के संकाय सदस्य थे। विशेषज्ञ समूह के सिफारिशों के आधार पर पाठचर्या दिशा निर्देश विकसित किये गये।

विस्तृत चर्चा के पश्चात्, सहभागियों ने छोटे छोटे समूहों ने बनकर विभिन्न स्तरों, क्षेत्रों पर पाठचर्या के विषयवस्तु पर चर्चा की तथा अपने अपने सिफारिशों को बड़े समूह को विचारार्थ एवं संशोधन हेतु प्रस्तुत किये। सारी चर्चाओं के आधार पर, सुझावों को सम्मिलित किया गया तथा पाठ्चर्या को अंतिम रुप दिया गया।

पाठचर्या दिशा निर्देशों के आधार पर, विशेष शिक्षा विभाग ने प्रत्येक स्तर के लिए सूची बद्ध किये गये क्रियाकलापो में शिक्षण देने के लिए हैंडबुक्स् तैयार किये। उम्मीद है कि, बच्चों को कक्षा में प्रभावी रुप से सिखाने व व्यवहारों के प्रबंधन में यह शिक्षकों को सहायक होगी।

11.1.7 ''रोजगार बौद्धात्मक विकलांग व्यक्तियों को स्वतंत्र जीवनयापन की ओर ले जाता है'' पर राष्ट्रीय सम्मेलन

बैद्धिक अक्षम व्यक्तियों के स्वतंत्र जीवन-यापन के लिए रोजगार पर राष्ट्रीय सम्मेलन

रोजगार बौद्धात्मक विकलांग व्यक्तियों को स्वतंत्र जीवनयापन की ओर ले जाता है पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिंकदराबाद में 25 से 27 फरवरी 2014 को आयोजित किया गया। सम्मेलन का मुख्य विषय था - पी.डबल्यु.आई.डी. के स्वतंत्र जीवनयापन के लिए रोजगार का सेतु और उपविषय थे ट्रान्सिशन सेवाएँ, रोजगार के तथा स्वतंत्र जीवन यापन में अवरोधों को तोडना। लगभग पाँच निमंत्रित वरिष्ठ विशेषज्ञों ने, रोजगार के अवरोधों को तोडना-विषय पर पैनल चर्चा में भाग लिया। इस सम्मेलन में देश भर से प्रोत्साहन जनक प्रतिक्रिया मिली। सहभागियों में पी.डबल्यु.आई.डी. के व्यावसायिक पुनर्वास एवं स्वतंत्र जीवनयापन में सम्मिलित विभिन्न संगठनों के सदस्य थे। लक्ष्य समूह में पुनर्वास व्यावसायिक, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, सरकारी प्रतिनिधि, विकलांगता पुनर्वास के विशेषज्ञ, अनुसंधानकर्ता, एन.आई,एम.एच. के स्टाफ तथा विद्यार्थी (पीजी तथा डिप्लोमा) सम्मिलित थे।

इस क्षेत्र के प्रमुख विशेषज्ञ, फादर थामस फेलिक्स, श्रीमति मंजुला कल्याण, श्री विक्रम दत्त तथा श्री वेंगलरेड्डी इस अवसर पर उपस्थित हुये। श्री टी.सी. शिवकुमार, निदेशक, एन.आई.एम.एच. ने अपने मुख्य भाषण में व्यावसायिक पुनर्वास पर जोर देने वाले यु.एन.सी.आर.पी.डी., इनचियान स्ट्रैटजीस की तरह के नवीन नीतियों पर ध्यान केन्द्रित किया।

सम्मेलन के लक्ष्य

- बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त व्यक्तियों में रोजगार सेतु बनाना
- बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त व्यक्तियों के व्यावसायिक पुनर्वास में सम्मिलित सदस्यों का संजाल बनाना
- बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आगामी सेवाओं की योजना बनाना तथा क्रियान्वित करने हेतु एक रोड मैप बनाना।

विकलांग व्यक्तियों के व्यावसायिक पुनर्वास में कार्यरत् विशेषज्ञों तथा सुप्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा कुल 19 पेपर प्रस्तुत किये गये। विवरण **तालिका 23** में दर्शाया गया है।

तालिका: 23: सम्मेलन में प्रस्तुत किये गये पेपर

क.	पेपर का शीर्ष	प्रस्तुतकर्ता
1.	व्यावसायिक प्रशिक्षण, पाठचर्या तथा बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए प्रमाणीकरण	डॉ. जयराज
2.	बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए स्कूल से कार्य के आंतरण की आवश्यकता तथा नमूना	श्री अलोक भुवन
3.	बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त विद्यार्थियों को समर्थन देने के लिए सार्वजनिक निजी साझेदारी	श्री अशोक चक्रबोर्ती, सचिव शेल्टर, प.बंगाल
4.	बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त व्यक्तियों के प्लेसमेंट में परिवार तथा समुदाय की जिम्मेदारी	डॉ.बी.पी. निर्मला, सह आचार्य, सैकियाट्रिक सोशल वर्क, निमहांस
5.	सार्वजनिक-निजी साझेदारी द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा रोजगार के बीच सेतु बनाना; निर्भर से स्वजीवन यापन	विक्रम दत्त मनोविकास चारिटैबल सोसाइटी
6.	बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए मुस्कान रेसिडेन्शियल फेसिलिटि से संबंधित लाइफ स्पैन अप्रोच प्रशिक्षण	सुश्री आभा खान
7.	बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए भारत में नौकरी विस्थापन अवसरों के कानूनी प्रावधानों पर विश्लेषण	जे.एस. सुधीर मरखम, विशेष शिक्षक तथा पृथ्वी राज, के.एम.ई.डी., प्रशिक्षक, एन.आई.एम.एच
8.	स्व. समर्थन तथा स्व: निर्धारण कुशलताओं में प्रशिक्षण	टी.अरुणा, विशेष बच्चे की माता और एन.आई.एच. के विशेष शिक्षा विभाग में विशेष शिक्षकों के साथ कार्यरत्
9.	बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त व्यक्तियों का मनोरंजनात्मकता/ अवकाश कालीन क्रियाकलापों में सहभागिता	डॉ. के. पद्मावती तथा महेश कुमार चौधरी, विशेष शिक्षा विभाग, एन.आई.एम.एच.
10.	रोजगार तथा स्वतंत्र जीवन यापन की ओर ले जाने वाली व्यावसायिक सेवाएँ	श्री बी.अशोक, विभागध्यक्ष, डेयल, एन.आई.एम.एच.
11.	रोजगार पर अभिभावकों के विचार, उसकी आवश्यकता तथा बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त व्यक्तियों पर प्रभाव	संपूर्णा गुहा, एम.एड., विशेष शिक्षा प्रशिक्षक, एन.आई.एम.एच.
12.	बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त व्यक्तियों के स्व समर्थन तथा स्व: निर्धारण	एन. लक्ष्मी नारायणा, तकनीकी सहायक, परिवार सीसीएच., हैदराबाद
13.	स्वतंत्र जीवनयापन का नेतृत्व करने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा प्लेसमेंट नमूनों का मानकीकरण-परियोजना का प्रतिवेदन	डा ए टी थ्रेसियाकुट्टी, विशेष शिक्षक तथा गेस्ट फैक्ल्टी, एन.आई.एम.एच.
14.	स्वतंत्र जीवनयापन में व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार का प्रभाव	श्री संजय राव, विशेष कर्मचारी, एन.आई.एम.एच.
15.	मानसिक तौर पर चुनौती देने वाले प्रौढ़ व्यक्ति के समर्थन तथा पुनर्वास के लिए एक नमूना कार्यक्रम	श्रीमति पूनम नटराजन, अध्यक्ष, राष्ट्रीय न्यास, नई दिल्ली
16.	लोगों के अधिकार बिल तथा पूर्वव्यावसायिक कुशलताएँ	श्रीमति राजुल पद्मनाभन, निदेशक, विद्यासागर, चेन्नई
17.	बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त व्यक्तियों के बीच बंधन बनाने की क्षमता	डॉ. शांति आलक, निदेशक, मुसकान रीहैबिलिटेशन सेंटर, दिल्ली
18.	बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त व्यक्तियों को सुधारने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों मे सरकारी नीतियों की प्रभावात्मकता	श्री वेंगलरेड्डी, आँध्रप्रदेश
19.	व्यावसायिकों की प्रेरणा और उनकी आवश्यकताओं की प्रभावात्मकता	श्री विक्रमदत्त, अध्यक्ष, मनोविकास चैरिटेबल सोसाइटी, दिल्ली

दिये गये निम्नलिखित मुद्दों के विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए सहभागियों को समूहों में विभाजित किया गया।

- बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त व्यक्तियों को स्कूल से कार्य को अंतरण: आवश्यकता, महत्व तथा क्रियान्वयन के लिए मार्गदर्शन।
- बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त व्यक्तियों के प्रशिक्षण तथा प्लेसमेंट में अवरोधों का मुकाबला करने की कार्यनीतियाँ। माता पिता की सहभागिता, नियोक्ता तथा समुदाय के सहयोग को हम किस प्रकार प्रोन्नति दे सकते है।
- बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक पाठचर्या के अवयवों का सुझाव दें।
- बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त व्यक्तियों द्वारा महारथ हासिल माडूयूलर रोजगार कौशलों के मूल्यांकन तथा प्रमाणीकरण केलिए मार्गदर्शन पर कार्य करना
- बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए स्वतंत्र जीवनयापन के नमूने - क्रियान्वयन के लिए मार्गदर्शन तैयार करें
- बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त व्यक्तियों द्वारा स्व समर्थन तथा स्व संकल्प की प्रोन्नति के लिए कार्यनीतियों की सूची बनाएँ

सम्मेलन से निष्कर्ष में बौद्धात्मक अक्षम व्यक्तियों के रोजगार को बढ़ावा दिये जाने के द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा स्वतंत्र जीवनयापन कार्यक्रमों के लिए मार्ग योजना नक्शा (रोड मैप) मिला।

अपना अनुभव बताते हुए विशेष कर्मचारी

राष्ट्रीय सम्मेलन में विशेषज्ञों से भेंट

कई विशषज्ञो ने बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास एवं स्वतंत्रजीवन यापन के विभिन्न नमूने विकसित करने की प्रक्रिया में सीखे गये अभ्यासों, अपने प्रैक्टिकल अनुभवों, चुनौतियों का आदान प्रदान किया। प्रश्न एवं उत्तरो, टिप्पणियों एवं सुझाओं ने सहभागियों को नए सोच और विचारों से अपने आपको पुन: समर्पित होने की प्रेरणा दी। देश भर के अनुभवी व्यावसायिकों व विशेषज्ञों को अपने विचारों का आदान प्रदान करने तथा एक योजना बनाने के लिए यह सम्मेलन एक सफल प्रयास रहा।

11.1.8 निशक्त जन के अधिकार एवं हकों पर दक्षिण क्षेत्रीय कार्यशाला

निशक्त:जन कार्य विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार एवं राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान ने संयुक्त रुप से रा.मा.वि.सं. के मुख्यालय में 12 व 13 जून 2014 को निशक्त:जन के अधिकार एवं हकों पर दो दिवसीय दक्षिण क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

ऑध्रप्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पान्डिचेरी तथा केंद्र शासित प्रदेश लक्ष्यद्वीप राज्यों के 140 प्रतिनिधियों ने इस कार्यशाला में भाग लिया। विभिन्न विभागों व प्रमुख गैर सरकारी संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने अपने राज्य का प्रतिनिधित्व किया। इसके अलावा, एन.आई.एम.एच. के लगभग 50 स्नातकोतर विद्यार्थी एवं संकाय सदस्यों ने भी इस कार्यशाला से लाभ उठाया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के विभिन्न संगठनों व विभागों के अध्यक्षों ने इस कार्यशाला के संसाधन व्यक्ति थे।

श्री पी. बलराम नायक, राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। कार्यशाला के उद्घाटन समारोह में उपस्थित अन्य जाने माने व्यक्ति थे।

- सुश्री स्तुति कक्कड़, सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- श्री पी.के.पिंचा, नि:शक्तजन के मुख्य आयुक्त
- मेजर जनरल आय कार्डेजो, अध्यक्ष, भारतीय पुनर्वास परिषद्
- सुश्री पूनम नटराजन, अध्यक्ष, राष्ट्रीय न्यास
- सुश्री नीलम साहनी, प्रधान सचिव, आँध्रप्रदेश सरकार
- श्री अवनीश अवस्थी, आई.ए.एस., संयुक्त सचिव (डीडी)
- श्री टी.डी. धारियाल, उप सी.सी.पी.डी
- श्री प्रभाकर, सी, निदेशक, विकलांगताएँ, ऑध्र प्रदेश सरकार
- श्री टी.सी.शिवकुमार, निदेशक, एन.आई.एम.एच.

विकलांग व्यक्तियों के ''हकों और अधिकारों'' पर एस.आर.डब्ल्यु, कार्यशाला

श्री अवनीश अवस्थी, आई.ए.एस., संयुक्त सचिव (डीडी), ने अतिथियों/प्रतिनिधियों का स्वागत किया। उन्होंने यह बताया कि नि:शक्तजनों के लिए एक अलग विभाग, नि:शक्तजन कार्य विभाग, का सामाजिक न्याय औरअधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बनाया गया। उन्होंने इस नए विभाग द्वारा लिये जा रहे मापनों के बारे में बताया। श्री टी.डी. धरियाल, विकलांगजन के उप मुख्य आयुक्त, भारत सरकार ने कार्यशाला के उद्देश्यों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि, कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य नि:शक्तजन कार्य विभाग एवं इसके विभिन्न क्रियाकलापों के बारे में जागरूक करना है।

श्री पी. बलराम नाईक, माननीय राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय औरअधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने सभा का संबोधन करते हुए यह आश्वासन दिया कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, विकलांगजन के हितार्थ सभी आवश्यक कदम उठाएगा। उन्होने अपने उत्साहजनक भाषण द्वारा दक्षिण के गैर सरकारी संगठनों से आग्रह किया कि अपने अपने राज्यों के विकलांगजनों के कल्याण के लिए भारत सरकार की योजनाओं से लाभ उठायें। श्री टी.सी. शिवकुमार, निदेशक, एन.आई.एम.एच. ने धन्यवाद प्रस्तुत किया।

श्रीमति स्तुति कक्कड़, सचिव, भारत सरकार ने सभा को संबोधित करते हुए राज्यों व हितधारकों से आग्रह किया कि विकलांगजनों के हितार्थ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करने में अभिसरित हों।

कार्यक्रम सूची के अनुसार कार्यक्रम सत्र सम्पन्न हुआ और वक्ताओं ने अपने अपने संगठनों के उद्देश्य तथा भूमिकाओं पर प्रकाश डाला। हर एक सत्र के अंत में सहभागियों से परस्पर चर्चा की गई। सहभागियों द्वारा पूछे गये प्रश्नों पर संबंधित वक्ताओं ने उत्तर दिया।

- ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगजनों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों के बारे में पूछे गये पश्न के उत्तर में संयुक्त सचिव ने सूचित किया कि एन.आर.एच.एम. जैसी कार्यक्रम/योजना निर्माण करने के लिए प्रयास किये जा रहे है जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकलांगजनों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

- प्रश्नों के उत्तर देते हुए संयुक्त सचिव ने विकलांगजनों से संबंधित सभी योजनाओं को समाविष्ट करते हुए एक छतरी योजना लाने की आवश्यकता को परिकल्पित किया।

- कान के पीछे लगाने वाले यंत्र को एडिप योजना के अंतर्गत लाने के लिए एक प्रश्न का जवाब देते हुए, अलिम्को ने कहा कि, भारत सरकार कान के पीछे लगाने वाले यंत्र को एडिप योजना के अंतर्गत ला चुकी है।

भविष्य में ध्यान देने के क्षेत्र

- एन.आई.एम.एच में एक कानूनी प्रकोष्ठ का गठन करना
- मानसिक मंदन के क्षेत्र में ऑनलाइन कार्यक्रमों को प्रस्तावित करना
- व्यावसायिक प्लेसमेंट नमूनों के विकास का प्रस्ताव
- मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक कुशलता प्रशिक्षण का मानकीकरण
- मौजूदा समाविष्ट नमूने की जगह श्रवण क्षति वाले व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए ए.वाई.जे.एन.आई.एच.एच. एक अलग सुविधा का प्रस्ताव रखेगी।
- यह प्रस्ताव रखा गया कि मेडिकल विश्वविद्यालयों तथा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय को अपने पाठ्यक्रम में विकलांगता के प्रारंभिक अंतराक्षेपण पर विषय जोडने का अनुरोध किया जाएगा
- श्री एन.डी.अग्रवाल, कलेक्टर, साउथ गोवा, अपने जिले में विकलांग व्यक्तियों के लिए अनावरोध परिसर निर्माण करने हेतु उठाए गये कदमों के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को भेजेंगी ताकि देश के अन्य कलेक्टरों को नमूने तथा मार्गदर्शन हेतु सूचित किया जा सकें।
- इस विषय पर चर्चा की गई तथा प्रस्तावित किया गया कि विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशासकों की पाठचर्या मे विधि निर्माण संबंधी विषय सम्मिलित करने के लिए संबंधित निकायों से अनुरोध किया जाए।
- यह चर्चा की गई एवं प्रस्ताव रखा गया कि जिला स्तरों पर विकलांगता पुनर्वास की प्रक्रिया में जेड, पी. के सी.ई.ओ. को शामिल किया जाए।
- डी.डी.आर.एस. निधि प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाने का अनुरोध किया गया क्योंकि, मंत्रालय में यह फाइल कई अधिकारियों के द्वारा प्रस्तुत की जाती है।
- गैर सरकारी संगठनों के सभी प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से डी.डी.आर.एस. योजना को ऑनलाइन बनाने का अनुरोध किया तथा प्रक्रिया तेजी से चलाने के लिए, प्राप्त निधियाँ का एक डाटा बेस का निर्वाह करने का अनुरोध किया।
- राज्य सरकारों से डी.डी.आर.एस. प्रस्ताव वर्ष के आरंभ में भेजने का अनुरोध किया गया ताकि अनुदान जल्द दे सकें।
- मानसिक मंद व्यक्ति को प्रमाण पत्र देने के लिए पुनर्वास मनोवैज्ञानिक को शामिल करने का अनुराध किया गया।
- डी.डी.आर.एस. योजना में से 50 प्रतिशत अनुदान अग्रिम के रूप में देने का अनुरोध किया गया

समापन सत्र के दौरान, एन.आई.एम.एच. ने सभी प्रतिनिधियों से प्रतिक्रिया पाप्त की और श्री टी.सी. शिवकुमार, निदेशक, एन.आई.एम.एच. ने दो दिवसीय कार्यशाला के समापन की घोषणा की। श्री टी.डी. धरियाल, उप.सी.सी.पी.डी. तथा श्री हर्ष भल, सी.एम.डी., एन.एच.एफ.डी.सी., इस समापन समरोह में उपस्थित अन्य प्रमुख थे। निदेशक, एन.आई.एम.एच. ने सभी प्रतिनिधियों एवं प्रमुखों को इस कार्यशाला में भाग लेने के लिए आभार व्यक्त किया।

आँध्रप्रदेश सरकार ने एन.आई.एम.एच. को इस कार्यशाला के आयोजन में समर्थन दिया। एन.आई.एम.एच. ने कार्यशाला सुचारू रूप से संचालन करने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया, अर्थात्, स्वागत समिति, भोजन व आवास प्रबंधन समिति, क्रय समिति, भौतिक प्रबंधन समिति तथा मीडिया समिति। यह कार्यशाला इन समितियों तथा प्रशासनिक अध्यक्षों के सामूहिक प्रयासों से आयोजित की गई।

11.2 विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस समारोह

रा.मा.वि.सं. ने 3.12.2010 को आम जनता के लिए ''मुक्त दिवस'' के रूप में घोषित कर विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। जनता को विकलांगता, विशेषकर मानसिक मंदन की रोकथाम, प्रारंभिक पहचान एवं असर के बारे में सूचना दी। इसके अलावा, रा.मा.वि.सं. के विभिन्न क्रियाकलापों को भेंटकर्ताओं ने प्रत्यक्ष देखा।

विशेष कर्मचारियों द्वारा व्यावसायिक उत्पादनों की प्रदर्शनी

विशेष शिक्षा केन्द्र में उपस्थित बच्चों को टीचिंग लर्निंग सामग्री वितरित की गई। रा.मा.वि.सं. स्पेशन स्कूल व डेयल के प्रशिक्षुओं व छात्रों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा कार्यक्रम समाप्त हुआ।

11.3. रा.मा.वि.सं. का वार्षिक दिवस समारोह

रा.मा.वि.स. एवं उनके क्षेत्रीय केन्द्रो ने 30 वाँ वार्षिक दिवस मनाया।

28 मार्च, 2014 को वार्षिक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर शैक्षिक वर्ष 2013-14 के 3 छात्रों को उनके अपने दीर्घावधि कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियों पर प्रशस्ति पत्र व योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदान किये गए **(तालिका-24)**।

वार्षिक दिवस समारोह

इस अवसर पर रा.मा.वि.सं., सिकन्दराबाद के विशेष शिक्षा केन्द्र, के मानसिक मंद बच्चों व उनके अभिभावकों, विभिन्न दीर्घावधि पाठ्यक्रम प्राप्त कर रहे छात्रों व कर्मचारियों ने विभिन्न सांस्कृतिक क्रियाकलाप प्रस्तुत किए।

तालिका: 24 दीर्घावधि शैक्षिक कार्यक्रम में प्रशस्ति व योग्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त विद्यार्थियों की सूची

क्र.सं.	विद्यार्थी का नाम व पाठ्यक्रम	प्रशस्ति व योग्यता प्रमाण-पत्र का नमा
1.	सुश्री शबनम रहमान	रूपलाल इन्द्रावती प्रशस्ति व योग्यता प्रमाण-पत्र
2.	श्री सुनील कुमार मौर्य	नारायण ओंपरचुनिटी स्कॉलरशिप प्रशस्ति पत्र
3.	श्री ए. राघव राजु	तुला अनंत सरस्वती स्वर्ण पदक, प्रशस्ति व योग्यता प्रमाण-पत्र

11.4 इन्टर्नशिप

रा.मा.वि.सं. एवं उनके क्षेत्रीय अन्य शैक्षिक संगठनों के विद्यार्थी, जो व्यावसायिक स्तर पर स्नातक एवं मास्टर्स कार्यक्रम कर रहे हैं, को विस्थापन सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। वर्ष 2013-14 में विभिन्न विभागों में 17 संस्थानों के विद्यार्थियों को इंटर्नशिप हेतु संस्थान के विभिन्न विभागों में विस्थापित किया गया।

11.5 गणतंत्र दिवस परेड में सहभागिता

आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा 26 जनवरी, 2014 को आयोजित 65 वे गणतंत्र दिवस परेड में रा.मा.वि.सं. मुख्यालय के विशेष शिक्षा केन्द्र के मानसिक मंद बच्चों एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहें प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया।

11.6 महत्वपूर्ण व्यक्तियों की भेंट

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के श्री पोरिक बलनाम नायक, माननीय राज्य मंत्री, सुश्री स्तुति कक्कड, सचिव, श्री अवनीश अवस्थी (आई.ए.एस.) संयुक्त सचिव, डीडीए, ने ''विकलांग व्यक्तियों के अधिकार तथा हकों'' पर दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यशाला में भाग लेने हेतु 12 जून, 2013 को संस्थान का दौरा किया।

- श्री अवनीश अवस्थी (आई.ए.एस.), संयुक्त सचिव, डीडीए, ने क्षेत्रीय केन्द्र, रा.मा.वि.सं., लाजपत नगर, नई दिल्ली का 1.6.2013 को तथा 26.8.2013 को दौरा किया।

- सुश्री कुमारी शेल्जा, माननीय कैबिनेट मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार मुख्य अतिथि के रूप में 11-12 नवम्बर, 2013 को गवर्नमेंट मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, चंडीगढ में आयोजित 21वी राष्ट्रीय अभिभावक बैठक में भाग लिया।

- सुश्री स्तुति कक्कड, सचिव, डीडीए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने 3 जनवरी 2014 को नोएडा भवन की भेंट की।

11.7 राष्ट्रीय पुरस्कार

- श्री पी. समैया, पुनर्वास अधिकारी एवं श्री के. रमेश व्यावसायिक अनुदेशक, रा.मा.वि.सं. ने महामहिम भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी से वर्ष 2013-14 के लिए विकलांग व्यक्तियों के जीवन सुधारने के लिए लक्षित उत्तम अनुप्रयुक्त अनुसंधान/अन्वेषण/उत्पादन की तैयारी के अंतर्गत लागत प्रभावी नए उत्पादन के विकास के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया।

  श्री नीरज शर्मा ने निशक्त व्यक्तियों के अधिकारिता राष्ट्रीय पुरस्कार (उत्तम कर्मचारी) महामहिम, भारत के राष्ट्रपति, श्री प्रणबमुखर्जी से वर्ष 2013-14 के लिए 3 दिसम्बर 2014 को प्राप्त किया। उन्होंने अपने परिवार को तथा एम.एस.ई.सी. को अपनी उपलब्धियों से गर्व महसूस कराया।

सिकन्दराबाद में गणतंत्र दिवस के दौरान रा.मा.वि.सं. द्वारा प्रस्तुत की गई झांकी

अध्याय 12

प्रशासन

12.1 स्टाफ की संख्या

भारत सरकार, कार्मिक व प्रशिक्षण मंत्रालय, कार्मिक, जन-शिकायतें और पेंशन विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96-स्था (रेस.,) दिनांक 2.7.1997 के अनुसार संशोधित पद-आधारित रोस्टर को अपनाया गया तथा पालन किया गया।

31 मार्च, 2014 को पदों की कुल संख्या **तालिका 25 तथा 26** में दर्शायी गयी है।

तालिका 25: रा.मा.वि.सं., सिकंदराबाद एवं क्षेत्रीय केन्द्र

क्र.	वर्ग	मंजूर की गई संख्या	भरी गई कुल संख्या
1.	क	26	17
2	ख	19	13
3	ग	48	39
4	घ	14	10
	कुल	107	79

*26 नये पदों का सृजन किया गया आर इस संबंध में मंत्रालय से अंतिम अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

तालिका 25: रा.मा.वि.सं., एम.एस.ई.सी., नई दिल्ली

क्र.	वर्ग	मंजूर की गई संख्या	भरी गई कुल संख्या
1.	क	01	01
2.	ख	15	12
3.	ग	08	06
4.	घ	09	05
	कुल	33	24

12.2 नियुक्तियाँ/सेवा निवृत्तियाँ

नियुक्तियाँ

1. श्रीमती के. पद्मावती, जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर को 13.9.2013 से स्पेशल एजुकेशन टीचर पद पर पदोन्नति की गई।
2. श्री ऋषिकेश देशपाँडे का रीहैबिलिटेशन थेरेपिस्ट पद के लिये 23.10.2013 को चुना गया (2.8.2014 तक मान्य है)
3. श्री हरीश को एन.आई.एम.एच. एम.एस.ई.सी., नई दिल्ली में 13.11.2013 से रीहैबिलिटेशन थेरपिस्ट पद (31.7.2014 तक मान्य) के लिए चुना गया।
4. सुश्री जक्किडि प्रशांति को 18.11.2013 को स्पीच पैथलाजिस्ट पद के लिए चुना गया।
5. श्री अनिल सिंह बोरा को एन.आई.एम.एच., एम.एस.ई.सी., नई दिल्ली में 28.11.2013 से एल.डी.सी. पद के लिए चुना गया।

सेवा निवृत्तियाँ

1. श्रीमती मंगला शिवरामन, आफीस सुपरिन्टेन्डेंट ने 3.7.2013 से सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली।

2. श्री वी.एस. रामचंद्रन, यू.डी.सी. 31.8.2013 को सेवा निवृत हुए।

3. श्री एन.के. शर्मा, क्राफ्ट इन्स्ट्रक्टर, एन.आई.एम.एच., एम.एस.ई.सी., नई दिल्ली, 30.9.2013 को सेवानिवृत हुए।

4. श्रीमती अर्चना प्रभाकर, सीनियर सोशल वर्कर, एन.आई.एम.एच., क्षेत्रीय केन्द्र 30.11.2013 को सेवानिवृत्त हुई।

निधन

श्री डी. मुकुन्दम, एल.डी.सी.टाईपिस्ट का 29.8.2013 को निधन हुआ।

12.3 सतर्कता एकक के क्रियाकलाप एवं उपलब्धियाँ

भारत सरकार के निर्देश के अनुसार विभिन्न सतर्कता प्राधिकारियों को सतर्कता की त्रैमासिक, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक विवरणियाँ भेजी गई।

वर्ष 2013-14 के दौरान 28.10.2013 से 2.11.2013 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया। मुख्य स्थानों पर भ्रष्टाचार विरोधी संदेश/पोस्टर्स लगाये गये और 28-10-2013 को प्रतिज्ञा ली गई। नारे लेखन, निबंध लेखन, अंग्रेजी, हिन्दी में संदेशों सहित पोस्टर तैयार करना, वक्तृता, स्किट जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

12.4 हिन्दी कार्यान्वयन

संस्थान, राजभाषा अधिनियम, नीति व नियमों का अनुपालन अपने मुख्यालय तथा दिल्ली, मुम्बई व कोलकाता में स्थित क्षेत्रीय केन्द्रों मं एवं रा.मा.वि.सं. माडल स्पेशल एजुकेशन सेंटर, नई दिल्ली में क्रियान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हिन्दी को राजभाषा के रूप में प्रचार प्रसार करने के लिए तथा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा निर्देशित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संस्थान ने विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजनों के द्वारा हर संभव प्रयास किया। भारत सरकार के नियमानुसार केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण योजना में हिन्दी भाषा प्रशिक्षण, टंकण प्रशिक्षण तथा आशुलिपि में प्रशिक्षण के लिए संस्थान के कर्मचारियों को नामित किया जाता है।

1. नियमों का अनुपालन

वार्षिक कार्यक्रम 2013-14 पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में चर्चा की गई और सभी विभागों को परिचालित किया गया। वार्षिक कार्यक्रम में दिये गये लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया गया। हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दिया गया आर राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अधीन आने वाले कागजात, अर्थात्, सामान्य आदेश, ज्ञापन आदि द्विभाषी में जारी किये गये। जहाँ तक संभव हो, क तथा ख क्षेत्र को भेजे जाने वाले पत्र तथा ग क्षेत्र में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों को भेजे जाने वाले पत्र द्विभाषी में भेजे गये।

2. हिन्दी कार्यशालाएँ

संस्थान के अधिकारी व कर्मचारियों को राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976 के बारे में अवगत कराने हेतु अवैधिक कार्यशालायें, 19-3-2014, 6-9-2013 तथा 28.5.2013 को आयोजित की गई। संस्थान के अधिकारियों व कर्मचारियों ने इन कार्यशालाओं से लाभ उठाया।

3. राजभाषा कार्यान्वयन समिति

संस्थान के राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष संस्थान के निदेशक हैं तथा उपनिदेशक (प्र) हिन्दी कार्यान्वयन अधिकारी हैं। सभी विभागों व अनुभागों कें प्रतिनिधि, हिन्दी कर्मचारी इस समिति के सदस्य हैं। समिति की बैठकें हर तिमाही में आयोजित की जाती हैं जिसमें राजभाषा क्रियान्वयन संबंधी विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाती है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तीन बैठकें 12.3.2014, 4.12.2013 तथा 25.4.2013 को आयोजित की गई।

4. हिन्दी पखवाडा समारोह

हिन्दी के प्रचार प्रसार हेतु तथा कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से, हिन्दी पखवाडे का 13-27 सितम्बर, 2013 को आयोजन किया गया। इस पखवाडे के दौरान कर्मचारियों को राजभाषा नियमों के बारे में बताया गया। हिन्दी के प्रति रुचि बढ़ाने तथा भाषा की सरलता को समझने के लिए निम्नलिखित प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया - क) हिन्दी पठन, ख) आप बिती घटना या देखा हुआ सपना ग) पारिभाषिक शब्दावली और वाक्य, घ)हिन्दी टंकण, च) प्रश्नमंच, छ) नोटिंग तथा ड्राफ्टिंग। प्रतियोगिताओं के विजेताओं को हिन्दी पखवाडा समापन समारोह के दौरान पुरस्कार वितरित किये गये । इस कार्यक्रम के लिए खर्च की गई कुल राशि रु. 37,873/- थी।

5. आवधिक रिपोर्ट

संस्थान ने तिमाही तथा वार्षिक रिपोर्टों को निर्धारित प्रोफार्मा में समय पर मंत्रालय को भेजा। इसके अतिरिक्त, नागरिक चार्टर द्विभाषी में तैयार किया गया जबकि, ''प्रतिदिन एक हिन्दी शब्द सीखें'' योजना जारी रही।

12.5 कर्मचारी प्रशिक्षण

कर्मचारी विकास के एक भाग के रूप में, शैक्षणिक वर्ष 2013-14 के दौरान, संस्थान ने चार कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए सिफारिश की और प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

12.6 परिषद् की बैठकें

वर्ष 2013-14 में आयोजित परिषद् की बैठकें तालिका 27 मे दर्शायी गयी। प्रत्येक परिषद् के लिए नामित अभ्यर्थियों के नाम **परिशिष्ट 6,7, तथा 8 पृष्ठ सं. 92, 94, 95** पर दिये गये हैं।

तालिका 27: वर्ष के दौरान परिषद् की बैठकें:

क्र.	बैठके	संख्या	दिनांक	स्थान
1	महापरिषद्	34	20.11.2013	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नर्स दिल्ली
2	कार्यकारिणी परिषद्	99	13.06.2013	सामजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली
3	कार्यकारिण परिषद्	100	18.11.2013	सामाजिक न्याय और अधिकरिता मंत्रालय, नई दिल्ली
4.	कार्यकारिणी परिषद्	101	12.02.2014	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली
5.	शैक्षणिक समिति	--	04.02.0214	रा.मा.वि.सं., सिकंदराबाद

12.7 सूचना का अधिकार अधिनियम - 2005

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान वर्ष 2005 से ही सूचना का अधिकार अधिनियम को क्रियान्वित कर रहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1) (बी) के अनुसार आर.टी.आई. अधिनियम में दिये गये प्रावधान अनुसार संस्थान संबंधी सूचना वेबसाइट पर अपलोड की गई। संस्थान में वर्ग क स्तर पर जनसूचना अधिकारी कार्यरत् है और वर्ग ''ख'' स्तर पर सहायक जनसूचना अधिकारी कार्यरत् है और वर्ग ''क'' स्तर अपीलेट अथारिटी नियमित है। इन अधिकारियों के अलावा, क्षेत्रीय केन्द्र नई दिल्ली, कोलकाता, तथा नवी मुम्बई के प्रभारी अधिकारी सहायक जनसूचना अधिकारी के रूप में कार्य करते है जबकि एन.आई.एम.एच. एम.एस.ई.सी के प्रधानाचार्या सहायक जनसूचना अधिकारी के रूप में कार्य करते है। वर्ष 2013-14 के दौरान आर.टी.आई. के अंतर्गत 63 आवेदन पत्र प्राप्त हुए और इनमें से 39 निपटाये गये।

12.8 संस्थान की समितियाँ

अपने क्रियाकलापों के संपादन के लिए रा.मा.वि.सं. के उपनियम के लिए निम्नलिखित समितियों को निर्धारित किया है:

* महापरिषद् **(परिशिष्ट 6, पृष्ठ सं. 92)**
* कार्यकारिणी परिषद् **(परिशिष्ट 7, पृष्ठ सं. 94)**
* शैक्षणिक समिति **(परिशिष्ट 8, पृष्ठ सं. 95)**
* नीति शास्त्र समिति
* आंतरिक समिति
    - क्रय समिति
    - प्रशासनिक समन्वयन समिति
    - संवर्ग पुर्नविक्षण समिति
    - खान-पान प्रबंधन समिति
    - अध्ययनार्थ छुट्टी देने के लिए समिति
    - पाठ्यक्रम समन्वयक समिति
    - संपदा समिति
    - संकाय समन्वयन समिति
    - सामान्य सेवाएँ समिति
    - स्वास्थ्य समिति
    - आंतरिक शिकायत समिति
    - आई.टी. समिति
    - प्रबंधन पुनरीक्षण समिति
    - स्टाफ क्वार्टर्स समिति
    - विद्यार्थी समिति
    - निविदा खोलने की समिति
    - एन्टी रैगिंग समिति

अध्याय 13

लेखें तथा वित्त

वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 की तुलना में वर्ष 2013-14 के लिए संस्थान की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है:

तालिका 28: संस्थान की वित्तीय स्थिति (रुपये लाखों में)

	विवरण	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14
1.	आदि शेष	(क) योजना निधि	551.57	374.85	--
		(ख) पूर्वोत्तरी क्रियाकलाप	155.19	79.95	82.13
		(ग) एडिप क्रियाकलाप	180.67	164.12	104.23
		(घ) पेंशन खाता	228.67	213.62	272.06
		च) अन्य	183.01	285.09	268.08
		कुल (क+ख+ग+घ+च)	**1,299.11**	**1,117.63**	**726.50**
2.	मंत्रालय से अनुदान	(क) योजना	657.80	270.00	1170.00
		(ख) योजनेतर	431.31	433.50	482.00
		(ग) पूर्वोत्तरी क्रियाकलाप	96.00	121.00	90.00
		(घ) एडिप	--	--	75.00
		कुल (क+ख+ग+घ)	**1,185.11**	**824.50**	**1,817.00**
3.	अन्य स्रोतों से प्राप्तियाँ- अन्य ऋण एवं अग्रिम		56.51	245.56	291.38
4.	अर्जित ब्याज		58.82	65.85	24.35
5.	आंतरिक प्राप्तियाँ		89.72	102.36	86.04
		सकल योग (1+2+3+4+5)	**2,702.61**	**2,355.90**	**2,945.27**
6.	खर्च	(क) योजना	834.52	732.74	833.49
		(ख) पूर्वोत्तरी क्रियाकलाप	171.24	30.93	134.37
		(ग) योजनेतर	390.79	438.45	450.77
		(घ) एडिप क्रियाकलाप	26.87	67.69	137.63
		(च) पेंशन भुगतान	110.30	149.09	166.79
		(छ) अन्य	51.26	210.50	245.15
		कुळ (क+ख+ग+घ+च+छ)	**1,584.98**	**1,630.25**	**1,968.20**
7.	उपलब्ध शेष राशि	(क) योजना निधि	374.85	--	248.62
		(ख) पूर्वोत्तरी क्रियाकलाप	79.95	82.13	125.65
		(ग) एडिप क्रियाकलाप	164.12	104.23	45.68
		(घ) पेंशन खाता	213.62	272.06	268.56
		(च) अन्य	285.09	268.08	288.56
		कुल (क+ख+ग+घ+च)	**1,117.63**	**726.50**	**977.07**

वर्ष 2013-14 के दौरान, संस्थान को रु. 2,945.27 लाख रुपये, आदि शेष सहित प्राप्तियों के रुप में प्राप्त हुए जिनका सार्वजनिक बैंकों में संस्थान के बचत खातों में जमा करवाया गया। 31.3.2014 का तुलन पत्र, वर्ष 2013-14 के लिये आय तथा व्यय खाता, वर्ष 2013-14 के लिये रसीद तथा भुगतान खाता, लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र सहित इस वार्षिक प्रतिवेदन को संलग्न किया गया है।

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय) का कार्यालय
आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद - 500 004.

OFFICE OF THE
PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT (CENTRAL)
ANDHRA PRADESH, HYDERABAD - 500 004.

E-Block, Ist Floor
(Phone No: 040-23232069)

सेवा में,
सुश्री स्तुति कक्कड
सचिव, भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रोड, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110 001.

महोदया,

विषय: राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद के वर्ष 2013-14
लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
***

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिंकंदराबाद के वर्ष 2013-14 के लेखों पर अलग लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, अनुबंध सहित तथा वर्ष 2013-14 के वर्षिक लेखों की एक प्रति संसद के सामने पेश करने हेतु अग्रेषित कर रहा है।

संसदों के दोनों सदनों में अलग लेखा परिक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथियाँ सूचित करें

इस पत्र संलग्न सहित प्राप्ती की सूचना भेज दें।

भवदीय
ह/-
(अजैब सिंह)
प्रधान निदेशक - लेखा परीक्षा (केन्द्रीय)

एनडार्समेंट नं.पी.डी.ए(सी)/सीएबी/यु.IV/एन.आई.एम.एच.एस.एस.ए.आर.2013-14/डी 252/2014-15/215 2012-13/242, दिनांक 18.9.2014

प्रति: निदेशक राष्ट्रीय मानसिक विकलांग सस्थान, सिकंदराबाद 500 009 को वर्ष 2013-14 के वार्षिक लेखों (अंग्रेजी संस्करण) सहित, इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाता है कि अनुमोदित वार्षिक लेखों की हिन्दी रुपांतरण की प्रतियाँ (2 प्रतियाँ) इस कार्यालय को भेजे।

(रोली शुक्ल माल्गे)
निदेशक/डीटी एवं सीएबी

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिंकंदराबाद के 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लेखों पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षा का अलग लेखा परीक्षा प्रतिदेन

हमने, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के (सेवा की विधियाँ, अधिकार तथा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अंतर्गत राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद के 31 मार्च 2014 को समाप्त के लिए संलग्न तुलन पत्र तथा वर्ष की समाप्ति के आय व व्यय खाता/प्राप्तियाँ तथा भुगतान खाता का लेखा परीक्षण किया है। वर्ष 2013-14 तक की अवधि के लिए लेखापरीक्षण का कार्य हमें सौंपा गया। इन वित्तीय विवरणों में कोलकता, दिल्ली, मुम्बई में स्थित तीन क्षेत्रीय केन्द्रों तथा आदर्श विशेष शिक्षा केन्द्र के लेखे भी सम्मिलित है। इन वित्तीय विवरणों को बनाना संस्थान के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। इन वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है।

2. इस अलग लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में लखों के वर्गीकरण, अच्छी लेखा नीतियों की अनुरुपता, लेखा बहियों के मानक, प्रकटीकरण मान, आदि पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ होंगी। वित्तीय कार्य सम्पादनों पर लेखा परीक्षा अवलोकन विधि, स्वामित्व व नियमितता के नियम व शर्तें कार्य क्षमता-बनाम-निष्पादन पहलू, आदि के अनुपालन के संबंध में, यदि कोई हो तो, निरीक्षण प्रतिवेदन/सी.ए.जी. की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन द्वारा अलग से रिपोर्ट किया गया है।

3. हमने, भारत में सामन्यत: स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा का संचालन किया है। वित्तीय विवरणियों के वास्तविक त्रुटियों के मुक्त होने के उचित आश्वासान पाने के लिए हमें योजना बनाकर लेखा परीक्षा करने की इन मानकों की आवश्यकता है। लेखा परीक्षा में, उपयोग में लाए गए लेखा सिद्धांत और प्रबंधन द्वारा तैयार की गई विशिष्ट विवरणियाँ और साथ ही साथ वित्तीय विवरणियों के समय प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हम यह मानते है कि हमारा लेखा परीक्षा हमारे राय के लिए एक उचित आधार बनाता है।

4. हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर, हम यह रिपोर्ट करते है कि,

i) हमने लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक समस्त सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक है।

ii) इस प्रतिवेदन के लिए तुलन पत्र, आय-व्यय लेखा/प्राप्ति तथा भुगतान लेखा वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रारूप में दर्शाये गये हैं।

iii) हमारी राय मे राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान की वित्त उपविधि 6 के अंतर्गत आवश्यक उचित लेखा बहियों और अन्य संबद्ध अभिलेखों का राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान द्वारा निर्वाहण किया गया है जो हमारे द्वारा इन पुस्तकों/बहियों के परीक्षण से प्रकट होता है

iv) हम आगे यह रिपोर्ट करते हैं कि,

क) तुलन-पत्र

क1) आस्तियाँ

क1.1 स्तिर आस्थियाँ: रु. 16.45 करोड (अनुसूची-8)

क.1.1.1. इममें सी.पी.डबल्यु.डी द्वारा वर्ष के दौरान (सितम्बर 2013) पूर्ण होने का रिपोर्ट की गई रु. 29.78.959/- का जमा कार्य जोडे नहीं गये हैं, पर संस्थान द्वारा आकलन से अधिक अतिरिक्त व्यय का अनुमोदन के कारण पूंजीकृत नहीं किया गया है। परिणामत: वर्तमान अस्थियों में स्थिर आस्तियों का न्यूनोक्ति तथा सी.पी.डबलु.डी. के अग्रिम में अत्योक्ति हुई।

ख) आय तथा व्यय खाता

ख1) आय: रु. 6.2 करोड

ख 1.1 अनुपयुक्त वस्तुओं का विक्रय निर्दिष्ट तिथि से पूर्व वसूल किया गया रु. 6,35,000/- की राशि वर्ष के आय में गिने नहीं गये जो कि लेखा नीति नं. 1.2(बी) के अनुसरण में नहीं है। परिणामत: आय तथा पूँजी निधि का प्रत्येक 6.35 लाख रुपयों की न्यूनोक्ति हुई, फलस्वरुप घाटे की रु. 6.35 लाख रुपयों का अत्योक्ति हुई।

---

1. सीपी.डब्लयु.ए. फार 65-ओ, सितंबर 2013 विवरण (i) अंडरग्राउंड सम्प का प्रावधान (ii) डी.जी. सेट पर फेंसिंग तथा लाइट रुफ शेल्टर डालना, तथा (iii) लडके व लडकियों के छात्रावास तथा स्टाफ क्वार्टरों में अंदर पेंटिंग करना।

2. 10.4.2014 को चेक नं. 146281 जो कि लेखा नीति के अनुसार, आगामी वित्तीय वर्ष (2014-15) के 15 अप्रैल के निर्दिष्ट तिथि के अंदर है।

ख. 2 व्यय रु. 8.78 करोड

ख.2.1 इसमें वर्ष के दौरान नोएडा में पट्टे पर लिये गये भूमि (पट्टे की अवधि 90 वर्ष) हेतु वार्षिक पट्टे किराये के लिए भुगतान की गई रु. 6,40,827/- की राशि शामिल नहीं की गयी, इसे राजस्व व्यय के रूप में दर्शाने के बजाय स्थिर आस्तियों के अंतर्गत दर्शाया गया और पट्टे की अवधि के बाद वक्फ किया गया। परिणाम: प्रत्येक रु. 6.4 लाख के व्यय में न्यूनोक्ति तथा स्थिर अस्तियों की अत्योक्ति हुई। घाटे की भी रु. 6.4 लाख तक न्यूनोक्ति हुई।

सी. लेखा परीक्षण की टिप्पणी का प्रभाव

पूर्ववर्ती अनुच्छेद में दिया गया लेखा परीक्षण की टिप्पणियों का निवल प्रभाव यह कि 6.35 लाख रुपयों की देयाताओं की अत्योक्ति तथा 0.05 लाख रुपयों के अस्तियों की अत्योक्ति एवं 6.4 लाख रुपयों के डिफिसिट की अत्योक्ति हुई।

डी. सहायता अनुदान

वर्ष के दौरान प्राप्त कुल रु. 17.42 करोड रुपयों का सहायता अनुदान (योजना रु. 11.7 करोड (4.5 करोड मार्च 2014 को प्राप्त हुए), योजना-पूर्वोत्तरी रु. 0.9 करोड, योजनेतर - रु.4.82 करोड (0.54 करोड मार्च 2014 में प्राप्त), अन्य रसिदों को मिलाकर कुल 0.35 करोड और प्रमाणित अनुपयुक्त शेष राशि रु. 2.6 करोड जो पिछले वर्ष का है, कुल मिलाकर 20.37 करोड में से संस्थान ने 14.85 करोड का प्रयोग किया, 31 मार्च 2014 को 5.52 करोड रु. अनुपयुक्त बकाया छोडा।

ड) प्रबंधक पत्र

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन में शामिल नहीं किये गये त्रुटियों को निदेश, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद को प्रतिविधिक/सुधार की कार्यवाही के लिए अलग से प्रबंधक पत्र के जरिये सूचित किये गये।

---

3. ऋणों की वसूली (ब्याज सहित) स्टाफ से रु. 18,99,140/- और योजना तथा योजनेतर पर अर्जित ब्याज: रु. 15,89,373, कुल रु: 34,88,513

4. योजना राजस्व: रु. 9,50,48,340/- और योजना पूँजी रु. 17,40,735/-, कुल रु. 9,67,89,075 तथा योजनेतर रु. 5,16,88,513/- सकल योग रु. 14,84,77,588/-

v) पूर्वोपरि पैराओं मे दी गई टीका टिप्पणियों के सिवाय, हम यह रिपोर्ट करते है कि इस रिपोर्ट में दर्शाये गये तुलन पत्र तथा आय व व्यय लेखा/प्राप्ति व भुगतान लेखा, लेखा बहियों से मेल खाते है।

vi) हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त लेखा नीतियाँ, लेखों पर टीका- टिप्पणी के साथ पठित उक्त वित्तीय कथन और उपरोक्त मुख्य विषयों के अधीन तथा उपबंध में उल्लिखित अन्य विषय, भारत में साधाणतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरुप तथ्यपरक और निष्पक्ष आकलन प्रस्तुत करते है।

क) जहाँ तक राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद की दिनांक 31 मार्च 2014 के तुलन पत्र उसके कार्यो का संबंध है, और

ख) जहाँ तक उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए घाटे के आय तथा व्यय लेखे से उनका संबंध है।

ह/-
(अजैब सिंह)
प्रधान निदेशक-लेखा परीक्षा
(केन्द्रीय)

लेखापरिक्षा प्रतिवेदन का अनुबंध

1. आंतरिक लेखापरीक्षा पद्धति की पर्याप्तता: संस्थान का आंतरिक लेखा चार्टड अकाउन्टेंट फर्म को सौंपा गया जिन्होंने वर्ष का लेखा परीक्षण पूरा किया । आंतरिक लेखा पद्धति पर्याप्त है।

1. आंतरिक नियत्रण पद्धति की पर्याप्तता: लेखापरीक्षण के क्षेत्रों में आंतरिक नियंत्रण पर्याप्त है।

2. स्थिर आस्थियों की प्रत्यक्ष सत्यापन की पद्धति: वर्ष 2013-14 के स्थिर आस्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन का कार्य प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2012-13 के लिए स्थिर आस्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन पूरा कर लिया गया, रिपोर्ट लेखापरीक्षण को प्रस्तुत किया गया और कोई कमियाँ नहीं पायी गयी।

3. इनवेन्टरी की प्रत्यक्ष सत्यापन की पद्धति: वर्ष 2013-14 के लिए प्रत्यक्ष सत्यापन प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2012-13 के लिए इन्वेन्टरी का प्रत्यक्ष सत्यापन पूरा कर लिया गया है और रिपोर्ट आडिट को प्रस्तुत किया गया और कोई कमियाँ नहीं पाई गई।

4. सांविधिक देयता के भुगतान में नियमितता: संस्थान नियमित रुप से सांविधिक देयता जमा कर रहा है।

रोली

(रोली शुक्ल माल्गे)
निदश/डीटी एवं सीएबी

वित्तीय विवरणी का प्रारूप (गैर लाभकारी संगठन)

संगठन का नाम: राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद

31 मार्च, 2014 का तुलन पत्र

(रुपयों में राशि)

	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
कार्पस/पँजी निधि और दायित्व			
कार्पस/पूँजी निधि	1	16,35,82,379	18,78,49,942
परिरक्षित और अधिशेष	2	0	0
उद्दिष्ट/धर्मदाय निधियाँ	3	6,47,87,525	4,06,49,588
प्रतिभूत ऋण और उधार राशियाँ	4	0	0
अप्रतिभूत ऋण और उधार राशियाँ	5	0	0
अस्थगित जमादेनदारियाँ	6	0	0
चालू देनदारियाँ व प्रावधान	7	12,34,09,030	11,37,65,325
कुल		**35,17,78,934**	**34,22,64,855**
आस्तियाँ			
स्थिर आस्तियाँ	8	16,44,77,413	18,57,29,818
जोडे: आस्तियों में पूर्वावधि समायोजन			
उद्दिष्ट/धर्मदाय से निवेश	9	15,64,371	3,98,204
निवेश-अन्य	10	2,19,70,956	2,00,02,000
चालू आस्तियाँ, ऋण, अग्रिम, आदि	11	16,24,08,023	13,40,28,764
विविध व्यय (बट्टे खाते या समायोजित न किये जाने की सीमा तक)			
जीपीएफ डेफिसिट		13,58,171	21,06,069
कुल		**35,17,78,934**	**34,22,64,855**
उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ	24		
फुटकर देनदारियाँ और लेखा पर टिप्पणियाँ	25		

ह/-
लेखाधिकारी

ह/-
उपनिदेशक (प्र.)

ह/-
निदेशक

वित्तीय विवरणी का प्रारूप (गैर लाभकारी संगठन)

संगठन का नाम: राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद

31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि के लिए आय तथा व्यय लेखा

(रुपयों में राशि)

आय	अनुचूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
विक्रय/सेवाओं से आय	12	10,19,786	9,38,367
अनुदान/आर्थिक सहायता	13	4,82,00,000	4,52,00,000
फीस/चंदे	14	59,53,791	72,40,950
निवेश से आय (उद्देश्ट/धर्मदाय निधियों से अंतरित निधियाँ)	15	0	0
रायल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	6,35,828	14,44,988
अर्जित ब्याज	17	42,48,237	47,32,053
अन्य आय	18	10,58,964	7,37,996
तैयार मालों और चालू वर्ष कार्य मे बढाव/घटाव	19	8,51,431	31,33,445
पूर्व अवधि समायोजन		0	0
कुल (ए)		**6,19,68,037**	**6,34,27,799**
व्यय			
अनुदान/आर्थिक सहायता	20	98,923	93,197
स्थापना खर्च	20A	5,90,80,019	5,20,22,227
अन्य कार्यक्रमों पर खर्च	20B	0	0
अन्य प्रशासनिक खर्च	21	60,83,588	59,39,222
अनुदानों, आर्थिक सहायता आदि पर व्यय	22	0	0
ब्याज	23	0	0
ह्रास (वर्ष के अंत तक कुल नेट - अनूसूची 8 के अनुरुप)		2,25,98,776	12,34,52,510
पिछले वर्ष का समायोजन		0	0
कुल (बी)		**8,78,61,306**	**18,15,07,156**
व्यय के ऊपर आधिक्य आय का शेष (क-ख)			
स्पेशल रिजर्व को आंतरण			
सामान्य रिजर्व को/से आंतरण			
अधिशेष के रूप में शेष राशि		**-2,58,93,269**	**-11,80,79,357**
कार्पस/पूँजी निधि को ले जाया गया			
उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ	24		
लेखों पर फुटकर देयताएँ और टिप्पणियाँ	25		

ह/-
लेखाधिकारी

ह/-
उपनिदेशक (प्र.)

ह/-
निदेशक

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद

रसीद तथा भुगतान खाता वर्ष 2013-14

रसीद	2012-13	2013-14	भुगतान	2012-13	2013-14
को आदि शेष	रु.	रु.	**से**	रु.	रु.
क. हाथ रोकड	20,000	15,000	मानव संसाधन विकास	1,47,91,061	1,71,71,207
ख) योजना वा योजनेतर खाता	7,39,69,599	3,50,05,508	अनुसंधान एवं विकास	6,04,250	2,35,227
ग) पेंशन तथा ग्रैचुइटी निधि खाता			सेवा नमूनों का विकास	81,90,878	79,36,054
(i) स्थिर जमा	1,62,33,960	2,00,02,000	परामर्शी सेवाएँ	27,12,819	63,95,115
(ii) बचत खाता	51,27,801	72,03,980	प्रलेखन तथा प्रचार	30,37,578	88,55,619
घ) एडिप योजना	1,64,11,891	1,04,22,518	विस्तार तथा अउटरीच कार्यक्रम	2,92,199	5,14,747
			पूर्वोतरी सेवाएँ	30,93,095	1,34,36,768
सहायता अनुदान			भूमि	6,54,353	10,00,977
			भवन	0	0
योजना शीर्ष	3,91,00,000	12,60,00,000	सी.पी.डबल्यु.डी.कार्यों के लिए अग्रिम	44,05,130	0
योजनेतर शीर्ष	4,33,50,000	5,00,50,000	उपकरण	23,57,589	6,29,648
एन.आई.एम.एच. एडिप योजना		75,00,000	फर्नीचर	4,96,988	82,213
विशिष्ट प्रयोजनों के लिए अनुदान		0	परिवाहन वहन	0	0
			एडिप योजना	67,69,242	1,37,62,606
अन्य रसीद			सरचना रखरखाव	1,13,10,825	1,04,85,279
			वसूली योग्य या समंजनीय अग्रिम	2,11,35,438	2,45,14,920
ऋण व अग्रिम की वसूली	16,17,787	18,99,140			
समायोजन के लिए अन्य रसीद	53,07,382	94,98,174	**स्थानना खर्च**		
			वेनत, मजदूरी तथा भत्ता	5,81,68,960	6,39,69,559
प्राप्त ब्याज			पेंशन तथा ग्रैचुइटी	1,49,09,367	1,66,78,513
योजना व योजनेतर खाता	26,82,614	15,89,373	कर्मचारियों को ऋण व अग्रिम	1,60,950	9,15,475
पी व जी निधि खाते पर ब्याज	31,22,324	4,37,790	समर्थन सेवाएँ	16,33,542	18,06,302
एडिप खाते पर ब्याज	7,79,869	4,08,172	कर्टिजेंट व्यय	13,36,491	14,85,447
			अन्य कार्यालय खचे	68,80,505	69,44,454
आंतरिक रसीद	1,02,35,777	86,04,469	**रोकड व बैंक आदिशेष**		
			क. हाथ रोकड	15,000	24,935
पी व जी खाते को आंतरण	1,76,31,262	1,58,90,645	ख) योजना व योजनेतर खाता	3,50,05,508	6,62,57,718
			ग) पेंशन तथा ग्रेचुइटी निधि खाता		
			(i) स्थिर जमा	2,00,02,000	2,00,02,000
			(ii) बचत खाता	72,03,980	68,53,902
			घ) एडिप योजना	1,04,22,518	45,68,084
कुल रु.	**23,55,90,266**	**29,45,26,769**		**23,55,90,266**	**29,45,26,769**
जीपीएफ व एनपीएस खाता					
आदि शेष			अग्रिम व वापसी	81,39,692	82,09,265
(i) स्थिर जमा	3,41,54,378	4,00,00,000	बैंक खर्च	95	0
(ii) बचत खाता	34,45,552	31,70,382	अंत शेष		
अंशदान व वसूली	93,88,187	1,00,22,940	(i) स्थिर जमा	4,00,00,000	4,62,07,045
अर्जित ब्याज	43,22,052	57,02,230	(ii) बचत खाता	31,70,382	44,79,242
सकल योग	**28,69,00,435**	**35,34,22,321**		**28,69,00,435**	**35,34,22,321**

ह/-
लेखाधिकारी

ह/-
उपनिदेशक (प्र.)

ह/-
निदेशक

रा.मा.वि.सं. आर्गनोग्राम

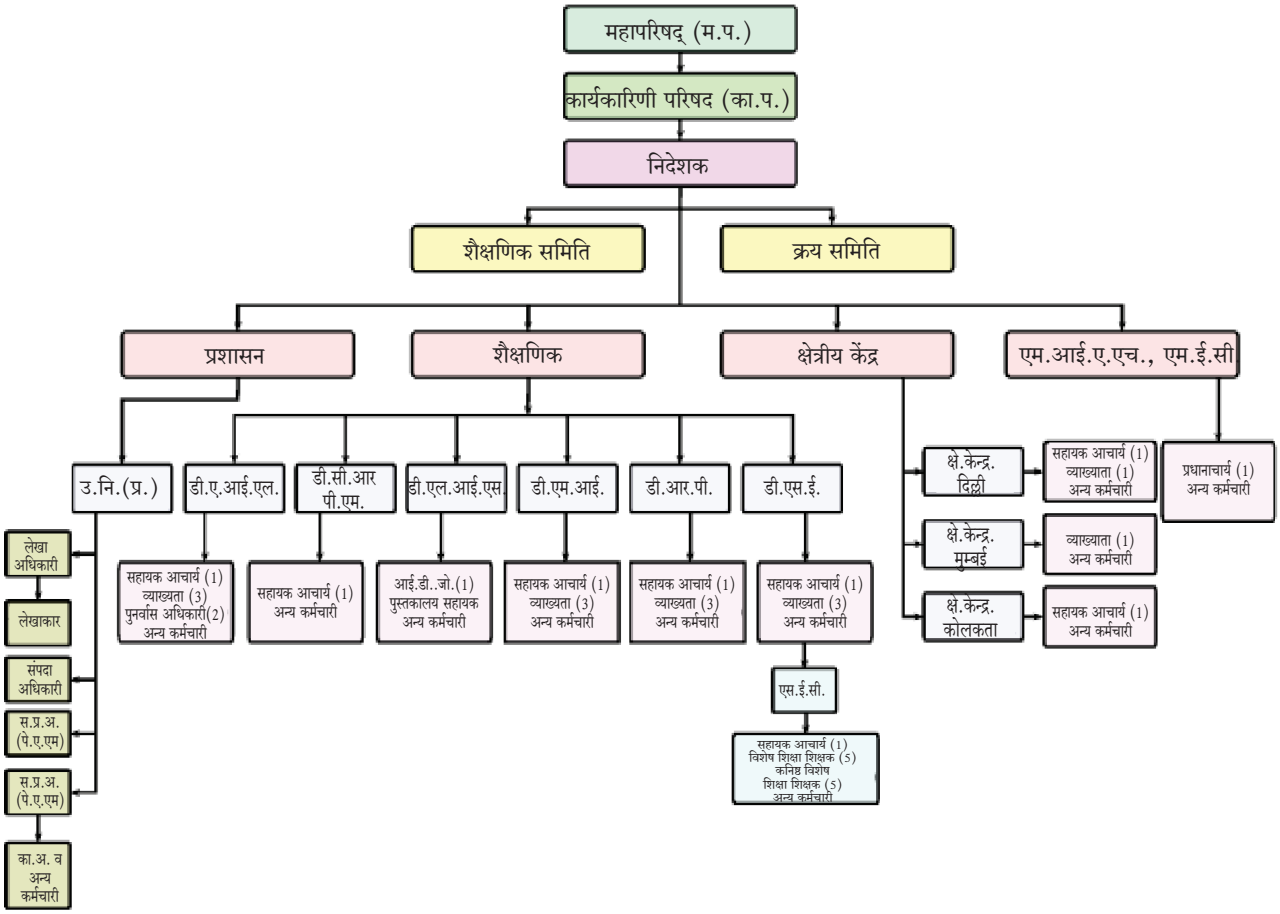

लेजेण्ड

डी.ए.आई.एल.	: प्रौढ. स्वतंत्र जीवन यापन विभाग
डी.सी.आर.पी.एम.	: सामुदायिक पुनर्वास तथा परियोजना प्रबंधक विभाग
डी.एल.आई.एस	: पुस्तकालय सूचना सेवा विभाग
डी.ए.एस.	: आयुर्विज्ञान विभाग
डी.आर.पी.	: पुनर्वास मनोविज्ञान विभाग
डी.एस.ई.	: विशेष शिक्षा विभाग
क्षे. केन्द्र	: क्षेत्रीय केन्द्र
एन.आई.एम.एच.एस.ई.सी.	: मॉडल विशेष शिक्षा केन्द्र
एस.ई.सी.	: विशेष शिक्षा केन्द्र

अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम

क. स.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	आयोजक	दिन	अवधि	लाभान्वितो की सं.
1.	सहोदर प्रशिक्षण कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं. क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली	5	20-24 मई, 2013	32
2	लर्निंग पर सार्वभौमिक डिजाईन	रा.मा.वि.सं. क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली 2013	5	16-21 जून,	32
3.	व्यावसायिक प्रशिक्षण पर कार्यशाला	रा.मा.वि.सं. सिकन्दाराबाद	1	28 जून, 2013	13
4.	विशिष्ट लर्निंग विकलांगता	रा.मा.वि.सं. क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली	5	15-19 जुलाई 2013	29
5.	वयस्क मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए व्यवहार परिवर्तन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं. एम.एम.ई.सी.	3	25-27 जुलाई 2013	17
6	मनौवैज्ञानिक एवं विशेष शिक्षकों के लिए व्यवहार परिवर्तन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं. क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता	5	5-10 अगस्त, 2013	24
7.	पाठशाला पूर्व शिक्षण: विभिन्न पहलू एवं वर्तमान प्रवृत्ति पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं. क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता	5	19-23 अगस्त, 2013	29
8	पुनर्वास में परामर्श	रा.मा.वि.सं. सिकन्दराबाद	5	26-20 अगस्त, 2013	13
9	सेरेब्रल पाल्सी से ग्रस्त बच्चों का प्रबंधन	रा.मा.वि.सं. क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली	5	23-27 सितम्बर, 2013	29
10	विशेष शिक्षा में अनुसंधान पद्धतियाँ	रा.मा.वि.सं., सिकन्दराबाद	5	23-27 सितम्बर, 2013	23
11.	नि:शुक्तजनों के संप्रेषण प्रशिक्षण में थियेटर आर्टस् प्रयोग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं., सिकन्दराबाद	5	16-20 सितम्बर 2013	21
12.	विकलांगता के क्षेत्र में कार्यरत् व्यावसायिकों के लिए तनाव प्रबंधन	रा.मा.वि.सं., सिकन्दराबाद	5	07-11 अक्तूबर 2013	38
13	मानसिक मंद बच्चों के परिवारों के साथ कार्यरत के प्रति अभिमुखीकरण	रा.मा.वि.सं. क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली	5	21-25 अक्तूबर 2013	15
14.	ऑटिज्म के संप्रेषण पहलू, पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं., सिकन्दराबाद	5	21-25 अक्तूबर 2013	8

क. स.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	आयोजक	दिन	अवधि	लाभान्वितो की सं.
15	व्यावसायिक पुनर्वास संकल्पना और निष्पादन	रा.मा.वि.सं. क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता	5	18-22 नवंबर, 2013	30
16	चिकित्सा विज्ञान पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं., सिकन्दराबाद	5	04-08 नवम्बर, 2013	26
17	मानसिक मंद बच्चों के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करना	रा.मा.वि.सं. क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली	5	02-06 दिसम्बर, 2013	19
18	समुदाय आधारित पुनर्वास	रा.मा.वि.सं. क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता	5	09-13 दिसम्बर, 2013	30
19.	शिक्षकों के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण	रा.मा.वि.सं., सिकन्दराबाद	20	16-20 दिसम्बर 2013	30
20	जोखिम/विकासात्मक विलंब वाले बच्चों की प्राथमिक पहचान पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं. क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली	5	06-10- जनवरी 2014	53
21	विकासात्मक विकलांगता एवं उसके प्रबंधन पर निर्धारण	रा.मा.वि.सं. क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली	5	27-31 जनवरी, 2014	27
22	अधिगम अक्षमता-समवेशी तकनीक	रा.मा.वि.सं. क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता	5	27 जनवरी से 1 फरवरी 2014	25
23	मनौवैज्ञानिक निर्धारण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं. क्षेत्रीय केन्द्र, नवी मुम्बई	5	13-17 जनवरी 2014	22
24	विकासात्मक विलंब वाले बच्चों के लिए ज्ञानात्मक एवं प्रत्यक्षण कौशल बढाने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं. क्षेत्रीय केन्द्र, नवीं बुम्बई	5	20-24 जनवरी, 2014	23
25	विकासात्मक विलंब की स्थिति के लिए संवेदी एकीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं. क्षेत्रीय केन्द्र, नवी मुम्बई	5	27-31 जनवरी, 2014	25
26	व्यवहार परिवर्तन	रा.मा.वि.सं., सिकन्दराबाद	5	20-24 जनवरी 2014	24
27	विशेष शिक्षकों के लिए शीघ्र हस्तक्षेप	रा.मा.वि.सं., सिकन्दराबाद	5	06-10- जनवरी, 2014	25
28	कार्य व्यवहार पर कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं., सिकन्दराबाद	5	27-31 जनवरी, 2014	19
29	बौद्धिक अक्षम, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसॉडर एवं सीखने में अक्षम बच्चों के लिए मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन	रा.मा.वि.सं. क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली	5	17-21 फरवरी, 2014	25

क. स.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	आयोजक	दिन	अवधि	लाभान्वितो की सं.
30	''क्षमता बनाने'' संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं. क्षेत्रीय केन्द्र, नवी मुम्बई	5	03-07 फरवरी 2014	25
31	प्रयोजनमूलक शिक्षा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं. क्षेत्रीय केन्द्र, नवी मुम्बई	5	10-14 फरवरी, 2014	30
32	''अधिगम विकलांगता'' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं. क्षेत्रीय केन्द्र, नवी मुम्बई	5	17-21 फरवरी, 2014	26
33	''व्यवहार संशोधन'' पर	रा.मा.वि.सं. क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम केन्द्र, नवी मुम्बई	5	24-28 फरवरी, 2014	21
34	कार्य व्यवहार	रा.मा.वि.सं एम.एस.ई.सी	5	17-21 फरवरी, 2014	25
35	सहायक तकनीक और सुलभ पर्यावरण	रा.मा.वि.सं., सिकन्दराबाद	5	03-07 फरवरी, 2014	11
36	सहायक तकनीक और सुलभ पर्यावरण	रा.मा.वि.सं., सिकन्दराबाद	5	24-28 फरवरी 2014	11
37	मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए समुदाय आधारित पुनर्वास पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं. क्षेत्रीय केन्द्र, नवी मुम्बई 2014	5	03-07 मार्च,	29
38	विशेष शिक्षा में निर्धारण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं. क्षेत्रीय केन्द्र, नवीं मुम्बई	5	10-14 मार्च, 2014	30
39	''समावेशी शिक्षा'' प्रशिक्षण कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं. क्षेत्रीय केन्द्र, नवी मुम्बई 2014	5	17-21 मार्च	23
40	व्यावसायिक पुनर्वास पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं. क्षेत्रीय केन्द्र, नवी मुम्बई 2014	5	24-28 मार्च,	30
41	अभिभावक व्यावसायिक संबंध	रा.मा.वि.सं. एम.एस.ई.सी.	5	25-29 मार्च 2014	33
42	व्यवहार परिवर्तन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं. सिकन्दराबाद	5	26-28 मार्च 2014	26
43	विशेष शिक्षा में प्रमाण आधारित दस्तावेज	रा.मा.वि.सं. सिकन्दराबाद	5	24-28 मार्च, 2014	16
44	मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास	रा.मा.वि.सं. सिकन्दराबाद	5	10-14 मार्च 2014	28
45	व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार	रा.मा.वि.सं. सिकन्दराबाद	5	24-28 मार्च, 2014	15
				कुल	**1130**

एडिप योजना निरीक्षण का विवरण

क्र. सं.	संगठन का नाम	निरीक्षण की तिथि
	आंध्र प्रदेश	
1.	किरनम (स्पेशल स्कूल फॉर एम.आर.), सी-835, एन.जी.ओ. कालोनी, वनस्थलीपुरम-500 044 आर.आर.जिला, आंध्र प्रदेश	23.07.2012
2.	जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र (डीडीआरसी) शरेन हाऊस, मकान नं. 1-15-1/1, अल्कनंदा कालोनी, स्टेट बैंक के पास लर्निंग सेन्टर, विजयानगरम, आंध्र प्रदेश	09.04.2013
3.	प्रियदर्शनी सर्विस ऑर्गनाईजेशन 39-27-44/7, माधवधारा हुडा कालोनी, विशाखापट्नम-18, आंध्र प्रदेश	10.04.2013
4.	ओंकार लाईन्स एजुकेशन सोसाईटी फॉर दी डेफ लॉसंस बे कालोनी, विशाखापट्नम-17. आंध्र प्रदेश	09.04.2013
5.	मंडला विकलांगुला समक्षेमा संगम अनकापल्ली रोड, अच्चुतापुरम, विशाखापट्नम-530011 आंध्र प्रदेश	08.04.2013
6.	पावनी इंस्टीट्यूट फॉर मल्टीपल हैंडीकेप्ड एवं स्पेस्टिकस् मकान न. 45-52-2/2, अबिड नगर, अक्कय्यापलेम, विशाखापट्नम-530 016. आंध्र प्रदेश	08.04.2013
7	प्रगति चॅरिटिज् प्लाट नं. 62, वुड कॉम्प्लैक्स, नजदीक अय्यापास्वामी मंदिर नेल्लूर, आंध्र प्रदेश-524004	09.07.2013
8.	इम्माक्युलेट हार्ट ऑफ मेरी सोसाईटी कार्मेल नगर गुनदला, विजयवाडा, आंध्र प्रदेश-04	10.07.2013
9	राष्ट्रीय सेवा समिति सेवा निलयम, नजदीक अन्नामलाई मार्ग, अयर वाईपास रोड, तिरुपति, चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश	16.09. 2013 17.09.2013
10	चाईल्ड गाईडेंस सेन्टर मकान नं. 7-6/2, संतोष सदन, पीरजादीगुडा विलेज एंड पंचायत, घटकेसर मंडल, आर.आर. जिला, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	09.10.2013
11.	थरेसा मेंटली चेलेज्ड रिहैबिलिटेशन सेन्टर डी/108 से 111, एनएसपी क्वार्टर्स, खम्मम, आंध्र प्रदेश	27.11.2013
12.	प्रियदर्शनी सर्विस ऑर्गनाईजेशन 39-27-44/7, वूडा लेआऊट, माधवधारा, विशाखापट्नम. आंध्र प्रदेश	03.09.2013
13	सूर्य किरण पेरेंटस् एसोसियेशन फॉर दी वेलफेयर ऑफ मेंटली रिटार्डेड मकान नं. 11-3-16, माचर्ला-522 426, जिला गुंटूर आंध्र प्रदेश	18.03.2014

क्र. सं.	संगठन का नाम	निरीक्षण की तिथि
	कर्नाटक	
14	मनोविकास इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रैनिंग एंड रिहैबिलिटेशन फॉर एमआर रेसिडेन्शियल स्कूल फार एम.आर. कडेआनी, देवंगपेट, हुबली जिला-580 023, कर्नाटक	02.04.2013
15.	श्री अरुधा एजुकेशनल सोसाईटी फॉर डिसेबल्ड् रेजिडेशियल स्कूल फार दी ब्लाईंड नं. 17, दूसरा क्रास, मगिजी कोडी लेआऊट, सिद्धरोधा मठ रोड, पुरानी हुबली-580 024. कर्नाटक	03.04.2013
16.	रोटरी ट्रस्ट एन.के. गनपैय्या रोटरी स्कूल फॉर दी हियरिंग इम्पेयर्ड कौड़ाहल्ली, अनेमहल, सकल्लेशपुर-573 134. हस्सन, कर्नाटक	08.04.2013 से 09.04.2013
17.	श्री रेनुका येल्लमा विद्या वर्धक संघ, रेजिडेशियल स्कूल फॉर एमआर सरकार अस्पताल के पास सौदाथी-591 126, कर्नाटक	10.04.2013
18.	श्री दूदना विकास शिक्षण संस्थान रेजिडैशियल स्कूल फॉर एमआर, हिडकल डम-591 107, बेलगांव, कर्नाटक	12.04.2013 से 13.04.2013
19.	जिला विकलांग पुनर्वास सेन्ट एस.एन.आ. जिला अस्पताल कोलार-583 101. कर्नाटक	18.04.2013 से 19.04.2013
20	श्री शतश्रृंगा विद्या समस्ती श्री शिरडी साई मंदिर प्रेमिसेस, कामाक्षीपलया, पोलिस स्टेशन के पीछे, मागडी मेन रोड, बैगंलूर-560 079. कर्नाटक	11.07.2013 से 12.07.2013
21.	मंजू एजुकेशन सोसाईटी बालाजी रोड, राजपुत स्ट्रीट, बेटगेरी, गड़ग-582 102. कर्नाटक	12.07.2013 से 13.07.2013
22.	दक्षिण भारत दलित एजुकेशन सोसाईटी मकान नं. 6, सेडम रोड कालोनी, गुलबर्गा-585 105 कर्नाटक	16.07.2013
23	उत्तर कन्नड डिस्ट्रिक्ट डिसेबल्ड वेलफेयर असोसियेशन स्पेशल स्कूल फॉर एच.एच. कुर्से कम्पाऊंड, बनावसी रोड, सिरसी, उत्तर कन्नड, कर्नाटक-581 401.	12.11.2013
24	श्री कलमेश्वर ग्रामीण विद्या संस्था, हवेरी कर्नाटक (रेजिडैशियल स्कूल फॉर पी.एच.) संगमेश्वर नगर, ब्यादगी-581 106 कर्नाटक	29.11.2013
25	श्री शिवलिंगेश्वर एजुकेशन सोसाईटी (स्कूल फॉर दी ब्लाईड) यक्कुंडी पोस्ट, सवादत्ती तालुक, बेलगांव जिला कर्नाटक	11.12.2013
26.	श्री परमानंद जन सेवा शिक्षण समिति (स्पेशल स्कूल फॉर हियरिंग हैंडीकेप्ड) गोलागेरी विलेज, सिंदमगी तालूक, बीजापुर जिला-586 128, कर्नाटक	12.12.2013
27.	श्री बी.डी. तत्ती अन्नवारु मेमोरियल चॅरिटेबल ट्रस्ट (रेजिडेशियल स्कूल फॅर डेफ एंड डम) 30, अन्नावारु नगर, लक्ष्मेश्वरा तालुक, शिराहट्टी, गडग-582 116, कर्नाटक	13.12.2013

क्र. सं.	संगठन का नाम	निरीक्षण की तिथि
28.	श्री रमना महर्षि ट्रस्ट फार दी डिसेबल्ड पर्सन्स (रेजिडेशियल रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट फॉर लेप्रसी क्युर्ड पर्सस (एलसीपी) एंड ओल्ड एज होम), बैंगलूर जिला, कर्नाटक	09.12.2013 से 10.12.2013
29.	जय भारत डेफ चिल्ड्रन रेजिडेशियल एंड रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट (रेजिडेशियल स्कूल फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड), श्रीनिवास पुरा टाऊन, रामकृष्णा एक्सटेंशन, फस्ट मेन रोड, कोलार जिला, कर्नाटक	10.12.2013 से 11.12.2013
30	विद्याराय एजुकेशन एंड डेवलपमेंट सोसाईटी (वीईडीएस) (रेजिडेंयिल स्कूल फॉर मेटली रिटार्डेड) मंडूर (वाया) विर्गोनानगर, बैंगलूर ईस्ट बैंगलूर-560 049. बैंगलूर अर्बन डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक	12.12.2013 से 13.12.2013
31	मदर तेरेसा ब्लाईंड स्कूल रेजिडेंशियल स्कूल फॉर ब्लाईंड) गांधी नगर, मंगामूर रोड ओंगोल, प्रकाशम जिला (आं.प्र.)	28.01.2014
32.	दी असोसियेसन फार दी मेंटली चैलेजड (मल्टी कैटेगरी वर्कशॉप फॉर दी मेंटली रिटार्डेड) कियवई कैंसर अस्पताल, के पास होसूर रोड बैंगलूरु-560 029.	06.02.2014
33.	श्री रमन महर्षि अकाडमी फॉर ब्लाईंड (वोकेशनल ट्रेनिंग सेन्टर फार दी ऑर्थोपेडकली हैंडीकेप्ड) सी-ए., 1-बी, तीसरा फेस, जे.पी. नगर, बैगंलूरु-560 078.	06.02.2014
34.	श्री रमना महिर्ष अकाडमी फॉर दि. ब्लाईंड वोकेशनल ट्रेनिंग सेन्टर फार दी ऑर्थोपेडकली हैंडीकेप्ड, सी-ए, 1-बी, तीसरा फेस, जे.पी. नगर, बैगलूरु-560078.	06.02.2014
35	श्री रमना महर्षि अकाडमी फॉर ब्लाईंड (डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन (विजुअल इम्पेयरमेंट) सी-ए, 1-बी, तीसरा फेस, जे.पी. नगर, बैंगलूरु-560 078.	06.02.2014
36.	सर्वोदय सर्विस सोसाईटी (रेजिडेंशियल स्कूल फॉर दी मेंटली रिटार्डेड) सी-ए, 1-बी, तीसरा फेस, जे.पी. नगर, बैंगलूरु-560 078.	07.02.2014

उत्तर-पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम

क. सं.	राज्य	स्थान	कार्यक्रम का नाम	तिथि	लाभान्वित की संख्या
1.	सिक्किम	गंगटोक	अभिभावकों अभिमुखीकरण कार्यक्रम	24.09.2013	32
2.	सिक्किम	गंगटोक	मेडिकल व्यावसायिकों के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम	24.09.2013	5
3.	सिक्किम	गंगटोक	सीडीपीओएस एवं सुपरवाईजरों के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम	25.09.2013	58
4.	सिक्किम	गंगटोक	मिडिया के व्यक्तियों के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम	07.10.2013	2
5.	सिक्किम	गंगटोक	सरकारी अधिकारियों लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम	08.10.2013	32
6.	सिक्किम	गंगटोक	हायर सैकंड्री विद्यार्थी एवं शिक्षकों के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम	09.10.2013	227
7.	सिक्किम	गंगटोक	विकलांग के क्षेत्र के व्यावसायिकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम	10.10.2013	24
8.	सिक्किम	गंगटोक	आंगनवाडी कार्यकर्ताओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम	11.10.2013	58
9.	सिक्किम	गंगटोक	विशेष शिक्षा में कार्य पुस्तिका का अभिमुखीकरण	27.11.2013	100
10.	सिक्किम	जोरेथांग	विशेष शिक्षा में कार्य पुस्तिका का अभिमुखीकरण	29.11.2013	150
11.	प.त्रिपुरा	अगरतला	संवेदीकरण कार्यक्रम	25.03.2014	125
12.	प.त्रिपुरा	अगरतला	संवेदीकरण कार्यक्रम	25.03.2014	375
13.	प.त्रिपुरा	अगरतला	संवेदीकरण कार्यक्रम	25.03.2014	25
14.	प.त्रिपुरा	अगरतला	अभिमुखीकरण कार्यक्रम	26.03.2014	250
15.	प.त्रिपुरा	अगरतला	अभिमुखीकरण कार्यक्रम	26.03.2014	150
16.	प.त्रिपुरा	अगरतला	संवेदीकरण कार्यक्रम	27.03.2014	400
17.	प.त्रिपुरा	अगरतला	अभिमुखीकरण कार्यक्रम	27.03.2014	27
18.	प.त्रिपुरा	अगरतला	संवेदीकरण कार्यक्रम	28.03.2014	250
19.	प.त्रिपुरा	अगरतला	संवेदीकरण कार्यक्रम	28.03.2014	12
20.	प.त्रिपुरा	अगरतला	संवेदीकरण कार्यक्रम	28.03.2014	76
21.	प.त्रिपुरा	अगरतला	अभिमुखीकरण कार्यक्रम	28.03.2014	50
22.	सिक्किम	गोलई, गंगटोक	विकलांगता पर जागरुकता कार्यक्रम	24.03.2014	300
23.	सिक्किम	पो.ओ. गंगटोक	विकलांगता पर जागरुकता कार्यक्रम	25.03.2014	675

क. सं.	राज्य	स्थान	कार्यक्रम का नाम	तिथि	लाभान्वित की संख्या
24.	सिक्किम	दोराली, गंगटोक	विकलांगता पर जागरुकता कार्यक्रम	25.03.2014	560
25.	सिक्किम	सिचेय ईस्ट सिक्किम	विकलांगता पर जागरुकता कार्यक्रम	25.03.2014	560
26.	सिक्किम	सेकेन्ड्री स्कूल, गैंगटोक	विकलांगता पर जागरुकता कार्यक्रम	26.03.2014	454
27.	सिक्किम	टडोंग, सिक्किम	जागरुक्ता कार्यक्रम	26.03.2014	68
28.	सिक्किम	मिडिल सिचेय, गंगटोक	विकलांग पर जागरुकता कार्यक्रम	26.03.2014	229
29.	सिक्किम	गंगटोक	विकलांगता पर जागरुकता कार्यक्रम	26.03.2014	215
30.	सिक्किम	गंगटोक	विकलांगता पर जागरुकता कार्यक्रम	27.03.2014	454
31.	सिक्किम	गंगटोक	विकलांगता पर जागरुकता कार्यक्रम	27.03.2014	250
32.	सिक्किम	गंगटोक	विकलांगता पर जागरुकता कार्यक्रम	28.03.2014	218
33.	सिक्किम	गंगटोक	विकलांगता पर जागरुकता कार्यक्रम	28.03.2014	205
34.	मिजोरम	आईजोल	क्षेत्रीय अभिभावक बैठक	27-28 मार्च, 2014	42
			कुल	**34**	**6558**

वर्ष 2013-14 के दौरान समुदाय आधारित कार्यक्रम

क्र. सं.	लक्ष्य ग्रूप	स्थान	दिनांक	लाभान्वितों की संख्या
	रा.मा.वि.सं. सिकन्दराबाद			
1.	हाई स्कूल टीचर्स	मल्लिकाजुना रोड, समता नगर, सिकन्दराबाद	28.03.2013	9
2.	मानसिक मंद बच्चों के अभिभवाकों, शिक्षक एवं आंगनवाडी कार्यकर्ता	महबूबा बाद, वरंगल	08.09.2013	400
3.	मानसिक मंद बच्चों के अभिभावक (एडिप, शिविर)	टी.टी.डी सी., खम्मम	23.24 सितम्बर 2013	83
4.	मेनस्ट्रीम स्कूल शिक्षकों के लिए विकलांगता पर संवेदीकरण कार्यक्रम	बोवनपल्ली, सिकन्दराबाद	13.11.2013	12
5.	अभिभावक, स्टाफ एवं शिक्षक	खम्मम	28.12.13	11
6.	अभिभावक एवं पीडब्ल्यूडी	बोवनपल्ली, चेक पोस्ट, सिकन्दराबाद	01.08.2013	19
7.	आम जनता एवं स्कूल के विद्ययार्थी	न्यू बोवनपल्ली, ताडबंद रोड, सिकन्दराबाद	26.01.2014	494
8.	महिलाओं के एसएसजी	अशोक नगर, हैदराबाद	28.01.2014	87
	क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली			
1.	जनरल पब्लिक (विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस)	सेन्ट्रल मार्किट, जी ब्लॉक, लाजपत नगर, नई दिल्ली	02.04.2013	67
2.	घरेलू महिलाओं, देखभालकर्ता	आशा किरण कॉम्प्लेक्स, दिल्ली	3 से 5 जून, 2013	150
3.	घरेलू महिलाओं एवं आया	आशा किरण कॉम्प्लेक्स, रोहिणी, दिल्ली	10-12 जून 2013	110
4.	गणमान्य व्यक्ति एवं आम जनता	प्रगति मैदान, नई दिल्ली	18-21 जुलाई 2013	146
5.	गणमान्य व्यक्ति और आम जनता	पंचकुला, हरियाणा	22.07.2013	100
6.	विद्यार्थी, विशेष आवश्यकता वाले अभिभावक/अन्य	लाजपत नगर,II नई, सरकारी स्कूल, दिल्ली	01.12.2013	157
7.	विशेष आवश्यकता वाले बच्चे	मदनमोहन मालविया अस्पताल, नई दिल्ली	19-20 फरवरी 2014	42
8	विशेष आवश्यकता वाले बच्चे	गुरू गोविन्द सिंह अस्पताल नई दिल्ली	20-21 फरवरी, 2014	35

क्र. सं.	लक्ष्य ग्रूप	स्थान	दिनांक	लाभान्वितों की संख्या
9	विशेष आवश्यकता वाले बच्चे	भगवान महावीर अस्पताल नई दिल्ली	25-26 फरवरी, 2014	13
10.	मानसिक मंद बच्चे	सोशल वेलफेयर विभाग, दिल्ली, विश्वविद्यालय	07.03.2014	17
	क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता			
1.	सामाज कल्याण परिषद् मे आई. क्यू मूल्यांकन कैम्प	हल्दिया पूर्वा मिदनापुर प.बंगाल	21.12.2013	58
2.	झल्दा II, आईसीडीएस प्रोजक्ट, पुरुलिया के आंगनवाडी कार्यकर्ता	जिला पुरुलिया, प. बंगाल	04.06.2013	371
3.	झल्दा I, आईसीडीएस प्रोजक्ट, पुरुलिया के आंगनवाडी कार्यकर्ता	जिला पुरुलिया, प. बंगाल	07.04.2013	183
4.	आईसीडीएस प्रोजक्ट, भातपारा II के आगनवाडी कार्यकता	भातापारा-2, प. बंगाल	06-07 फरवरी 2014	225
5.	आईसीडीएस प्रोजक्ट, भातपारा II के आंगनवाडी कार्यकता	भारासत, प. बंगाल	19-21 फरवरी 2014	250
6.	आई सीडीएस प्रोजक्ट, भातपारा II के आंगनवाडी कार्यकता	बसीरहट, प.बंगाल	14.03.0214	470
7.	नियमित स्कूल के विद्यार्थी, शिक्षकों एवं अभिभावक के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम	मकालिया एफ.पी. स्कूल, बराहत, 24 पीजस (एस), प.बंगाल	08.03.14	72
8.	नियमित स्कूल के विद्यार्थी शिक्षकों एवं अभिभावक के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम	गोपीनाथ हाई स्कूल समसद गोपीनाथपुर नारायणगढ, पश्चिम मादिनीपुर, पं.बंगाल	14.03.14	1544
	रा.मा.वि.सं. एम.एस.ई.सी., नई दिल्ली			
1.	नियमित मुख्य धारा के स्कूलों के वरिष्ठ छात्र	शाहदी हेमु कल्याणी/कलानी सर्वोदय विद्यालय, नई दिल्ली	04.05.13	200
2.	नियमित रूप से मुख्य धारा के स्कूलों वरिष्ठ छात्रों	शहदी हेमु कल्याणी/कलानी सर्वोदय विद्यालय, नई दिल्ली	01-09-2013	200
3.	आम जनता और बाजार के व्यापारी	सेन्ट्रल मार्किट, लाजपत नगर, नई दिल्ली	03.12.2013	700
4.	सर्वोदय विद्यालय स्कूल के छात्र, कृष्ण मार्किट लाजपत नगर, नई दिल्ली	सर्वोदय विद्यालाय एमसीडी सकूल, कृष्णा मार्किट, लाजपत नगर नई दिल्ली	03.12.2013	157

क्र. सं.	लक्ष्य ग्रूप	स्थान	दिनांक	लाभान्वितों की संख्या
5.	सरकारी विद्यालय एमसीडी स्कूल के छात्र, कृष्णा मार्किट, लाजपत नगर, नई दिल्ली	सर्वोदय विद्यालय एमसीडी स्कूल, कृष्णा मार्किट, लाजपत नगर, नई दिल्ली	28.02.2014	110
	क्षेत्रीय केन्द्र, नवी मुम्बई			
1.	मानसिक मंद व सह विकासात्मक विलम्बता से ग्रस्त एवं उनके परिवार	पूर्णा, ठाने	06.05.2013	15
2.	मानसिक मंद व सह विकासात्मक विलम्बता ग्रस्त बच्चे एवं उनके परिवार	बोरीवली, मुम्बई	06.08.2013	30
3.	मानसिक मंद व सह विकासात्मक अक्षमता ग्रस्त बच्चों एवं उनके परिवार	कुर्ला, मुम्बई	06.12.2013	21
4.	मानसिक मंद व सह विकासात्मक अक्षमता ग्रस्त बच्चों एवं उनके परिवार	बोरीवली, मुम्बई	15.06.2013	27
5.	मानसिक मंद व सह विकासात्मक अक्षमता ग्रस्त बच्चों एवं उनके परिवार	कुर्ला, मुम्बई	22.06.2013	15
6.	मानसिक मंद व सह विकासात्मक अक्षमता ग्रस्त बच्चों एवं उनके परिवार	बोरीवली, मुम्बई	28.06.2013	5
7.	मानसिक मंद व सह विकासात्मक अक्षमता ग्रस्त बच्चों एवं उनके परिवार	कुर्ला, मुम्बई	13.07.2013	10
8.	मानसिक मंद व सह विकासात्मक अक्षमता ग्रस्त बच्चों एवं उनके परिवार	कुर्ला, मुम्बई	20.07.2013	7
9.	मानसिक मंद व सह विकासात्मक अक्षमता ग्रस्त बच्चों एवं उनके परिवार	भीवंडी, मुम्बई	27.07.2013	13
10.	मानसिक मंद व सह विकासात्मक अक्षमता ग्रस्त बच्चों एवं उनके परिवार	स्नेहालय चारिटेबल ट्रस्ट ठाने	21-22 अक्तूबर 2013	35
11.	मानसिक मंद व सह विकासात्मक अक्षमता ग्रस्त बच्चों एवं उनके परिवार	खोपोली, मुम्बई	01.08.2013	30
12.	मानसिक मंद व सह विकासात्मक अक्षमता ग्रस्त बच्चों एवं उनके परिवार	कुर्ला, मुम्बई	01.09.2014	28
13.	मानसिक मंद व सह विकासात्मक अक्षमता ग्रस्त बच्चों का उनके परिवार	पेन, महाराष्ट्र	10.01.2014	29
14.	मानसिक मंद व सह विकासात्मक अक्षमता ग्रस्त बच्चों एवं उनके परिवार	कर्जत, महाराष्ट्र	24.01.2014	27
15.	मानिसिक मंद व सह विकासासत्मक अक्षमता ग्रस्त बच्चों एवं उनके परिवार	रबोडी, ठाने	27.01.2014	33

क्र. सं.	ग्रुप लक्ष्य	स्थान	दिनांक	लाभान्वितों की संख्या
16.	मानसिक मंद व सह विकासात्मक अक्षमता ग्रस्त बच्चों एवं उनके परिवार	पेन, महाराष्ट्र	29.01.2014	51
17.	मानसिक मंद व सह विकासात्मक अक्षमता ग्रस्त बच्चों एवं उनके परिवार	कन्नाम्वर नगर, विरकोली, मुम्बई	30.01.2014	97
18.	मानसिक मंद व सह विकासात्मक अक्षमता ग्रस्त बच्चों एवं उनके परिवार	नगडा मतिमंद स्कूल भीवंडी, ठाने	18.02.2014	44
19.	मानसिक क्मं व सह विकासात्मक अक्षमता ग्रस्त बच्चों एवं उनके परिवार	पाली, जिला रायगढ	14.03.2014	125
20.	मानसिक मंद व सह विकासात्मक अक्षमता ग्रस्त बच्चों एवं उनके परिवार	खलापुर, हलखर्द, जिला रायगढ	18.03.2014	87
21.	विकलांगता के बारे में जागरुक्ता	एस.ई.ओ. हाई स्कूल, कमोथा, नयी मुम्बाई	03.12.2013	376
22.	विकलांगता के बारे में जागरुक्ता	जड.पी.स्कूल, कोपरा गांव, नवी मुम्बई	03.12.2013	396
23.	विकलांगता के बारे में जागरुक्ता	एन.एम.एम.सी., स्कूल न. 4, नवी मुम्बई	03.12.2013	60
24	विकलांगता के बारे में जागरुक्ता	एन.एम.एम.सी., स्कूल न. 1, दिवालेगांव, नवी मुम्बई	03.12.2013	83
25.	विकलांगता के बारे में जागरुक्ता	ठाने, बेलापुर, वासी, एरोली, पनवेल, महाराष्ट्र	04.12.2013	131
26.	विकलांगता के बारे में जागरुक्ता	पीपूल एजुकेशन सोसाईटी, बेलापुर, नवी मुम्बई	05.12.2013	600
27.	अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम	खोपोली, महाराष्ट्र	08.01.2014	30
28.	अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम	कुर्ला, मुम्बई	09.01.2014	28
29.	अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम	पेन, महाराष्ट्र	10.01.2014	29
30.	अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम	करजत, महाराष्ट्र	24.01.2014	27
31.	अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम	पेन, महाराष्ट्र	29.01.2014	51
32.	अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम	रबोडी, ठाने	27.01.2014	33
33.	अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम	कन्नामवर नगर, विकरोली, मुम्बई	30.01.2014	97
34.	यौन और व्यवहारिक के मुद्दों पर अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम	सानपाड़ा, महाराष्ट्र	13.02.2014	43
35.	जागरूकता एवं अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम	भीवंडी, महाराष्ट्र	18.02.2014	44

क्र. सं.	ग्रुप लक्ष्य	स्थान	दिनांक	लाभान्वितों की संख्या
36.	जागरूकता एवं अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम	चिलखेले, महाराष्ट्र	10.03.2014	47
37.	जागरुकता एवं अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम	ठाने, महाराष्ट्र	27.03.2014	61
	कुल			**9357**

महा परिषद् के सदस्यो की सूची

1. सुश्री स्तुति कक्कड, आई ए एस ....अध्यक्ष
सचिव, भारत सरकार
अध्यक्ष महापरिषद्, रा.मा.वि.सं.
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110 001.

2. श्री अवनीश कुमार अवस्थी, आई ए एस ....सदस्य
संयुक्त सचिव,
डिसेबिलिटी कार्य विभाग, भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110 001.

3. श्री योगेन्द्र त्रिपाठी, आई ए एस ....सदस्य
संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
उर्जा मंत्रालय भारत सरकार
श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली-110 001.

4. उप महानिदेशक ....सदस्य
(योजना पर्यवेक्षण एवं सांख्यिकी)
शिक्षा विभाग
मानव संसाधन विकास संत्रालय
कमरा नं. 203, सी-विंग,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110 001.

5. श्रीमती सुजया कृष्णन ....सदस्य
संयुक्त सचिव (एस.के.) (प्रशासन)
स्वास्थ्य विभाग,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
निर्माण भवन, ए-विंग, चौथा तल, नई दिल्ली-110 001.

6. महा निदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण ....सदस्य
श्रम मंत्रालय
भारत सरकार, कमरा नं. 111, पहला तल
श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली - 110 001.

7. श्री अजय साहनी, आई ए एस ....सदस्य
प्रधान सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
ऑ.प्र. सचिवालय. एल. ब्लॉक, तीसरी मंजिल
कमरा नं. 305, हैदराबाद-500 022

8. श्रीमती निलम साहनी, आई ए एस ....सदस्य
प्रधान सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार
महिला एवं बाल कल्याण विभाग
आँ.प्र. सचिवालय. एल.ब्लॉक, दूसरी मंजिल, कमरा नं. 210,
हैदराबाद-500 022.

9. श्रीमती इन्दुमती राव ....सदस्य
क्षेत्रीय समन्वयक
सीबीआर. नेटवर्क (साऊथ एशिया)
134, 1 ब्लॉक, 6 मुख्य, 3 फेस, 3 स्टेज, बीएसके बैंगलूर - 560 085.

10. डॉ. एन.सी. पती, प्रधान सचिव ....सदस्य
(प्रोफसर मनोविज्ञान, उत्कल विश्वविद्यालय, उडिसा)
जुएल्स् इन्टरनेशनल
(चेतना इंस्टिट्यूट फॉर दी मेन्टली हैण्डीकेप्ड)
ए/3, इंस्टीट्यूशनल एरिया, होटल सोस्ती प्लाजा के पास,
पी.ओ.आर.आर.एल. कैम्पस
भुवनेश्वर-751 0013

11. श्री अनिल कुमार मेहरा . ....सदस्य
सी-5, मोतिया खान डबल स्टोरी
पहाड गंज, नई दिल्ली

12. श्री गौरव अरोरा . ....सदस्य
एक्स-52, पश्चिम पटेल नगर
नई दिल्ली-110 008.

13. श्री राजीव रंजन कुशवाहा ....सदस्य
मार्फत श्री पी.के. कुशवाहा
फ्लैट नं. 101, विंग-1,
रजत हाईटस्, हेवनस् होटल के पास
मनकापुर, शिंधवाडा रोड,
नागपुर, महाराष्ट्र

14. श्री टी.सी. शिवकुमार .. सदस्य सचिव
निदेशक
राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान
मनोविकास नगर,
सिकन्दराबाद-500 009.

कार्यकारिणी परिषद् सदस्यों की सूची

1. श्री अवनीश कुमार अवस्थी, आई ए एस ....सदस्य
संयुक्त सचिव,
डिसेबिलिटी कार्य विभाग,
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
शास्त्री भवन
नई दिल्ली - 110 001.

2. श्री योगेन्द्र त्रिपाठी, आई ए एस ....सदस्य
संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
सामाजिक न्याय और अधिकाता मंत्रालय भारत सरकार
शास्त्री भवन
नई दिल्ली-110 001.

3. श्री टी.सी. शिवकुमार .. सदस्य सचिव
निदेशक
राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान
मनोविकास नगर,
सिकन्दराबाद-500 009.

शैक्षणिक परिषद् के सदस्यों की सूची

1. डॉ.बी. राजशेखर, एम.एएसी, पीएच.डी
   डीन एवं प्रोफेसर, वाक् एवं श्रवण विभाग
   मिणपाल कालेज ऑफ अलाईड हेल्थ सायंसेस
   मणिपाल विश्वविद्यालय, मणिपाल

2. डॉ. उमा एच., एम.फिल, पीएच.डी
   प्रो. नैदानिक मनोविज्ञान
   नैदानिक मनोविज्ञान विभाग
   निमहन्स, बैगलूर

3. प्रो. अनिल कुमार टी.वी.
   एमबीबीएस., डीपीएम., डीएनबी, एम.फिल, पीडीएफ
   एसोसिएट प्रोफेसर
   मनोचिकित्सा विभाग
   त्रिवेन्द्रम मेडिकल कालेज
   तिरुअंनतपूरम, केरल

4. डॉ. राधा कृष्णा, एमबीबीएस, डीसीएच
   सहायक निदेशक
   राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद

5. डॉ.ए. ज्योति, एमएस.सी, पीएच.डी.
   निदेशक
   इंस्टिट्यूट ऑफ जेनेटिक एंड हास्पिटल फॉर जेनेटिक डिसआर्डर
   बेगमपेट, हैदराबाद

6. प्रो. एस.पी.के.जैना, एम.फिल, पीएच.डी.
   एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान
   दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

7. डॉ. नीरज जैन
   एम.एससी., पीएच.डी
   प्रो.एंड साईटिस्ट VI,
   नेशनल ब्रेन रिसर्च सेन्टर, गुडगांव, हरियाणा

8. डॉ. टी.सी. शिवकुमार
   निदेशक
   राष्ट्रीय मानसिक विलांग संस्थान,
   सिकंदराबाद-500 009.

रा.मा.वि.सं. मुख्यालय के क्रियाकलाप

बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के स्वतंत्र जीवन-यापन के लिए रोजगार पर राष्ट्रीय सम्मेलन

आऊटरीज क्रियाकलापों के दौरान जागरुप्ता निर्माण

पूर्वोत्तर राज्य में संवेदीकरण कार्यक्रम

क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली के क्रियाकलाप

अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक दृश्य

ईआई.एस. पर अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम

वार्षिक दिवस समारोह

क्षेत्रीय केन्द्र, नवी मुम्बई के क्रियाकलाप

सी.आर.ई. कार्यक्रम के सहभागी

आऊटरीच क्रियाकालपों के दौरान जागरुकता निर्माण

आंगनावाडी कार्यकर्ताओं के लिए अभिमुखीकरण

क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता के क्रियाकलाप

व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम - सी.आर.ई.

निम्न लागत की सीखाने की सामग्री पर पी.टी.पी.

वार्षिक दिवस समारोह

रा.मा.वि.सं. मॉडल स्पेशल एजुकेशन केन्द्र, नवी मुम्बई के क्रियाकलाप

वार्षिक दिवस समारोह

राज्य स्तरीय खेलकूद क्रियाकलापों में भाग लेते एम.एस.ई.सी. के विद्यार्थी

मेट्रो रल्वे स्टेशन का शैक्षणिक दौरा करते हुए एम.एस.ई.सी. के विद्यार्थी